



वार्षिक रिपोर्ट

2022-2023



राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.)
भारत सरकार
एनडीएमए भवन, ए-1, सफदरजंग एनक्लेव
नई दिल्ली-110029.

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.)



वार्षिक रिपोर्ट 2022-2023



राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.)

भारत सरकार

एनडीएमए भवन, ए-1, सफदरजंग एनक्लेव
नई दिल्ली-110029.

संक्षिप्तियां

ए.ई.आर.बी.	परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड
बी.ए.आर.सी.	भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
सी.बी.आर.एन.ई.एम.	रासायनिक, जैविक, विकिरणीय एवं नाभिकीय आपातस्थिति
सी.डी.आर.आई.	आपदा समुत्थानशील अवसंरचना गठबंधन
सी.एम.ए.	पेरिस समझौते के पक्षकारों की बैठक के दलों का सम्मेलन (सीएमए)
सी.एस.एस.आर.	क्षतिग्रस्त इमारत खोज एवं बचाव
डी.एम.	आपदा प्रबंधन
डी.पी.आर.	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डी.आर.आर.	आपदा जोखिम न्यूनीकरण
ई.एफ.सी.	व्यय वित्त समिति
ई.डब्ल्यू.	पूर्व-चेतावनी
एफ.आई.सी.सी.आई. (फिक्की)	भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य संगठन परिसंघ (फिक्की)
जी.आई.एस.	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
एच.ए.पी.	ताप कार्य योजना
एच.पी.सी.	उच्चाधिकार समिति
आई.एम.डी.	भारत मौसम विज्ञान विभाग
आई.एन.एस.ए.आर.ए.जी.	अंतरराष्ट्रीय खोज एवं बचाव सलाहकार समूह
जे.एन.पी.टी.	जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट
के.ए.पी.एस.	कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन
के.के.एन.पी.पी.	कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र
एल.बी.एस.एन.ए.ए.	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी
एम.ए.पी.एस.	मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन
एम.एफ.आर.	प्राथमिक चिकित्सा मोचक
एम.एच.ए.	गृह मंत्रालय
एम.आर.डी.एस.	मोबाइल विकिरण पहचान प्रणाली
एन.सी.एम.सी.	राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति
एन.सी.आर.एम.पी.	राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना
एन.डी.एम.ए.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एन.डी.आर.एफ.	राष्ट्रीय आपदा मोचन बल

एन.ई.सी.	राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति
एन.ई.आर.एम.पी.	राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना
एन.जी.ओ.	गैर-सरकारी संगठन
एन.आई.डी.एम.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
एन.पी.सी.आई.एल.	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
एन.पी.पी.	नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र
ओ.बी.एन.ई.	संगठन, निकाय, नेटवर्क और विशेषज्ञ
ओ.एफ.सी.	ऑप्टिकल फाइबर केबल
आर.एंड डी.	अनुसंधान एवं विकास
एस.ए.आर.	खोज एवं बचाव
एस.डी.आर.एफ.	राज्य आपदा मोचन बल
एस.एफ.डी.आर.आर.	आपदा जोखिम न्यूनीकरण सेंडाई फ्रेमवर्क
एस.एफ.एम.	सेंडाई निगरानी फ्रेमवर्क
टी.ए.पी.एस.	तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन
यू.एन.एफ.सी.सी.सी.	संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन
यू.टी.	केंद्र शासित प्रदेश

विषय-सूची

		पृष्ठ संख्या
	संक्षिप्तियां	iii
अध्याय - I	प्रस्तावना	1
अध्याय - II	कार्यकलाप एवं लक्ष्य	5
अध्याय - III	नीति, योजनाएं और दिशा-निर्देश	7
अध्याय - IV	आपदा जोखिम प्रशमन परियोजनाएं	21
अध्याय - V	क्षमता-विकास	49
अध्याय - VI	कृत्रिम अभ्यास एवं जागरूकता सृजन	57
अध्याय - VII	प्रशासन एवं वित्त	91
	अनुबंध - I	94
	अनुबंध - II	96

अध्याय-1

प्रस्तावना

अतिसंवेदनशीलता विवरण

- 1.1 भारत, अपनी अनोखी भू-जलवायु एवं सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के कारण, बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी, भूकम्प, शहरी बाढ़, भूस्खलन, हिमस्खलन और वनाग्नि जैसे भिन्न-भिन्न प्रकार के जोखिमों और अनेक आपदाओं से असुरक्षित रहा है। देश के 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यू.टी.) में से 27 आपदा संभावित हैं, 58.6% भू-भाग साधारण से लेकर अति उच्च तीव्रता वाला भूकम्प संभावित क्षेत्र है: इसकी भूमि का 12% बाढ़ संभावित और नदी कटाव वाला क्षेत्र है; इसकी कुल 7,516 कि.मी. लंबी समुद्री तटरेखा में से 5,700 कि.मी. भू-भाग चक्रवात और सुनामी संभावित क्षेत्र है; इसके कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल में से 68% भाग सूखे से असुरक्षित है; और इसके पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और हिमस्खलन का जोखिम बना रहता है, इसका 15% भू-भाग भूस्खलन संभावित है। कुल 5,161 शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) शहरी बाढ़ संभावित हैं। आगजनी की घटनाएँ, औद्योगिक दुर्घटनाएँ और अन्य मानव-जनित आपदाएँ जिनमें रासायनिक, जैविक और रेडियोधर्मी सामग्रियों से संबंधित आपदाएं शामिल हैं, वे अतिरिक्त खतरे हैं जिनमें आपदाओं के प्रशमन, उनका सामना करने की तैयारी और उनके लिए मोचन संबंधी उपायों को मजबूत बनाने की आवश्यकताओं को रेखांकित किया है।
- 1.2 जनसांख्यिकी और सामाजिक-आर्थिक स्थिति में तेज गति से होने वाले बदलावों, अनियोजित नगरीकरण, उच्च जोखिम क्षेत्रों में विकास, पर्यावरण क्षरण, जलवायु परिवर्तन, भू-गर्भीय संकट, महामारियों और संक्रामक रोगों के कारण बढ़ती हुई संवेदनशीलता की वजह से भारत में आपदा-जोखिम में और भी अधिक वृद्धि हुई है।

स्पष्टतः, इन सब बातों से एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां ये आपदाएं भारत की अर्थव्यवस्था, इसकी आबादी और अनवरत विकास के लिए गंभीर खतरा बन गई हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) की उत्पत्ति

- 1.3 किसी भी आपदा की स्थिति में बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों के निष्पादन की बुनियादी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। केन्द्र सरकार भयानक प्राकृतिक विपदाओं के मामले में संभार-तंत्र एवं वित्तीय सहायता प्रदान करके, राज्य सरकार के प्रयासों में उनकी मदद करती है। संभार-तंत्र सहायता में एयरक्राफ्ट, नौकाओं, सशस्त्र बलों की विशेष टीमों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी.ए.पी.एफ.) और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एन.डी.आर.एफ.) की तैनाती, राहत सामग्रियों और अनिवार्य वस्तुओं की व्यवस्थाएं जैसे- मेडिकल स्टोर, महत्त्वपूर्ण ढांचागत सुविधाओं की पुनर्बहाली जैसे- संचार नेटवर्क, और स्थिति से कारगर ढंग से निपटने के लिए प्रभावित राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा यथा-अपेक्षित, अन्य कोई, सहायता सम्मिलित है।
- 1.4 सरकार ने आपदा प्रबंधन के राहत-केंद्रित दृष्टिकोण वाले तरीके में बदलाव लाकर अब समग्र एवं एकीकृत प्रबंधन पद्धति को अपनाया है जिसमें आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं (रोकथाम, प्रशमन, तैयारी, मोचन, राहत, पुनर्वास और पुनर्बहाली) को शामिल किया गया है। यह पद्धति इस दृढ़ धारणा पर आधारित है कि जब तक कि विकास प्रक्रिया के अंदर ही आपदा प्रशमन को शामिल न किया जाए तब तक विकास में निरंतरता नहीं रह सकती।

- 1.5 आपदा प्रबंधन के महत्त्व को राष्ट्रीय प्राथमिकता मानते हुए, भारत सरकार ने अगस्त, 1999 में एक उच्चाधिकार समिति का गठन एवं गुजरात भूकम्प के बाद 2001 में आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी के बारे में सिफारिशें करने तथा कारगर प्रशमन तंत्रों का सुझाव देने के लिए आपदा प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय समिति का भी गठन किया। तथापि, हिंद महासागर में वर्ष 2004 में हुई सुनामी के बाद भारत सरकार ने, भारत में आपदाओं के प्रबंधन के क्षेत्र में समग्र और समेकित दृष्टिकोण बनाने और उसे कार्यान्वित करने हेतु संसद के एक अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) की स्थापना करके, देश के विधायी इतिहास में एक ठोस कदम उठाया।
- 1.6 भारत सरकार ने आपदाओं और उनसे जुड़े मामलों अथवा उनके कारण हुई दुर्घटनाओं के कारगर प्रबंधन की व्यवस्था के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 बनाया है। इसमें आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाने तथा उनका अनुपालन करने के लिए संस्थागत उपाय बनाए

गए हैं व किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में त्वरित मोचन सुनिश्चित किया गया है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) का गठन

- 1.7 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 30 मई, 2005 को भारत सरकार के एक कार्यकारी आदेश द्वारा किया गया था। तत्पश्चात्, 23 दिसंबर, 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 बनाया गया और 27 सितंबर, 2006 को इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत इस प्राधिकरण को अधिसूचित किया गया।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) की संरचना

- 1.8 भारत के प्रधानमंत्री एन.डी.एम.ए. के पदेन अध्यक्ष हैं। वर्तमान सदस्य और प्राधिकरण में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि निम्नानुसार हैं :

1.	श्री कमल किशोर	सदस्य (16.02.2015 से) सचिव (01.10.2021 से प्रभारी)
2.	लेफ्टिनेन्ट जनरल सैयद अता हसनैन, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम और बीएआर (सेवानिवृत्त)	सदस्य (21.02.2020 से)
3.	श्री राजेंद्र सिंह	सदस्य (20.02.2020 से)
4.	श्री कृष्ण स्वरूप वत्स	सदस्य (04.05.2020 से)

- 1.9 राष्ट्रीय स्तर पर, एन.डी.एम.ए. के पास, अन्य बातों के साथ-साथ, आपदा प्रबंधन पर नीतियाँ निर्धारित करने और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनकी विकास योजनाओं तथा परियोजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डी.आर.आर.) उपायों का एकीकरण करने अथवा

ऐसा करने के उद्देश्य हेतु अनुपालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों को तैयार करने की जिम्मेदारी है। राज्यों द्वारा उनसे संबंधित राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने और आपदाओं को रोकने के उपायों अथवा इसका प्रभाव कम करने के साथ-साथ, किसी आपदा से निपटने के लिए

क्षमता निर्माण, जैसा राज्य जरूरी समझे, करने हेतु अनुपालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों को भी एन.डी.एम.ए. तैयार करता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) सचिवालय

1.10 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) की संगठनात्मक संरचना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मई, 2008 में अनुमोदित किया गया था। सचिवालय का नेतृत्व एक सचिव करते हैं और उनके साथ पांच संयुक्त सचिव/सलाहकार होते हैं जिनमें से एक वित्तीय सलाहकार होता

है। संगठन में दस संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के) और चौदह सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के) होते हैं और उनकी सहायता के लिए सहायक स्टाफ होता है। अनेक वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी भी संगठन को काम में सहायता करते हैं। आपदा प्रबंधन एक विशिष्ट विषय है, इसलिए यह भी सुनिश्चित किया गया है कि विशेषज्ञों की अनुबंध आधार पर विशेषज्ञता उपलब्ध रहे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिवालय के संगठन की विस्तृत परिचर्चा 'प्रशासन एवं वित्त' नामक एक पृथक अध्याय में की गई है। अधिकारियों की सूची अनुबंध II में दी गई है।

अध्याय-2

कार्यकलाप एवं उद्देश्य

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकलाप

2.1 भारत में आपदा प्रबंधन हेतु शीर्ष निकाय के रूप में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उत्तरदायित्व आपदाओं के बारे में समयबद्ध और कारगर मोचन सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन हेतु नीतियाँ, योजनाएं और दिशानिर्देश निर्धारित करने का है। इसके सांविधिक कार्यों में निम्नलिखित कार्य करने का उत्तरदायित्व भी शामिल है:

- (क) आपदा प्रबंधन के संबंध में नीतियां निर्धारित करना;
- (ख) राष्ट्रीय योजना और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा राष्ट्रीय योजना के अनुसार तैयार की गई योजनाओं का अनुमोदन करना;
- (ग) राज्य की योजना बनाने के लिए राज्य प्राधिकारियों के अनुपालन हेतु दिशानिर्देश निर्धारित करना;
- (घ) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा की रोकथाम के उपायों को समेकित करने तथा आपदा के प्रभाव का प्रशमन करने के प्रयोजनार्थ अपनाए जाने वाले दिशानिर्देश निर्धारित करना;
- (ङ) आपदा प्रबंधन की नीति और योजना के प्रवर्तन और कार्यान्वयन में समन्वय करना;
- (च) आपदा प्रशमन के प्रयोजनार्थ धनराशियों (फंड्स) की व्यवस्था की सिफारिश करना;
- (छ) बड़ी आपदाओं से प्रभावित अन्य देशों को ऐसी सहायता सुलभ कराना जो केंद्रीय सरकार द्वारा तय की जाए;

- (ज) आपदा की रोकथाम के लिए, अथवा प्रशमन आपदा की स्थिति की आशंका से या आपदा से निपटने के लिए, अथवा तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए ऐसे अन्य कदम उठाना जो एन.डी.एम.ए. आवश्यक समझे;
- (झ) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.) के कामकाज के लिए व्यापक नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करना;
- (ञ) आपदा की स्थिति की आशंका या आपदा से निपटने के लिए विशेष कार्रवाई के प्रयोजन हेतु अधिनियम के अधीन गठित राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एन.डी.आर.एफ.) पर सामान्य अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण रखना;
- (ट) आपदा की स्थिति की आशंका या आपदा में बचाव तथा राहत के लिए सामान या सामग्री का आपातकालीन प्रबंधन करने के लिए संबंधित विभाग या प्राधिकरण को प्राधिकृत करना;
- (ठ) आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली न्यूनतम मानकों की राहत के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करना।

2.2 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सभी प्रकार की आपदाओं से, चाहे वे प्राकृतिक हों या मानव-जनित, निपटने के लिए अधिदेश प्राप्त है। जबकि ऐसी अन्य आपातस्थितियों जिनमें सुरक्षा बलों तथा/अथवा आसूचना अधिकरणों का निकटता से तालमेल होना अपेक्षित है जैसे आतंकवाद (जवाबी कार्रवाई), कानून और व्यवस्था की स्थिति, सीरीयल बम विस्फोट, विमान अपहरण, विमान दुर्घटनाएं, रासायनिक जैविक,

विकिरणीय और नाभिकीय (सी.बी.आर.एन.) हथियार प्रणाली, खान आपदाएं, पत्तन और बंदरगाह की आपातस्थितियाँ, वनाग्नि, तेल क्षेत्र में आग और तेल बिखरने की घटनाओं से वर्तमान तंत्र अर्थात् राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एन.सी.एम.सी.) द्वारा पहले की तरह ही निपटाया जाता रहेगा।

- 2.3 तथापि, रासायनिक, जैविक, विकिरणीय और नाभिकीय (सी.बी.आर.एन.) आपातस्थितियों के बारे में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दिशानिर्देश तैयार करेगा तथा प्रशिक्षण और तैयारी की गतिविधियों को आसान बनाएगा। प्राकृतिक और मानव-जनित आपदाओं के लिए चिकित्सा तैयारी, मनो-सामाजिक देखभाल और ट्रॉमा, समुदाय आधारित आपदा तैयारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण, तैयारी, जागरूकता अभियान चलाना आदि जैसे विविध विषयों पर भी संबंधित हितधारकों की भागीदारी के साथ एन.डी.एम.ए. अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के पास उपलब्ध वे संसाधन, जो आपातकालीन सहायता कार्यक्रमों के लिए सक्षम हैं, आसन्न आपदा/आपदाओं के समय आपातस्थिति से निपटने के लिए सभी स्तरों पर नोडल मंत्रालयों/अधिकरणों को उपलब्ध कराए जाएंगे।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की दूरदृष्टि (विजन)

- 2.4 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिदेश और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति से प्रवाहित दूर-दृष्टि (विजन) निम्न प्रकार से है:

“रोकथाम, प्रशमन, तैयारी एवं मोचन प्रेरित संस्कृति के माध्यम से एक समग्र, सक्रिय, बहु-आपदा केंद्रित और प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति का विकास करते हुए एक सुरक्षित तथा आपदा से निपटने में पूर्ण सक्षम भारत का निर्माण करना।”

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उद्देश्य

- 2.5 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:
- (क) ज्ञान, नवाचार और शिक्षा के माध्यम से सभी स्तरों पर रोकथाम, तैयारी और समुत्थानशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देना।
 - (ख) प्रौद्योगिकी, पारंपरिक बुद्धिमत्ता और पर्यावरणीय संरक्षण पर आधारित प्रशमन उपायों को प्रोत्साहित करना।
 - (ग) विकासात्मक योजना प्रक्रिया में आपदा प्रबंधन सरोकारों को मुख्य स्थान प्रदान करना।
 - (घ) सक्षमकारी नियामक वातावरण और अनुपालनकारी व्यवस्था का सृजन करने के लिए संस्थागत और प्रौद्योगिकीय-विधिक ढांचों को स्थापित करना।
 - (ङ) आपदा जोखिमों की पहचान, आकलन और निगरानी (मॉनिटरिंग) करने के लिए प्रभावी तंत्र सुनिश्चित करना।
 - (च) सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से अनुक्रियाशील और बाधा-रहित संचार से युक्त समकालीन पूर्वानुमान एवं पूर्व चेतावनी प्रणालियां विकसित करना।
 - (छ) समाज के संवेदनशील वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनके अनुकूल कुशल मोचन और राहत के कार्य सुनिश्चित करना।
 - (ज) अधिक सुरक्षित ढंग से जीने के लिए आपदा का सामना करने में सक्षम इमारतें बनाने के लिए, एक अवसर के रूप में मानते हुए, पुनर्निर्माण कार्य हाथ में लेना।
 - (झ) आपदा प्रबंधन के लिए मीडिया के साथ एक उपयोगी और सक्रिय (प्रोडक्टिव एंड प्रोएक्टिव) सहभागिता को बढ़ावा देना।

अध्याय-3

नीति, योजनाएं और दिशानिर्देश

3.1 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एन.पी.डी.एम.) 2009

आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 22 अक्टूबर, 2009 को अनुमोदित किया गया था और 18 जनवरी, 2010 को इसका लोकार्पण किया गया। इसमें पूर्ववर्ती 'मोचन-केंद्रित' तरीके के स्थान पर रोकथाम, तैयारी और प्रशमन के तरीके पर बल देते हुए आपदा के समग्र प्रबंधन दृष्टिकोण को अपनाकर किए गए आमूल-चूल परिवर्तन को दर्शाया गया है।

3.2 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एन.डी.एम.पी.)

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने वर्ष 2016 में पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार की थी। नवंबर, 2019 में विस्तृत विचार-विमर्श के बाद इसे संशोधित किया गया था। संशोधित योजना में नए खतरे (आंधी-तूफान, आकाशीय बिजली, प्रचंड हवा, धूल की आंधी और तेज हवा/बादल फटना और ओला-वृष्टि/हिमानी झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ)/लू/जैविक और सार्वजनिक स्वास्थ्य अपातस्थिति (बीपीएचई)/वनाग्नि), नए अध्याय (2015 वैश्विक ढांचा/सामाजिक समावेश/डीआरआर को मुख्यधारा में लाने हेतु डीआरआर के लिए सुसंगतता और पारस्परिक सुदृढ़ीकरण) तथा जलवायु जोखिम सूचित डीआरआर के लिए नए विषयगत क्षेत्र के रूप में जलवायु परिवर्तन जोखिम प्रबंधन भी शामिल है। इस एनडीएमपी ने सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों और अन्य हितधारकों के लिए समयबद्ध कार्रवाई दर्शायी है, ताकि, डीआरआर के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क की समयसीमा के साथ तालमेल हो

सके। योजना को केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्यों/केंद्र "शासित क्षेत्रों और अन्य हितधारकों के साथ साझा किया गया है, ताकि वे सेंडाई लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एनडीएमपी 2019 की समयसीमा के अनुरूप अपनी योजनाओं और रणनीतियों को विकसित कर सकें।

3.3 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश

उद्देश्यों को योजनाओं में रूपांतरित करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर काम करने वाली विभिन्न संस्थाओं (प्रशासनिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक और तकनीकी) के सहयोग से अनेक प्रस्तावों (इनीशियेटिव्स) को शामिल करते हुए एक मिशन-आधारित दृष्टिकोण (मिशन-मोड अप्रोच) को अपनाया है। नीति के रूप में, सभी अन्य हितधारकों के अलावा केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्यों को दिशानिर्देश बनाने के काम में शामिल किया गया है। विनिर्दिष्ट आपदाओं और प्रसंगों (जैसे क्षमता विकास और जन जागरूकता) पर आधारित ये दिशानिर्देश योजनाओं की तैयारी के लिए आधार प्रदान करेंगे। विषय की जटिलता के आधार पर, दिशानिर्देशों को बनाने में न्यूनतम 12 से 18 महीनों का समय लगता है। इस दृष्टिकोण में हितधारकों के साथ एक 'नौ-चरण' वाली सहभागितापूर्ण तथा परामर्शी प्रक्रिया शामिल है जैसा कि चित्र 3.1 में दिखाया गया है।

दिशानिर्देशों की तैयारी प्रक्रिया में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:—

- केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों, वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं आदि सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा अब तक किए गए कार्यों/उपायों की, आपदा-वार किए गए अध्ययनों की एक त्वरित समीक्षा


- प्रचालनात्मक, प्रशासनिक, वित्तीय और कानूनी मुद्दों से संबंधित शेष कार्यों की पहचान।
- गंतव्य कार्य योजना तैयार करना, जिसमें सुगम निगरानी को आसान बनाने के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियों को उचित प्रकार से दर्शाया गया हो।
- अनिवार्य, आवश्यक व वांछित के रूप में यथा प्राथमिक लक्ष्यों एवं उद्देश्यों, गन्तव्य की पहचान,

अल्पावधि में तथा दीर्घावधि में प्राप्त किया जाना।

- चार महत्वपूर्ण प्रश्नों, अर्थात्-क्या किया जाना है? किस प्रकार किया जाना है? कौन करेगा? और कब तक किया जाना है?-के उत्तर दिए जाने थे।
- एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया जाना जो इस रोड़ मैप के प्रचलन की निगरानी करें।

दिशानिर्देश तैयार करने की प्रक्रिया

नौ कदम



चित्र 3.1

3.4 जारी किए गए दिशानिर्देश, रिपोर्टें तथा अन्य दस्तावेज:

क. जारी किए गए दिशानिर्देश:

एनडीएमए द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों की सूची		
क्र. सं.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश	उनको तैयार करने / जारी करने का महीना तथा वर्ष
1.	भूकंप प्रबंधन	अप्रैल, 2007
2.	रासायनिक आपदा (औद्योगिक) प्रबंधन	अप्रैल, 2007
3.	राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करना	जुलाई, 2007
4.	चिकित्सा तैयारी एवं सामुहिक हताहतों का प्रबंधन	अक्तूबर, 2007
5.	बाढ़ प्रबंधन	जनवरी, 2008
6.	चक्रवात प्रबंधन	अप्रैल, 2008
7.	जैव आपदा प्रबंधन	जुलाई, 2008
8.	नाभिकीय और विकिरणीय आपातस्थिति प्रबंधन	फरवरी, 2009
9.	भूस्खलन एवं हिमस्खलन प्रबंधन	जून, 2009
10.	रासायनिक (आतंकवाद) आपदा प्रबंधन	जून, 2009
11.	आपदाओं में मनो-सामाजिक सहायता और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं	दिसंबर, 2009
12.	घटना मोचन प्रणाली	जुलाई, 2010
13.	सुनामी प्रबंधन	अगस्त, 2010
14.	आपदाओं के कारण मारे जाने वाले मृतकों के शवों का प्रबंधन	अगस्त, 2010
15.	शहरी बाढ़ प्रबंधन	सितंबर, 2010
16.	सूखा प्रबंधन	सितंबर, 2010
17.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना और संचार प्रणाली	फरवरी, 2012
18.	अग्नि शमन सेवाओं का स्तर-निर्धारण, उपस्कर की किस्म और प्रशिक्षण	अप्रैल, 2012
19.	कमजोर भवनों तथा ढांचों की भूकम्पीय मरम्मत (रेट्रोफिटिंग)	जून, 2014
20.	स्कूल सुरक्षा नीति	फरवरी, 2016
21.	अस्पताल सुरक्षा	फरवरी, 2016
22.	राहत के न्यूनतम मानक	फरवरी, 2016
23.	संग्रहालय	मई, 2017
24.	सांस्कृतिक विरासत स्थलों तथा आस-पास का परिसर	सितंबर, 2017
25.	नौका सुरक्षा	सितंबर, 2017
26.	प्रबंधन-कार्य योजना की तैयारी-आंधी-तूफान और आकाशीय बिजली/हवा के थपेड़ों/धूल/ओलावृष्टि और तीव्र हवा की रोकथाम	मार्च, 2019
27.	आपदा प्रभावित परिवारों के लिए अस्थाई आश्रय	सितंबर, 2019

28.	दिव्यांगता समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण	सितंबर, 2019
29.	भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति	सितंबर, 2019
30.	कार्य योजना की तैयारी-लू की रोकथाम तथा प्रबंधन (संशोधित दिशानिर्देश)	अक्तूबर, 2019
31.	हिमनदी झील विस्फोट बाढ़ का प्रबंधन (जीएलओएफ)	अक्तूबर, 2020
32.	भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 से भवनों की भूकंप सुरक्षा के लिए सरलीकृत दिशानिर्देश	मई, 2021
33.	ठंडी छत : छत को ठंडा करने के लिए वैकल्पिक समाधान हेतु घर के स्वामियों के लिए दिशानिर्देश	मई, 2021
34.	कार्य योजना की तैयारी के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश-शीत लहर और पाला की रोकथाम और प्रबंधन	जून, 2021

ख. जारी की गई रिपोर्टें तथा अन्य दस्तावेज:

क्र. सं.	विवरण
1.	नागरिक सुरक्षा संगठन का पुनर्गठन
2.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.) की कार्यप्रणाली
3.	पी.ओ.एल. टैंकरों के परिवहन हेतु सुरक्षा और सावधानी उपायों का सुदृढीकरण
4.	नगर जलापूर्ति और जलाशयों के संकट
5.	आपदा मोचन हेतु प्रशिक्षण प्रणाली
6.	नागरिक सुरक्षा तथा संबद्ध संगठनों के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण हेतु पुस्तिका: भाग-I एवं-II
7.	भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रमों और स्थानों पर भीड़ का प्रबंधन
8.	भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रमों/स्थानों के लिए प्रबंधन योजना को तैयार करने हेतु संक्षिप्त रूपरेखा
9.	आपदा प्रबंधन पर प्रासंगिक अधिनियमों/नियमों/कानूनों/विनियमों/अधिसूचनाओं का सार-संग्रह
10.	जिला आपदा प्रबंधन योजना (डी.डी.एम.पी.) की मॉडल रूपरेखा तथा डी.डी.एम.पी. को तैयार करने के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियां
11.	चक्रवात हुदहुद-भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों में बेहतर तैयारी तथा जोखिम समुत्थानशीलता को और सुदृढ करने के लिए रणनीतियां तथा सबक
12.	प्रशिक्षण मैनुअल : आपातकालीन प्रबंधन अभ्यास का संचालन कैसे करें
13.	भवनों तथा अवसंरचना के आपदा समुत्थानशील निर्माण को सुनिश्चित करने हेतु दिशानिर्देश
14.	भारत में उन्नत ट्रॉमा जीवन सहायता हेतु क्षमता निर्माण पर प्रायोगिक परियोजना
15.	जिला स्तर पर सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों तथा पंचायती राज संस्थाओं एवं "शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों हेतु क्षमता निर्माण

16.	“शहरी बाढ़ के प्रशमन हेतु कार्य योजना
17.	गुजरात की बाढ़ 2017-प्रकरण अध्ययन
18.	खतरा जोखिम निर्माण पर राज मिस्त्रियों के प्रशिक्षण पर नियम
19.	तमिलनाडु बाढ़ : सीखे गए सबक और सर्वोत्तम प्रथाओं पर रिपोर्ट
20.	गाजा चक्रवात पर अध्ययन रिपोर्ट-2018
21.	चक्रवात और भूकंप सुरक्षा के लिए गृह स्वामी की मार्गदर्शिका
22.	भूकंप आपदा जोखिम सूचकांक रिपोर्ट
23.	भारत में अग्नि सुरक्षा (एनडीएमए के 15वें स्थापना दिवस की कार्यवाही)
24.	भारत में लू की चेतावनी के लिए तापमान सीमा का अनुमान लगाने के लिए एक प्रारंभिक अध्ययन
25.	विभिन्न आपदाओं पर ‘क्या करें’ और ‘क्या न करें’ की पॉकेट बुक
26.	कोविड-19 पर ‘क्या करें’ और ‘क्या न करें’ तथा बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) पर एक डिजिटल किताब
27.	2020 की लू की तैयारी और प्रबंधन पर राष्ट्रीय कार्यशाला की रिपोर्ट
28.	वन अग्नि प्रबंधन में वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यासों पर प्रकाश डालने वाली रिपोर्ट
29.	आपदा राहत और पुनर्बहाली के लिए अंतरराष्ट्रीय सहायता स्वीकार करने पर एसओपी
30.	दिव्यांगत समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआईडीआरआर) पर विवरण

3.5 एनडीएमए द्वारा आयोजित कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम:

क. भारत में वनाग्नि प्रबंधन पर परामर्शदात्री

कार्यशाला: एनडीएमए ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से भारत में वनाग्नि प्रबंधन तथा अध्यक्ष, एनडीएमए द्वारा निर्धारित निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वनाग्नि, योजना के मुद्दों के साथ-साथ वनाग्नि प्रबंधन के मुद्दे को हल करने की चुनौतियों और अवसर पर चर्चा करने के लिए इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में दिनांक 11 मई, 2022 को एक परामर्शदात्री कार्यशाला का आयोजन किया।

- (i) आग के खतरों के विरुद्ध देश में विविध वन पारिस्थितिकी में जंगलों की संवेदनशीलता को काफी हद तक कम करने के लिए काम करने की आवश्यकता है,

- (ii) संभावित आग की घटनाओं का समय पर पता लगाने और अनाग्नि से निपटने के लिए वन कर्मियों और संस्थानों की क्षमता में वृद्धि करना

- (iii) आग लगने की घटना के बाद पुनर्बहाली में तेजी लाना

कार्यशाला का उद्घाटन माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय और माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा किया गया।

कार्यशाला के प्रथम तकनीकी सत्र में पूर्व चेतावनी प्रणाली, प्रबंधन और सर्वोत्तम पद्धति सहित भारत में वनाग्नि के परिदृश्य पर चर्चा की गई। दूसरा तकनीकी सत्र वनाग्नि प्रबंधन के लिए समन्वय तंत्र पर केंद्रित था और इस संबंध में सहयोग और सहकारिता कैसे बढ़ाया जाए इस पर विचार-विमर्श किया गया। तीसरे तकनीकी सत्र में उन राज्यों के नोडल अधिकारियों की प्रस्तुति दी गई, जिनके 26 जिलों में से एक या अधिक जिले पिछले 10 वर्षों में वनाग्नि से

सबसे अधिक प्रभावित हैं। भारत में जंगलों में लगने वाली आग का 50% हिस्सा इन्हीं 26 जिलों में होता है। प्रस्तुतियाँ वनाग्नि प्रबंधन और वनाग्नि संभावित राज्यों की जरूरतों को समझने के लिए जमीनी स्तर पर आने वाली चुनौतियों पर केंद्रित थीं।

इस परामर्शदात्री कार्यशाला से राज्य वन विभागों, एमओईएफसीसी मंत्रालय, एनडीएमए, भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई) और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारकों को राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर के विभिन्न संगठनों और विभागों की ताकत और चुनौतियों को समझने में सहायता मिली तथा प्रस्तावित “राष्ट्रीय वनाग्नि प्रबंधन परियोजना” को अंतिम रूप देने में सहायता मिलेगी।

ख. एसडीएमए के क्षेत्रीय सम्मेलन: समान प्रकार के खतरों और अतिसंवेदनशीलता का सामना करने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए एसडीएमए के क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए। एसडीएमए का दूसरा क्षेत्रीय सम्मेलन 14-15 अक्टूबर, 2022 को गंगटोक, सिक्किम में आयोजित किया गया था। एसडीएमए का तीसरा क्षेत्रीय सम्मेलन 30 नवंबर से 1 दिसंबर, 2022 तक लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था।

सम्मेलन का उद्देश्य एसडीएमए/संस्थानों को अपनी सर्वोत्तम पद्धति, सीखे गए सबकों को साझा करने और अपने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आपदा प्रबंधन से संबंधित अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना था।

सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई:

- क. भारत में आपदा प्रबंधन में राज्यों का दृष्टिकोण
- ख. एसएफडीआरआर की तुलना में प्रगति और उपलब्धियां
- ग. राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर संस्थागत व्यवस्था एवं सुदृढीकरण

- घ. एनडीएमए से राज्यों की अपेक्षाएं
- ङ. राज्यों से एनडीएमए की अपेक्षाएं
- च. आपदा प्रतिरोधी भारत की दिशा में काम करने में आने वाले मुद्दे और चुनौतियाँ
- छ. सर्वोत्तम पद्धति और सीखे गए सबक
- ज. राज्यों के बीच आपसी सीख – सर्वोत्तम पद्धति की प्रतिकृति
- झ. स्थानीय संस्थानों द्वारा वैज्ञानिक एवं तकनीकी उन्नति

सम्मेलन का लक्ष्य निम्नलिखित में परिणाम प्राप्त करना था:

- क. एनडीएमए और एसडीएमए के बीच बेहतर समझ और समन्वय
- ख. संस्थागत मजबूती के लिए रोडमैप
- ग. राज्यों के बीच आपसी सीख
- घ. सर्वोत्तम पद्धति की प्रतिकृति और आदि प्रारूप
- ङ. सीखे गए सबकों के गुणक प्रभाव के लिए रणनीतियाँ
- च. वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति का दस्तावेजीकरण
- छ. प्रासंगिक मुद्दों का समाधान, यदि कोई हो
- ग. आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क (एसएफडीआरआर) पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम:

‘आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क (एसएफडीआरआर) प्राप्त प्रगति और आगे बढ़ने का मार्ग’ शीर्षक पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (20-21 दिसंबर, 2022) एनआईडीएम में आयोजित किया गया था।

कार्यशाला का उद्देश्य डीआरआर के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में परामर्शदाताओं के ज्ञान को बढ़ाना, जिला स्तर पर कार्यान्वयन की प्रगति और चुनौतियों का आकलन करना,

और एसडीएमपी, डीडीएमपी और विभागीय योजनाओं सहित ढांचे को लागू करने में राज्यों और जिलों की सहायता करने के लिए उपकरणों और दृष्टिकोणों पर जानकारी प्रदान करना था। इसका उद्देश्य जिला स्तर पर एनडीएमआईएस एसएफएम मॉड्यूल का उपयोग करके डेटा बनाए रखने में मध्यावधि समीक्षा प्रक्रिया और कौशल की समझ विकसित करना भी है।

घ. लू पर राष्ट्रीय कार्यशाला 2023: एनडीएमए ने लू के प्रभाव को कम करने के लिए 13-14 फरवरी को महाराष्ट्र सरकार और आईआईटी मुंबई की साझेदारी में एक कार्यशाला का आयोजन किया।

कार्यशाला के व्यापक उद्देश्य में सीखे गए अनुभवों और सबक को साझा करना, सतत् दीर्घकालिक प्रशमन उपाय और लू पर भविष्य की कार्रवाई भी शामिल है। कार्यशाला में सभी लू संभावित राज्यों, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और अनुसंधान संस्थानों सहित मौसम पूर्वानुमान और प्रशमन में शामिल अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

कार्यशाला के दौरान निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई:

- क. विज्ञान की स्थिति की जांच-पड़ताल (पूर्व चेतावनी के लिए निगरानी)
- ख. नीतियों और प्रतिक्रिया रणनीतियों की पुनः पड़ताल करना
- ग. लू जोखिम प्रबंधन में सुधार के लिए अनुभव और सीखे गए सबक साझा करना
- घ. 2023 के लिए लू जोखिम प्रबंधन (प्रशमन, तैयारी, मोचन और पुनर्बहाली) पर विचार-विमर्श
- ङ. स्थायी दीर्घकालिक प्रशमन उपाय और भविष्य की कार्रवाई
- च. सर्वोत्तम पद्धित और सीखे गए सबक
- ड. **115 महत्वकांक्षी जिलों के डीडीएमए को मजबूत करने**

की योजना के तहत काम करने वाले परामर्शदाताओं के लिए एक दिवसीय कार्यशाला

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 20 मार्च 2023 को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क (एसएफडीआरआर) की गई प्रगति और भविष्य पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।

कार्यशाला का उद्देश्य एसएफडीआरआर के तहत प्रगति के कार्यान्वयन और निगरानी में भूमिकाओं के बारे में नीति आयोग द्वारा पहचाने गए 115 बहु-खतरा संभावित और पिछड़े जिलों के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) को मजबूत करने के लिए एनडीएमए योजना के तहत नियुक्त परामर्शदाताओं को संवेदनशील बनाना है।

च. सूखा प्रशमन योजना पर राष्ट्रीय परामर्श: एनडीएमए और राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने 22 फरवरी 2023 को एक दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया। सूखा प्रशमन और योजना के लिए रोकथाम के शृंखला में कुछ नए परिप्रेक्ष्य लाने के लिए इस परामर्श में विशेषज्ञ और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से महत्वपूर्ण विशेषज्ञ, वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों, गैर सरकारी संगठनों और सूखा संवेदनशील क्षेत्रों में काम करने वाले अन्य शामिल हुए।

उद्देश्य:

- क. XVवें वित्त आयोग की सिफारिशों को साझा करना
- ख. सूखा प्रशमन योजना और रणनीति
- ग. निरंतर सूखा प्रशमन के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं के साथ तालमेल के लिए अनुभव साझा करना
- घ. सूखा प्रशमन कार्यक्रम के लिए एक रूपरेखा/दिशानिर्देश
- ङ. दीर्घकालिक सूखा प्रशमन योजना और स्थानीय स्तर पर रोकथाम हेतु एक तंत्र स्थापित करना

3.6 राज्य आपदा प्रबंधन योजना का सूत्रीकरण:

36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में से 33 के पास उनकी अपनी स्वीकृत राज्य आपदा प्रबंधन योजना (एसडीएमपी) है। तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य, जिसने एसडीएमपी को भी मंजूरी दी थी, को दो केंद्र शासित प्रदेशों (i) जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित किया गया है। इसके अलावा, पूर्ववर्ती केंद्र शासित प्रदेशों (i.) दादरा और नगर हवेली और (ii.) दमन और दीव, दोनों ने एसडीएमपी को मंजूरी दे दी थी, को एक केंद्र शासित प्रदेश अर्थात् दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव एक केंद्र शासित प्रदेश में मिला दिया गया है। इन तीन नव निर्मित केंद्र शासित प्रदेश अलग एसडीएमपी तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है।

3.7 तैयार किए जा रहे दिशानिर्देश तथा अन्य दस्तावेज

क. आपदा राहत और पुनर्बहाली के लिए घरेलू सहायता और मानवीय सहायता को चैनलबद्ध करने पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) मसौदा

बचाव, राहत और पुनर्वास से संबंधित गतिविधियों को शामिल करते हुए आपदा प्रबंधन का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकार का ही होता है। घरेलू सहायता में इन मुद्दों को हल करने के लिए राज्य सरकारों को घरेलू सहायता के समन्वय और प्रबंधन के लिए एक उपयुक्त मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित करने की आवश्यकता है, जिसमें आवश्यकता का आकलन, सहायता के लिए अनुरोध, सहायता प्राप्त करना, छंटाई, स्टोर, पैकिंग, सहायता का वितरण और अप्रयुक्त सहायता का प्रबंधन शामिल हैं। एनडीएमए द्वारा तैयार की जा रही एसओपी का उद्देश्य घरेलू सहायता के प्रबंध में अंतर को पाटना है। इस एसओपी का विशिष्ट उद्देश्य है:

- घरेलू सहायता को चैनलबद्ध करने के लिए एक रूपरेखा उपलब्ध कराना, जिसको राज्य सरकारें और अन्य हितधारकों/केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा अपनाया जा सकता है।
- सहायता के समन्वय और कुशल वितरण में सुधार करना।

- उन प्रक्रियाओं का मानकीकरण करना जो आपदा राहत के लिए मानवीय सहायता प्रदान करने की वितरण प्रणाली को महत्व देंगी।
- राहत की आवश्यकताओं का आकलन करना और आपदा प्रभावितों के लिए राहत सहायता प्रदान करना।
- घरेलू सहायता प्राप्त करने, प्रबंध करने और वितरित करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर मानदंड और संस्थागत तंत्र का होना है।

ख. जलवायु परिवर्तन वार्ता के तहत अनुकूलन सहित हानि और क्षति

एनडीएमए ने हानि और क्षति तथा अनुकूलन से संबंधित मुद्दों पर भारत की ओर से यूएनएफसीसीसी में वार्तालाप की। जलवायु परिवर्तन वार्ता के तहत निम्नलिखित गतिविधियाँ शुरू की गईं:

- हानि और क्षति तथा फंड पर मोचन करने के लिए नए वित्तपोषण की व्यवस्था:** वर्तमान में, मानव-जनित जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले नुकसान और क्षति का समाधान करने के लिए यूएनएफसीसीसी के तहत कोई वित्तपोषण की व्यवस्था मौजूद नहीं है। नुकसान और क्षति पर वारसॉ इंटरनेशनल मैकेनिज्म, तकनीकी सहायता के लिए सैंटियागो नेटवर्क, जोखिम हस्तांतरण के लिए फिजी क्लियरिंग हाउस और ग्लासगो डायलॉग जैसी पहल केवल तकनीकी सहायता प्रदान करने का मंच हैं। सीओपी 27 में, विकासशील देशों की सहायता के लिए नई फंडिंग व्यवस्था स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जो विशेष रूप से नुकसान और क्षति का मोचन करने में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति संवेदनशील हैं, जिसमें नई और अतिरिक्त संसाधन के जुटाव में सहायता प्रदान करके नुकसान और क्षति का समाधान करने पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है, और ये नई व्यवस्थाएं कन्वेंशन और पेरिस समझौते (एफसीसीसी/सीपी/2022/एल.18) के तहत और बाहर के स्रोतों, फंडों, प्रक्रियाओं और पहलों की पूरक शामिल हैं। भारत ने इस फंड की स्थापना के लिए वार्ता का नेतृत्व

किया जिसमें इस मामले पर स्थिति पत्रों का मसौदा तैयार करना और वार्ता ब्लॉकों के साथ समन्वय शामिल था।

II. नुकसान और क्षति की भरपाई करने और फंड के लिए नए वित्तपोषण की व्यवस्था के संचालन के लिए एक अन्तर्वर्ती समिति स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया था। भारत का प्रतिनिधित्व संयुक्त सचिव श्री कुणाल सत्यार्थी करेंगे; एनडीएमए को एशिया प्रशांत समूह की ओर से अन्तर्वर्ती समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। फंड के संचालन से संबंधित विभिन्न मामलों पर तकनीकी सलाह प्राप्त करने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधियों, वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों के साथ एक तकनीकी सलाहकार समूह (टीएजी) का गठन किया गया है।

III. **सैंटियागो हानि और क्षति नेटवर्क (एसएनएलडी):** हानि और क्षति पर वारसा अंतर्राष्ट्रीय तंत्र के हिस्से के रूप में सैंटियागो नेटवर्क को, विशेष रूप से जलवायु के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति संवेदनशील विकासशील देशों में, संबंधित दृष्टिकोण के कार्यान्वयन हेतु संबंधित संगठनों की तकनीकी सहायता करने के लिए 2019 को COP25 में स्थापित किया गया था। इसमें लिए गए निर्णय (एफसीसीसी/सीपी/2022/एल.5/रेव.1 और एफसीसीसी/पीए/सीएमए/2022/एल.4, क्रमशः) में, सीओपी सैंटियागो नेटवर्क पर, विशेष रूप से संरचना पर, सीएमए निर्णय का समर्थन करता है, अर्थात् एक मेजबानी सचिवालय जो इसके काम को सुविधाजनक बनाएगा, जिसे सैंटियागो नेटवर्क सचिवालय के रूप में जाना जाएगा, नेटवर्क के कार्यों के प्रभावी कार्यान्वयन पर सैंटियागो नेटवर्क सचिवालय को मार्गदर्शन और निगरानी प्रदान करने के लिए एक सलाहकार बोर्ड, और हानि और क्षति को रोकने, कम करने और समाधान करने के लिए संबंधित विषयों की व्यापक श्रृंखला कवर करने वाले ओबीएनई सदस्य का एक नेटवर्क है। एनडीएमए ने देश की स्थिति तैयार की और COP27 में वार्ता का नेतृत्व करने के लिए अन्य वार्ता ब्लॉकों के साथ मिलकर काम किया। एनडीएमए ने देश का दृष्टिकोण निर्मित किया और

COP27 में वार्ता का नेतृत्व करने के लिए अन्य वार्ता ब्लॉकों के साथ मिलकर कार्य किया।

IV. **अनुकूलन संचार:** वर्तमान में, भारत के लिए पहले अनुकूलन संचार का मसौदा तैयार किया जा रहा है। इनपुट प्रदान करने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, विषयों और क्षेत्रों के साथ सात सेक्टर कार्य समूहों का गठन किया गया है। एनडीएमए आपदा प्रबंधन और प्रतिरोधी संरचना कार्य समूहों का नेतृत्व कर रहा है जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों, वैज्ञानिक संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

3.8 भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आपदा प्रबंधन योजना:

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आपदा प्रबंधन योजनाओं (डी.एम.पी.) की तैयारी में सहायता के लिए, एन.डी.एम.ए. ने 'आपदा प्रबंधन योजना हेतु प्रस्तावित संरचना-भारत सरकार के विभागों/मंत्रालयों का सृजन किया और उसे सभी संबंधितों को परिचालित किया। नीति एवं योजना-डीएम योजना टेम्प्लेट्स के अंतर्गत एन.डी.एम.ए. की वेबसाइट www.ndma.gov.in पर यह उपलब्ध है। डीएम योजना के लिए एक सरल टेम्प्लेट उन मंत्रालयों/विभागों, के लिए तैयार किया गया है, जो आपदा प्रबंधन से प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है।

डीएमपी पर मंत्रालयों से बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) और उनके उत्तरों की एक सूची सभी मंत्रालयों/विभागों को परिचालित की गई है और एनडीएमए की वेबसाइट में नीति और योजना - डीएम प्लान टेम्प्लेट के तहत अपलोड भी किया है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 37 के अनुसार भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी के मामले को उनके साथ बैठकों में और अ.शा. पत्रों के माध्यम से लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है।

(31.03.2023 के अनुसार) एनडीएमए ने नीचे दिए गए भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आपदा प्रबंधन

योजनाओं का अनुमोदन किया:

1. कार्पोरेट कार्य मंत्रालय
2. मत्स्य विभाग
3. पशु पालन एवं डेयरी विभाग
4. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
5. इस्पात मंत्रालय
6. परमाणु ऊर्जा विभाग
7. कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की सामान्य योजना अर्थात: राष्ट्रीय कृषि आपदा प्रबंधन योजना)
8. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की सामान्य योजना अर्थात: राष्ट्रीय कृषि आपदा प्रबंधन योजना)
9. विद्युत मंत्रालय
10. कोयला मंत्रालय
11. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
12. पंचायती राज मंत्रालय
13. कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
14. न्याय विभाग

(31.03.2023 के अनुसार) एनडीएमए ने नीचे दिए गए भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आपदा प्रबंधन योजनाओं (डीएमपी) की जांच की और उनके संशोधन के लिए टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं:

1. आयुष मंत्रालय
2. उर्वरक विभाग
3. नागर विमानन मंत्रालय

4. वाणिज्य विभाग
5. उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग
6. दूरसंचार विभाग
7. संस्कृति मंत्रालय
8. रक्षा उत्पादन विभाग
9. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
10. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
11. भारी उद्योग विभाग
12. आंतरिक सुरक्षा विभाग
13. राज्यों का विभाग
14. राजभाषा विभाग
15. गृह विभाग
16. जम्मू, कश्मीर और लद्दाख कार्य विभाग
17. सीमा प्रबंधन विभाग
18. आवासीय और शहरी मामलों का मंत्रालय
19. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
20. सूचना और प्रसारण मंत्रालय
21. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
22. पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय
23. खान मंत्रालय
24. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
25. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
26. रेल मंत्रालय
27. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
28. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
29. युवा कार्य विभाग

30. अंतरिक्ष विभाग
31. विदेश मंत्रालय
32. लोक उद्यम विभाग
33. ग्रामीण विकास विभाग
34. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
35. औषध विभाग
36. भूमि संसाधन विभाग
37. आर्थिक कार्य विभाग
38. रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग
39. उपभोक्ता मामले विभाग
40. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
41. जैव प्रौद्योगिकी विभाग

3.9 योजना जिसका अनुपालन किया जाना शेष है:

- क. **आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई फ्रेमवर्क को लागू करना:** आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई फ्रेमवर्क योजना को वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान तीन वर्षों के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने के लिए एनडीएमए द्वारा फरवरी, 2019 में 2010.6 लाख रुपए की राशि का अनुमोदन किया गया था। पूरी परियोजना को लागू करने की अवधि, वर्ष 2018-19 से बढ़ा कर 2025-2026 कर दिया गया है और इसे सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में परियोजना लागू करने की तिथि से तीन वर्ष के लिए लागू किया जा सकता है।

योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एसडीएमए में एक आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ की नियुक्ति करने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान करता है। आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क को लागू करने के उपायों को अपनाने में राज्य प्रशासन की सुविधा/सहायता प्रदान करेंगे। योजना के संघटकों के लिए वित्तीय सहायता के विवरण निम्नानुसार हैं:

- क. 1 लाख रु. प्रति मास की दर पर एक वरिष्ठ परामर्शदाता को हायर करना।
- ख. 22,000/-रु. प्रति मास की दर पर एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को हायर करना।
- ग. पहले वर्ष 25,000/रु. प्रति मास की सीलिंग, दूसरे वर्ष 27,500/-रु. प्रति मास की सीलिंग और तीसरे वर्ष 30,250/-रु. प्रति मास की सीलिंग के साथ वाहन को किराए पर लेना।
- घ. कार्यालय की स्थापना हेतु 2.00 लाख रु. (एककालिक) की वित्तीय सहायता।

योजना के अंतर्गत (25.05.2023 की स्थिति के अनुसार) राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है :

योजना के तहत जारी कुल धनराशि		
वित्त वर्ष	जारी की गई धनराशि (लाख रुपये में)	राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या
2018-19	594.56	29 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश
2019-20	22.16	3 केंद्र शासित प्रदेश
2020-21	134.90	7 राज्य 1 केंद्र शासित प्रदेश
2021-22	235.26042	11 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश
2022-23	219.014	10 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश
2023-24	41.07253	4 राज्य
कुल योग	1246.96695	

ख. 115 चिह्नित पिछड़े जिलों में से खतरा बहुल जिलों के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डीडीएमए) का सुदृढीकरण: 115 चिह्नित पिछड़े जिलों में से खतरा बहुल जिलों के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डीडीएमए) के सुदृढीकरण की योजना को गोवा को छोड़कर, जहां किसी पिछड़े जिले की पहचान नहीं की गई है, सभी राज्यों में योजना के शुरू होने की तारीख से, 2018-19 से 2025-26 के दौरान, तीन वर्षों तक लागू करने के लिए 28.98 करोड़ रु. लागत की एनडीएमए द्वारा मंजूरी दे दी गई है।

इस योजना में 28 राज्यों में 115 चिह्नित जिलों के प्रत्येक खतरा बहुल क्षेत्रों में योजना की अवधि के दौरान 70,000/रु. (सत्तर हजार) की दर पर एक आपदा प्रबंधन (डीएम) पेशेवर को नियुक्त करने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। डीएम पेशेवर आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई रूपरेखा के कार्यान्वयन हेतु उपाय करने के लिए जिला प्रशासन को सुविधा देने/सहायता देने का कार्य करेगा।

इस योजना (25.05.2023 की स्थिति के अनुसार) के अंतर्गत राज्यों को जारी राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

योजना के तहत जारी कुल धनराशि		
वित्त वर्ष	जारी की गई धनराशि (लाख रुपये में)	राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या
2018-19	524.30	27 राज्य
2019-20	315.00	18 राज्य
2020-21	221.20	11 राज्य
2021-22	287.00	11 राज्य 1 केंद्र शासित प्रदेश
2022-23	226.80	5 राज्य 1 केंद्र शासित प्रदेश
कुल योग	1574.30	

3.10 परियोजनाएं पूरी हुई/अपूर्ण कार्यान्वयन:

क. भारत के चार शहरों में लू से संबंधित स्वास्थ्य खतरों की अतिसंवेदनशीलता और सीमा (थ्रेशहोल्ड) का मूल्यांकन:

भारत के शहर: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रधिकरण (एनडीएमए) ने भारत के चार शहरों अर्थात ओंगले (आंध्र प्रदेश), करीमनगर (तेलंगाना), अंगुल (ओडिशा) और कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में 48,98,300/-रुपए की एक अनंतिम लागत से लू से संबंधित स्वास्थ्य खतरों के अतिसंवेदनशीलता और सीमा (थ्रेशहोल्ड) के मूल्यांकन पर अध्ययन के लिए दिसंबर, 2019 को भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य फाउंडेशन (पीएचएफआई), हरियाणा को एक परियोजना दी है।

इस अध्ययन से देश में चार शहरों/कस्बों में लू के संपर्क में आने से स्वास्थ्य पर प्रभाव संबंधी आंकलन करेगा। इसके अतिरिक्त देश के चार शहरों/कस्बों में ग्रीष्म लहर के बोझ का भी आंकलन करेगा और इन चार शहरों पर वर्तमान सामाजिक-सांस्कृतिक पद्धतियों का मैप तैयार करेगा। यह उन अवसरों और चुनौतियों का पता लगाएगा और उनके दस्तावेज तैयार करेगा जो संबंधित जोखिमों के न्यूनीकरण के संबंध में से असुरक्षित आबादी सामना कर रही है। इसके अलावा इस अध्ययन से भारत के चार शहरों को इस नीति की जानकारी देने के लिए मजबूत साक्ष्य मिलेंगे जिससे वर्तमान राज्य-क्षेत्रवार भारतीय मौसम चेतावनी प्रणाली को मजबूत करेंगे। नीति का संक्षिप्त विवरण जो प्रत्येक राज्य के लिए विकसित किया जाएगा, ग्रीष्म लहर से निपटने के लिए तैयारियों में सुधार के लिए राज्य विशिष्ट सुझाव प्रदान करेगा।

पीएचएफआई ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और इसे एनडीएमए ने स्वीकार कर लिया है। अध्ययन में चार अलग-अलग भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले चार अलग-अलग शहरों के लिए भौगोलिक समायोजन की सीमा के लिए गर्मी से संबंधित संवेदनशीलता और तापमान सीमा में गुणात्मक वृद्धि हुई है। इस विश्लेषण की निष्कर्ष नीति से निर्माताओं को मुद्दे की गंभीरता के बारे में सवालों के जवाब दे सकते हैं, और तंत्र का अनुकरण करने के लिए रणनीति विकसित कर सकते हैं। इस अध्ययन के निष्कर्ष कई शहरी स्थानीय निकायों के बीच कार्रवाई के लिए

प्राथमिकताओं को स्थापित करने में सहायता कर सकते हैं। इस अध्ययन के निष्कर्ष से शहर विशिष्ट लू कार्य योजना के लिए एक रणनीतिक ढांचे को विकसित करने में बढ़ावा दे सकते हैं, जो गर्मी में स्वास्थ्य के खतरों को ध्यान रखने और कम करने की कल्पना करता है। अध्ययन से गर्मी से संबंधित स्वास्थ्य खतरों से निपटने के लिए लघु, मध्य और दीर्घकालिक सामान्य नीतिगत की अनुसंधान प्राप्त होती है। परियोजना के कार्यान्वयन में 48,05,295/- रुपये की राशि खर्च की गई। पीएचएफआई को राशि का भुगतान भी कर दिया गया है। परियोजना पूरी हो चुकी है।

ख. **भारतीय शहरों के लिए लू संवेदनशीलता मैपिंग और मॉडल लू कार्य योजना के लिए रूपरेखा विकसित करना:** एनडीएमए ने भारतीय शहरों के लिए लू संवेदनशीलता मैपिंग और मॉडल लू कार्य योजना की रूपरेखा विकसित करने के लिए विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (वीएनआईटी), नागपुर को 46,94,612/-रुपए की अनंतिम लागत राशि सौंप दी है।

परियोजना के सुपुर्दगी में शामिल हैं:

- क. आउटडोर थर्मल कम्फर्ट, मौसम विज्ञान संबंधी मापदंडों और आकृति-मूलक मापदंडों के बीच संबंध दिखाने वाले अध्ययन
- ख. विदर्भ क्षेत्र के 2 शहरों के लिए लू संवेदनशीलता मैप
- ग. किसी चयनित शहर के लिए लू कार्य योजना
- घ. एचवी मैपिंग के लिए जेनरिक पद्धति
- ङ. मॉडल एचएपी के लिए रूपरेखा

वीएनआईटी ने परियोजना के लिए 5वीं छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उक्त रिपोर्ट को एनडीएमए स्वीकार कर लिया है। यह अध्ययन दिसंबर, 2023 तक पूरा होने की संभावना है।

ग. **वनाग्नि प्रबंधन के संबंध में सर्वोत्तम पद्धतियों और स्वदेशी तकनीकी ज्ञान का संग्रह:** एनडीएमए ने अप्रैल, 2021 में 28,49,000/- रुपये की अनुमानित लागत से

एफआरआई, देहरादून को “वनाग्नि प्रबंधन के संबंध में सर्वोत्तम पद्धति और स्वदेशी तकनीकी ज्ञान का संग्रह” की तैयारी नामक एक परियोजना प्रदान की है और कार्य प्रगति पर है। परियोजना की निम्नलिखित उद्देश्यों पर सूचना और विश्लेषण को संकलित करने वाली एक रिपोर्ट होगी:

- क. विभिन्न राज्यों से वनाग्नि की रोकथाम और नियंत्रण के स्वदेशी ज्ञान और पारंपरिक पद्धतियों के बारे में जानकारी एकत्र करना।
- ख. सीमांत वन गांवों के लोगों जहां वनाग्नि की रोकथाम और नियंत्रण के लिए पारंपरिक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है, से (सीधे/प्रश्नावली सर्वेक्षण के माध्यम से) बातचीत करना, सीमांत वनों के निकट रहने वाले ग्राम समुदायों के पास उपलब्ध अग्नि निवारण और नियंत्रण के स्वदेशी ज्ञान का संकलन करना।
- ग. पारंपरिक पद्धतियों को आधुनिक अग्निशामक प्रणाली में मुख्यधारा में कैसे लाया जाए उसका विश्लेषण करना।

परियोजना की प्रगति की समीक्षा के लिए 21 मार्च, 2022 को वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई) के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई थी।

एनडीएमए द्वारा समीक्षा किये जाने के मसौदा संग्रह प्राप्त हुआ था। एनडीएमए ने सार-संग्रह की जांच की और इसे अंतिम रूप देने के लिए एफआरआई, देहरादून को अपनी टिप्पणियां साझा कीं। अंतिम दस्तावेज़ एफआरआई द्वारा प्रस्तुत किया गया था और वर्तमान में इसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।

अध्याय-4

आपदा खतरा प्रशमन परियोजनाएं / गतिविधियां

क. राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एनसीआरएमपी)

4.1 भारत सरकार ने राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन (एनसीआरएमपी) की मंजूरी इस व्यापक उद्देश्य की पूर्ति के लिए दी है जिससे की चक्रवात संवेदनशीलता को कम किया जाए और अवसंरचनाओं एवं लोगों को आपदा के प्रति सहनशील बनाया जाए जो भारत के चक्रवात खतरा संभावित राज्यों/यूटी के तटीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण के अनुकूल हो।

इस परियोजना के चार घटक हैं;

- i) घटक क : अंतिम छोर तक संपर्क सुनिश्चित करने वाली पूर्व-चेतावनी प्रसारण प्रणाली
- ii) घटक ख : चक्रवात जोखिम प्रशमन अवसंरचना जैसे, बहु-उद्देशीय चक्रवात आश्रय-स्थल सुरक्षित विकास हेतु सड़कें, पुल, लवणीय तटबंध एवं भूमिगत केबलिंग
- iii) घटक ग : बहु-खतरा जोखिम प्रबंधन और क्षमता निर्माण हेतु तकनीकी सहायता और
- iv) घटक घ : परियोजना प्रबंधन और कार्यान्वयन सहायता।

घटक क, ग और घ पूर्णतः केंद्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं और घटक ख का वित्त पोषण केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा क्रमशः 75:25 के अनुपात में होता है। केंद्रीय सरकार का हिस्सा विश्व बैंक सहायता (ऋण) द्वारा वित्तपोषित

है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इस परियोजना का कार्यान्वयन निकाय है। परियोजना को निम्नलिखित दो चरणों में केंद्र प्रायोजित परियोजना (सीएसएस) के रूप में मंजूरी दी गई है।

4.2 एनसीआरएमपी का प्रथम चरण आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए जनवरी, 2011 में मंजूर किया गया था। यह परियोजना दिसंबर 2018 में 2440 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ पूरी हुई।

4.3 एनसीआरएमपी का दूसरा चरण गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए 2361.35 करोड़ रु. की लागत की मंजूरी जुलाई 2015 में दी गई और इस परियोजना को पूरा करने की तारीख 15.03.2021 रखी गई। एनसीआरएमपी चरण-II के लिए परिव्यय को दो बार संशोधित किया गया और अंतिम परिव्यय 1864.38 करोड़ रुपए है। यह परियोजना मार्च, 2023 में पूरी की गई। हालाँकि, परियोजना को अंतिम रूप से बंद करने की छूट अवधि जुलाई, 2023 है। योजना के तहत 1829.85 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है, जिसमें से मार्च 2023 तक का व्यय 1711.12 करोड़ रुपए था। वेन्डर्स को अंतिम भुगतान की प्रक्रिया चल रही है और जुलाई 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा।

4.4 पूर्व चेतावनी और प्रसार प्रणाली (ईडब्ल्यूडीएस) स्थापित की जा चुकी है और 2 तटीय राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश और ओडिशा में शुरू की गई है। गोवा, कर्नाटक और केरल में ईडब्ल्यूडीएस का काम प्रगति पर है और जुलाई 2023 तक पूरा होने की संभावना है। कुल

795 बहु-उद्देश्यीय चक्रवात आश्रय केंद्र (एमपीसीएस), 1291.52 किलोमीटर सड़कें, 118.18 किलोमीटर लवणीय तटबंध (एसई), 1331.97 किलोमीटर भूमिगत इलेक्ट्रिक केबलिंग (यूजीसी) और 36 पुलों का निर्माण एनसीआरएमपी के तहत किया गया है।

- 4.5 आपदा जोखिमों को कम करने और विभिन्न सरकारी विभागों और समुदायों की क्षमता को मजबूत करने के हिस्से के रूप में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण परियोजना के उप-घटकों में से एक है। 24,007 सरकारी अधिकारियों को विभिन्न विषयों पर 889 क्षमता निर्माण प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित करने के साथ-साथ 68,988 सामुदायिक प्रतिनिधियों को भी एनसीआरएमपी चरण-I और चरण-II के तहत 3,378 आश्रय-स्थल स्तर का भी प्रशिक्षण दिलाया गया है।
- 4.6 इसके अलावा, आश्रय व्यवस्था को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए 8 परियोजना राज्यों में 795 चक्रवात आश्रय प्रबंधन और रखरखाव समितियों का भी गठन किया गया है। प्रत्येक समिति में विभिन्न सरकारी अधिकारी, सामुदायिक प्रतिनिधि, महिलाएं और कमजोर वर्ग के प्रतिनिधि आदि की भागीदारी शामिल थी। एनसीआरएमपी के तहत निर्मित चक्रवात आश्रयों का उपयोग कोविड-19 महामारी और हाल के चक्रवातों के दौरान विभिन्न राहत और पुनर्वास उद्देश्यों के लिए किया गया था किया जा रहा है।

4.7 एनसीआरएमपी में अपनाए गए निम्नलिखित गैर-संरचनात्मक अवरोध इस प्रकार हैं:

- I. **वेब आधारित गतिशील समग्र जोखिम एटलस और निर्माण सहायता प्रणाली (वेब डीसीआरए-डीएसएस)** स्थान विशिष्ट चक्रवात, हवा की गति और तूफानी लहरों के कारण बाढ़ स्तर, चक्रवात प्रेरित वर्षा और नदी बाढ़ के कारण जलप्लावन के स्तर के लिए एक वास्तविक समय प्रभाव पूर्वानुमान उपकरण है। इस जानकारी का उपयोग राज्यों द्वारा निकासी योजना और प्रतिक्रिया के साथ-साथ प्रशमन योजना में भी किया जा सकता है।
- II. **व्यापक बहु-खतरा जोखिम वित्तपोषण रणनीति (सीएमएचआरएफएस)** आपदाओं के मामले में राज्यों के लिए जोखिमों की मात्रा निर्धारित करने और वित्तीय जोखिम हस्तांतरण के लिए रणनीति विकसित करने का अध्ययन करती है।
- III. **जल-मौसम संबंधी समुत्थानशील कार्य योजना (एचएमआरएपी)** छह परियोजना तटीय शहरों में विभिन्न खतरों और जलवायु परिवर्तन के लिए प्रभावी ढंग से योजना बनाने और मोचन करने के लिए यूएलबी को मजबूत करने का अध्ययन करता है।

एनसीआरएमपी I और II के तहत बनाई गई परिसंपत्तियों की तस्वीरें



ईडब्ल्यूडीएस स्पैन टावर, गंजम, ओडिशा



ईडब्ल्यूडीएस मोनोपोल, गंजम, ओडिशा



निकासी मार्ग ब्रिज, कर्नाटक



निकासी मार्ग पुल, आंध्र प्रदेश



लवणीय तटबंध, ओडिशा



लवणीय तटबंध, कर्नाटक



भूमिगत केबलिंग उपकरण, गोवा



भूमिगत केबलिंग उपकरण, पश्चिम बंगाल

एनसीआरएमपी I और II के तहत बहुउद्देश्यीय चक्रवात आश्रयों का निर्माण किया गया



आंध्र प्रदेश



ओडिशा



पश्चिम बंगाल



केरल



गुजरात



कर्नाटक

एनडीएमए के प्रशमन प्रभाग की पहल


4.8 प्रशमन प्रभाग ने ख्याति प्राप्त संस्थानों/संगठनों के माध्यम से बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, रासायनिक, जैविक, विकिरणीय और नाभिकीय आदि प्राकृतिक और मानव-निर्मित आपदाओं के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए क्रॉस कटिंग विषय पर प्रायोगिक परियोजना (पायलट प्रोजेक्ट) को स्वीकार किया है और उसके अध्ययन किए। एनडीएमए द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाएं/कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:-

क. नाभिकीय और विकिरणीय

4.9 मोबाइल विकिरण पहचान प्रणाली (एमआरडीएस):

- एनडीएमए ने एक प्रायोगिक परियोजना आंशिक रूप से पूरी की है जिसके तहत 56 शहरों के पुलिस विभागों को सार्वजनिक स्थलों पर विकिरणीय आपातस्थिति से निपटने के लिए मोबाइल विकिरण पहचान प्रणाली (एमआरडीएस) से लैस किया गया है। 930 पुलिस गश्ती वाहनों को गो-नो-गो उपकरणों से सुसज्जित किया गया और 339 पुलिस स्टेशनों को विकिरणीय माप उपकरण और सुरक्षा किट प्रदान किए गए हैं।

- इस परियोजना के तहत, इस परियोजना के तहत शहरों में लगभग 430 पुलिस कर्मियों/एनडीआरएफ को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। एनडीएमए ने मुंबई के चार पुलिस स्टेशनों (फोटो संलग्न) में नमूना आधार पर इस उपकरण के उपयोग के लिए जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन का सत्यापन किया है। कुछ कमियों वाले क्षेत्र जैसे इस उपकरण के उपयोग के बारे में पुलिस कर्मियों की जागरूकता की कमी; पुलिस वाहन में उपकरण गायब और निष्क्रिय पाये गए। मध्यावधि मूल्यांकन के लिए एक चेक लिस्ट तैयार की गई थी और चयनित शहरों/पुलिस स्टेशनों पर जागरूकता सृजन-सह-मध्यावधि मूल्यांकन के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। एमआरडीएस उपकरणों के वार्षिक रखरखाव अनुबंध को अंतिम रूप देने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) के साथ दो बैठकें आयोजित की गईं। नमूना मध्यावधि मूल्यांकन करने, एमसी को अंतिम रूप देने और एमआरडीएस से संबंधित सभी गतिविधियों को व्यक्तिगत पुलिस स्टेशन या एसडीएमए को सौंपने की योजना बनाई गई है।





4.10 बंदरगाहों/हवाई अड्डों पर आपातकालीन प्रबंधकों के लिए रासायनिक, जैविक, विकिरणीय एवं नाभिकीय (सीबीआरएन) आपातकाल प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण:

सीबीआरएन आपातस्थिति की तैयारी में सुधार लाने के लिए प्रमुख हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण का आयोजन जारी किया जा रहा है। सीबीआरएन प्रशिक्षण कार्यक्रम में मूलभूत खतरा, सुरक्षा कार्रवाई, हैंड्स-ऑन, फील्ड अभ्यास को शामिल किया जाता है जिसका लक्ष्य घटना स्थल पर प्रशिक्षित मोचकों के पहुंचने तक सीबीआरएन संबंधी दुर्घटनाओं की रोकथाम और बंदरगाह पोर्ट प्रशमन के लिए तैयार करना है। चरण-I में सीबीआरएन आपातकाल प्रबंधन का बुनियादी प्रशिक्षण के 25 बैच पूरे हो चुके हैं और विभिन्न अभिकरणों के लगभग 1400 स्टाफ सदस्यों को जो पोर्ट प्रचालन के उत्तरदायी हैं, उन्हें विषय विशेषज्ञों और एनडीआरएफ द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। चरण-II में 11 पोर्ट पर बुनियादी प्रशिक्षण कराया जा चुका है। वर्ष 2022-23 से अब तक एनडीएमए ने 6 हवाई अड्डों और तीन बंदरगाहों (जयपुर, लखनऊ, रायपुर, गुवाहटी, अहमदाबाद, एमओपीए-न्यू गोवा हवाई अड्डा और एनएनपीटी-चेन्ने, कोलकाता) में प्रशिक्षण पूरे कर लिए हैं।



4.11 एनडीआरएफ एसओपी और आईआरबी दस्तावेजों की समीक्षा:

- एनडीएमए को एनपीपी साइट पर कृत्रिम अभ्यास के लिए एनडीआरएफ से एक एसओपी प्राप्त हुआ। इस एसओपी दस्तावेज की समीक्षा की गई और समीक्षा टिप्पणियाँ तैयार की गईं। टिप्पणियों के अनुमोदन के बाद, इसे 12 अक्टूबर, 2022 को आईजी एनडीआरएफ को भेजा गया था। एनडीएमए को “नाभिकीय और विकिरणीय आपात प्रबंधन” (आईआरबी/एनएफआर/एससी/एनआरई) पर परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (आईआरबी) सुरक्षा कोड टिप्पणियों के लिए प्राप्त हुआ। एनडीएमए के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के बाद टिप्पणियाँ तैयार की गईं और आईआरबी को भेजी गईं। इसके बाद, एनडीएमए द्वारा स्वीकृति के लिए प्रतिक्रियाओं की समीक्षा की गई।

4.12 नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र दुर्घटना में एनडीएमए की कार्य योजना और तैयारी:

- वर्तमान में संचालित एनपीपी वाले जिलों के जिला अधिकारियों/डीएम/डीसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक आयोजित की गई, ताकि उनके जिले में किसी भी परमाणु आपातकाल से निपटने के लिए उनकी तैयारियों पर चर्चा की जा सके और उस पर फीडबैक प्राप्त किया जा सके। गृह मंत्रालय की आवश्यकता के अनुसार, एनपीपी की ऑफ-साइट आपातकाल के दौरान एनडीएमए की भूमिका और जिम्मेदारियों

पर प्रकाश डालते हुए एक मसौदा प्रस्तुति तैयार की गई थी। पीपीटी को एनडीएमए द्वारा अंतिम रूप दिया गया और बाद में, एकल प्रस्तुति के लिए एनडीआरएफ की पीपीटी के साथ जोड़ दिया गया। यह पीपीटी 17 अप्रैल, 2022 को सचिव एमएचए, सचिव आईसी, सीएमडी एनपीसीआईएल की उपस्थिति में सदस्य सचिव, एनडीएमए और डीजी एनडीआरएफ द्वारा माननीय गृह मंत्री को प्रस्तुत किया गया था। माननीय गृह मंत्री से कुल 15 निर्देश/सिफारिशें प्राप्त हुईं। एनडीएमए से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) सभी हितधारकों (डीईई, एनपीसीआईएल, आईआरबी, एनडीआरएफ और एमएचए) को प्रस्तुत की गई और सामंजस्यपूर्ण और समेकित एटीआर तैयार करने के लिए एमओएम परिचालित किया गया था। सभी हितधारकों से मिले इनपुट के आधार पर, एनडीएमए द्वारा संयुक्त एटीआर तैयार की गई और अनुमोदन के बाद, इसे 5 जुलाई 2022 को एमएचए को भिजवा दिया गया। एनडीएमए से संबंधित एटीआर के बारे में अपडेट प्रस्तुत करने के लिए, सचिव (प्रभारी) एनडीएमए, सदस्य (आरएस) और (केएसवी) एनडीएमए ने केकेएनपीपी, केएपीएस एनपीपी, एमएपीएस एनपीपी, टीएपीएस, एनपीपी और केजीएस एनपीपी साइट का दौरा किया और संबंधित साइटों की ऑफ-साइट आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा की और एनपीसीआईएल और आईआरबी के साथ साइट पर बैठकें कीं। अद्यतन एटीआर 4 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्रालय को भेजा गया था।



4.13 नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र (एनपीपी) के लिए ऑफ-साइट और साइट आपातकालीन अभ्यास (ओएसईई)

- एनपीपी के लिए ओएसईई का आयोजन करने के लिए एनपीसीआईएल ने नई पद्धतियां (टेबल-टॉप, समेकित कमांड, नियंत्रण और प्रतिक्रिया (आईसीसीआर) तथा जनता की सहभागिता से पूर्ण अभ्यास) तैयार की है। एनडीएमए टीम ने क्रमशः 2 सितंबर और 11 अक्टूबर, 2022 को साइट और ऑफ-साइट आपातकालीन अभ्यास में भाग लिया और उसका अवलोकन किया।



4.14 केजीएस साइट पर बारम्बार बाढ़ की घटना और आपातकालीन तैयारियों पर प्रभाव के संबंध में समीक्षा और कार्य योजना:

- ईआईआरबी सुरक्षा समिति के निर्देशों के आधार पर, कैगा जेनरेटिंग स्टेशन (केजीएस) के स्टेशन निदेशक से एक नोट प्राप्त हुआ, जिसमें एनपीपी और आवासीय कॉलोनी/पड़ोस के इलाकों को जोड़ने वाले आसपास के क्षेत्रों में 2019 और 2021 के दौरान दो मौकों पर जल जमाव/बाढ़ की घटना पर प्रकाश डाला गया। इस नोट की समीक्षा प्रस्तावित कार्य योजना जैसे डीडीएमपी को अद्यतन करने, वैकल्पिक निकासी मार्गों, आपातकालीन संचार सुविधाओं, आश्रयों और



भोजन तथा अन्य आवश्यक आपूर्ति में व्यवधान के संबंध में की गई थी। समीक्षा टिप्पणियों के आधार पर, एनपीसीआईएल ने भविष्य में इस तरह की बाढ़ से निपटने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों उपायों का संकेत देते हुए जवाब प्रस्तुत इन जवाबों के आधार पर, 10 सितंबर, 2022 को स्थल का सत्यापन किया गया।

4.15 माध्यमिक स्तर के सीबीआरएन चिकित्सा प्रबंधन केंद्रों के निर्माण की समीक्षा:

- केंद्रीय सेक्टर योजना “स्वास्थ्य सेक्टर आपदा तैयारी और मोचन” के तहत निर्धारित शहरी/अर्ध-शहरी/ग्रामीण अस्पतालों में सीबीआरएन चिकित्सा प्रबंधन केंद्रों का निर्माण गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अनुमोदित योजना के अनुसार, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की ऑफ-साइट योजनाओं के अंतर्गत आने वाले चिन्हित अस्पतालों और आतंकवाद के प्रति संवेदनशील शहरों में माध्यमिक स्तर के केंद्र (10 संख्या) स्थापित किए जाएंगे। उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं, विशिष्टताओं, संरचनात्मक योजनाओं और तकनीकी विशिष्टताओं की समीक्षा की गई और टिप्पणियों को कार्यान्वयन के लिए अग्रेषित किया गया। केंद्रीय सेक्टर योजना के तहत 10 माध्यमिक और तीसरे स्तर के 2 सीबीआरएन अस्पताल को अंतिम रूप देने के लिए 3 मार्च 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

के सचिव (स्वास्थ्य) के साथ बैठक आयोजित की गई थी।

4.16 एसओपी-6 को अद्यतन करना और गृह मंत्रालय को प्रस्तुतिकरण

- नाभिकीय/विकिरणीय आपात स्थितियों के प्रबंधन पर यह गोपनीय एसओपी सभी हितधारकों के साथ उचित परामर्श के बाद अधिकारियों के समूह (समूह-6) द्वारा तैयार किया गया है। सभी टिप्पणियों को शामिल करने के बाद, यह दस्तावेज़ अगस्त 2021 में एमएचए को प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद, समूह-6 के तहत अन्य सभी एसओपी के साथ अद्यतन एसओपी-6 के अनुरूप बनाने के लिए फरवरी 2022 में एमएचए में एक बैठक आयोजित की गई थी।

4.17 एसओपी-24 की तैयारी एवं अंतिम रूप देना

- एसओपी-24 को अंतिम रूप दे दिया गया है और टिप्पणियों की समीक्षा अभी लंबित है। यह गृह

मंत्रालय के अगले निर्देशों के आधार पर की जाएगी।

4.18 HAZMAT वाहन की खरीद:

- G-20 शिखर सम्मेलन के लिए HAZMAT वाहन तकनीकी विनिर्देश के अंतिम रूप की एनडीआरएफ को तत्काल आवश्यकता थी। चार संयुक्त बैठकों के बाद, एनडीआरएफ द्वारा 4 वाहनों के खरीद आदेश को अंतिम रूप दिया गया।

ख. भूकंप और सुनामी

4.19 तकनीकी शिक्षा के लिए इंजीनियरिंग/आर्किटेक्चर कॉलेज में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण संसाधन सामग्री का विकास

- भारत का लगभग 58.6% भूभाग मध्यम से गंभीर भूकंपीय झटकों के खतरे के प्रति संवेदनशील है और 80% भारतीय आबादी इन क्षेत्रों में रहती है। पिछले भूकंपों से यह स्पष्ट है कि अगर इमारतों को ठीक से डिजाइन नहीं किया गया तो उन्हें नुकसान होता है। अधिकांश मामलों में, यह पाया गया है कि बड़ी संख्या में मौजूदा इमारतों में बीआईएस कोड में निर्दिष्ट भूकंप रोधी विशेषताएं नहीं हैं। इंजीनियरिंग/आर्किटेक्चर कॉलेजों में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में संसाधन सामग्री की अनुपलब्धता होने के कारण खराब डिजाइन या निर्मित वातावरण के निर्माण से होती है। इसलिए, सिविल इंजीनियरिंग/आर्किटेक्चर विषय में स्नातक के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता है।

- यह परियोजना आईआईटी बॉम्बे को सौंप दी गई है। परियोजना का दायरा पांच पहचाने गए विषयों अर्थात् संरचना गतिशीलता और भूकंप इंजीनियरिंग (मुख्य विषय); भूकंप भू-तकनीकी इंजीनियरिंग (वैकल्पिक विषय); आरसी ढांचे का भूकंप रोधी डिजाइन (वैकल्पिक विषय); इस्पात ढांचे का भूकंप रोधी डिजाइन (वैकल्पिक विषय); और डिजाइन स्टूडियो-भूकंप रोधी ढांचा विन्यास (मुख्य विषय) पर शिक्षण संसाधन सामग्री विकसित करना है, उसके बाद इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कॉलेज, विशेष रूप से, भूकंपीय क्षेत्र IV और V में स्थित, में एक पूर्ण सेमेस्टर पाठ्यक्रम के माध्यम से इन पाठ्यक्रमों का प्राथमिक परीक्षण करना है। अपेक्षाकृत उच्च रैंक वाले इंजीनियरिंग संस्थानों के संकाय आधारित सदस्य प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यशालाओं के माध्यम से पहचाने गए विषयों पर एनआईआरएफ रैंकिंग का प्रशिक्षण दिया गया। भविष्य में, प्रशिक्षित संकाय सदस्यों से उम्मीद है कि इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कॉलेजों के संकाय सदस्यों को आगे प्रशिक्षण देंगे। प्रस्तावित प्रारंभिक पाठ्यक्रम और टीओटी कार्यशाला से प्राप्त फीडबैक के आधार पर संसाधन सामग्री को संशोधित किया गया है।



आईआईटी मद्रास में आयोजित आरसी संरचनाओं के भूकंप रोधी डिजाइन पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यशाला



गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय द्वारका, नई दिल्ली में आयोजित आर्किटेक्चर डिजाइन स्टूडियो-भूकंप रोधी संरचनात्मक विन्यास पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यशाला



आईआईटी बॉम्बे में आयोजित संरचना गतिशीलता और भूकंप इंजीनियरिंग पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यशाला

4.20 भूकंप आपदा जोखिम सूचकांक चरण-II को विकसित करना

- पिछले कुछ दशकों में भारतीय शहरों के तेजी से शहरीकरण से आवास क्षेत्र की मांग में वृद्धि हुई है, जिससे निर्माण उद्योग पर इस मांग को पूरा करने का दबाव बढ़ गया है। अक्सर, कम समय में इस मांग को पूरा करने के लिए शहरों और उसके बुनियादी ढांचे की उचित योजना नहीं बनाई जाती है। इससे टियर-II शहरों में कम ऊंचाई से मध्यम ऊंचाई वाली इमारतों और टियर-I शहरों में मध्यम ऊंचाई से ऊंची इमारतों की असमान वृद्धि हुई है, जिससे आपदाओं के दौरान जान-माल की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। इसलिए, भारत के उच्च भूकंपीय क्षेत्रों में स्थित इमारतों के भूकंपीय जोखिम का आकलन करने की तत्काल आवश्यकता है, ताकि शहरों की आपदा को कम करने में मदद मिल सके।
- परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत के शहरों में भूकंप के खतरे का आकलन करना है, जो नकारात्मक परिणामों को कम करने, तैयारी करने और अगली घटना का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। प्राप्त किए गए अध्ययन से प्राप्त जोखिम सूचकांक मुख्य रूप से खतरे, संवेदनशीलता और शहर के

जोखिम का संयोजन होगा। यह प्रत्येक शहर को उनके आसन्न जोखिम और उसके परिणामों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, जिससे भूकंप के कारण होने वाले सामाजिक और आर्थिक परिणामों को कम करने में मदद मिलेगी और शहरों के बीच जोखिम की आंतरिक-तुलना होगी और साथ ही शहर के अधिक संवेदनशील क्षेत्र में आपदा तैयारी और मोचन उपायों को प्राथमिकता देने के लिए सरकारी एजेंसियों का मार्गदर्शन होगा। एनडीएमए ने 2019 में 50 शहरों के लिए परियोजना का पहला चरण पूरा कर लिया है और परियोजना का दूसरा चरण प्रगति पर है जो अगले 16 शहरों के लिए है। यह परियोजना एमएनआईटी जयपुर को सौंप दी गई है।


- परियोजना में शहरों के भूकंप आपदा जोखिम सूचकांक ए) इमारतों की संवेदनशीलता, बी) इमारतों को नुकसान का अपेक्षित स्तर और सी) जान-माल की अपेक्षित हानि का मूल्यांकन शामिल है: साथ ही नीति निर्माता के लिए एक अलग रिपोर्ट के साथ, समग्र जोखिम में योगदान देने वाले प्रमुख कारक की सूची के साथ व्यक्तिगत शहर की रिपोर्ट तैयार करना है।

4.21 ज्ञान साझा करने और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए पारंपरिक भूकंप रोधी निर्माण पद्धतियों का संग्रह: पारंपरिक निर्माण पद्धतियों को बढ़ावा देना

- पिछले कई भूकंपों के कारण हिमालय क्षेत्र में महत्वपूर्ण संपत्ति और मानव जीवन की हानि हुई है। परिणामस्वरूप, इस क्षेत्र में रहने वाले समुदायों ने भूकंप सुरक्षा के मूल आधार को तेजी से समझ लिया, जिसमें कहा गया है कि भूकंपीय घटना में जान-माल के नुकसान से बचने के लिए ढांचागत सुरक्षा महत्वपूर्ण है। पारंपरिक निर्माण प्रथाएं, विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्र में, अद्वितीय हैं क्योंकि वे मुख्य रूप से स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करते हैं जो बहुत कम लागत की और पर्यावरण-अनुकूल है। हाल की भूकंप आपदाओं के दौरान इन पारंपरिक प्रौद्योगिकियों की प्रभावशीलता स्पष्ट रूप से सामने आई है। स्थानीय पारंपरिक निर्माण पद्धति ने भूकंप रोधी प्रौद्योगिकियों को अपनाया था, जो

अब आधुनिक निर्माणों की भूकंपीय सुरक्षा का समाधान किए बिना इन क्षेत्रों में आधुनिक सामग्रियों और निर्माण तकनीकों को शामिल करने के कारण लुप्त हो रही हैं।

- परियोजना का दायरा हिमालयी क्षेत्र में पारंपरिक इमारतों के तरीकों की पहचान करना और उनका दस्तावेजीकरण करना और उनकी संरचनात्मक प्रणाली वर्गीकरण योजना को विकसित करना है, साथ ही पारंपरिक इमारतों में भूकंप रोधी और संवेदनशील विशेषताओं की पहचान करना और उनकी भूकंपीयता संवेदनशीलता को कम करने के लिए उचित सुरक्षा उपायों का सुझाव देना है। यह परियोजना आईआईटी रुड़की और एईसी गुवाहाटी के सहयोग से आईआईटी रोपड़ को सौंप दी गई थी।




अध्ययन क्षेत्र


4.22 मौजूदा साहित्य में भारत के उत्तर-पश्चिमी हिमालय में कई पारंपरिक भूकंप-रोधी भवन निर्माण पद्धतियों के होने का सुझाव है। इन पारंपरिक भवन निर्माण पद्धतियों में मुख्य रूप से शामिल है; गारा के बिना टिम्बर बेस्ड पत्थर की चिनाई, जिसे देशी भाषा में 'कोटि-बनाल' या 'काठ-कुन्नी' (रौतेला एट अल. 2009ए, रौतेला एट अल. 2009बी) कहा जाता है, सूखे पत्थर की दीवारों के साथ लकड़ी का फ्रेम देशी भाषा में इसे 'ठठरा' (राहुल एट अल. 2013) कहा जाता है, मिट्टी के गारे में रखी गई ईंट/पत्थर की चिनाई से भरा लकड़ी से बना फ्रेम जिसे देशी भाषा में 'धज्जी-देवरी' (हिसीइल्माज़ एट अल. 2011) और लकड़ी से बना फ्रेम मिट्टी के गारे में रखी गई ईंट/पत्थर की चिनाई को 'ताक' (धंधपनी एट अल 2019) कहा जाता है। इसी तरह, पूर्वोत्तर भारत की पारंपरिक भूकंपीय-रोधी इमारत पद्धति में मुख्य रूप से 'एकरा' सरकंडे से भरे लकड़ी के फ्रेम शामिल हैं, जिन्हें 'असम-प्रकार' या 'एकरा' (कौशिक और बाबू 2009) आवास के रूप में जाना जाता है। संस्थान की टीम ने इन पारंपरिक भवन विधियों का दस्तावेजीकरण करने के लिए क्षेत्र का दौरा किया और मूल्यांकन के आधार पर, इन इमारतों में सुरक्षा उपाय में सुधार के लिए सुझाव दिए गए हैं।



काठ-कुन्नी निर्माण



प्रमुख विशेषताएं




सुझाए गए सुरक्षा उपाय


काठ-कुन्नी निर्माण पारंपरिक निर्माण के सबसे पुराने रूपों में से एक है जो हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू, किन्नौर और मंडी जिलों और उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी में व्यापक रूप से देखा जाता है।



ठठरा निर्माण



प्रमुख विशेषताएं




सुझाए गए सुरक्षा उपाय


ठठरा पारंपरिक निर्माण प्रथा भारत के हिमाचल प्रदेश के 'चंबा' जिले (चित्र 2.25) में देखी गई सबसे प्रचलित पारंपरिक भवन प्रकारों में से एक है।



धज्जी-देवरी निर्माण



प्रमुख विशेषताएं




सुझाए गए सुरक्षा उपाय


धज्जी-देवरी शब्द फ़ारसी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है 'पेचवर्क रजाई की दीवार' और यह पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की एक पारंपरिक निर्माण प्रथा है। विशेष रूप से, ये इमारतें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में देखी जा सकती हैं और कुछ इमारतें भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में शिमला शहर और आसपास के इलाकों में भी देखी जा सकती हैं।



ताक निर्माण



प्रमुख विशेषताएं




सुझाए गए सुरक्षा उपाय


ताक भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर के आसपास कश्मीर घाटी में पश्चिमी हिमालय में प्रचलित एक पारंपरिक लकड़ी से बनी चिनाई निर्माण प्रथा है।



असम निर्माण



प्रमुख विशेषताएं



सुझाए गए सुरक्षा उपाय

ताक भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर के आसपास कश्मीर घाटी में पश्चिमी हिमालय में प्रचलित एक पारंपरिक लकड़ी से बनी चिनाई निर्माण प्रथा है।

4.23 जागरूकता अभियान के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का भूकंपीय परिदृश्य विकसित करना

एनडीएमए ने 1934-बिहार नेपाल भूकंप और 1991-उत्तरकाशी भूकंप को संशोधित करके दो वैज्ञानिक परिदृश्य विकसित करने के लिए एक परियोजना शुरू की है। विकासशील परिदृश्य मूल्यांकन का उद्देश्य इन भूकंपों के कारण प्रभावित क्षेत्रों की सीमा की बेहतर समझ प्रदान करना है। और मानव जीवन, जीवन रेखा इमारतों और समग्र निर्मित वातावरण दोनों पर हुई क्षति/नुकसान का अनुमान लगाएगा। अंत में, परियोजना का परिणाम राज्य मशीनरी और समुदायों (प्रथम मोचकों के रूप में) के लिए इन भूकंपों की पुनरावृत्ति के कारण किसी आपदा की स्थिति में प्रभावी ढंग से मोचन करने में लाभान्वित होगा।

परियोजना की कुल लागत 302 लाख रुपए है। योजना का मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:

- 1934 में बिहार नेपाल भूकंप और 1991 में उत्तरकाशी भूकंप पर दोबारा गौर करके दो वैज्ञानिक भूकंप परिदृश्यों को विकसित करना: खतरा संभावित जनसंख्या, अपेक्षित क्षति और नुकसान सहित कलर कोडिड जोखिम मानचित्र
- बेहतर भूकंप जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों के लिए राज्यों के नीति निर्माताओं को अध्ययन के परिणामों की सुगमता
- अध्ययन के परिणाम को सुगम बनाने के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला
- जिला अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए संबंधित राज्यों में जिला स्तरीय कार्यशालाएं

कार्यान्वयन एजेंसी अर्थात् आईआईटी रुड़की ने एमओयू के अनुसार चरण-1 की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और परियोजना के चरण-2 की ओर प्रगति कर रही है। चरण-1 की रिपोर्ट में बिहार और उत्तराखंड का जोखिम मूल्यांकन शामिल है।

4.24 मेसनरी जीवनरेखा संरचनाओं और आगामी निर्माणों की भूकंप रोधी क्षमता में सुधार के लिए प्रायोगिक परियोजना

भारत में हाल के दिनों में आए भूकंपों से बड़े पैमाने पर क्षति हुई है, जिसके परिणामस्वरूप जान-माल की हानि हुई है, विशेष रूप से कमजोर चिनाई वाली संरचनाओं को दुनिया भर में इमारतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कमजोर चिनाई (यूआरएम) इमारतें होती हैं। यह सर्वविदित तथ्य है कि इनमें से अधिकांश संरचनाओं को भूकंपीय भार के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है और इन भवन संरचनाओं की दीवारों को मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण भार सहन के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसलिए, मध्यम से तीव्र भूकंप शहरों या गांवों में विनाशकारी प्रभाव पैदा कर सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर मौतें हो सकती हैं और संपत्ति और राष्ट्रीय अवसंरचना को भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए इन संरचनाओं की मरम्मत करना और उनकी ताकत बढ़ाना आवश्यक है। इन संरचनाओं के भूकंपीय व्यवहार में सुधार के लिए कई तकनीकें विकसित और क्रियान्वित की गई हैं।

एनडीएमए ने जीवनरेखा संरचनाओं को भूकंप प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए त्रिपुरा, उत्तराखंड और एनडीएमसी, दिल्ली के साथ मिलकर एक प्रायोगिक परियोजना की शुरुआत की है जिसमें चिह्नित मेसनरी जीवनरेखा इमारतें, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन इकाई का निर्माण और इंजीनियरों का क्षमता निर्माण, बार बेंडर और कारपेंटरों के क्षमता निर्माण शामिल है। इस परियोजना की कुल लागत 950 लाख रु. है।

परियोजना का प्रमुख उद्देश्य:-

- चयनित जीवनरेखा मेसनरी भवनों की संरचनात्मकता की सुरक्षा ऑडिट
- चयनित जीवनरेखा भवनों का पुनः मरम्मत
- भूकंप रोधी तकनीक को दर्शाने वाली प्रदर्शन इकाइयों का निर्माण (परियोजना राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों में एक-एक)

- क्षमता निर्माण-इंजीनियर, राजमिस्त्री, बार बेंडर और कारीगरों का प्रशिक्षण

उत्तराखंड सरकार ने संरचनात्मक सुरक्षा लेखापरीक्षा और डीपीआर प्रस्तुत कर दिया है, जिसे परियोजना निगरानी समिति द्वारा जांचा गया था और अब संरचना के लिए निविदा हो रही है।

त्रिपुरा सरकार ने डीपीआर के अनुसार मरम्मत का काम पूरा कर लिया है और उन्होंने संरचनात्मक सुरक्षा रिपोर्ट जमा कर दी है।

एनडीएमसी दिल्ली ने डीपीआर का संशोधित संस्करण तैयार किया है जो जांच की प्रक्रिया में है।

ग. भूस्खलन एवं हिमस्खलन

4.25 भूस्खलन जोखिम प्रशमन योजना

- एनडीएमए ने आपदा तैयारियों के लिए संवेदनशील राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने और भविष्य में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अन्य भूस्खलन प्रशमन परियोजनाओं

को शुरू करने के क्षमता निर्माण के लिए **भूस्खलन जोखिम प्रशमन योजना (एलआरएमएस)** शुरू की है। एनडीएमए ने जुलाई, 2019 में एसडीएमए/डीडीएमए के आपदा जोखिम प्रशासन में सुधार के तहत **एलआरएमएस** की संकल्पना करके शुरूआत की है। परियोजना की कुल लागत 43,9174000 रुपये है। इस योजना में 21 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को पायलट पैमाने पर लिया गया है, जिसमें चरण-I में 10 राज्यों को और चरण-II में 11 राज्यों तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। योजना के चार प्रमुख परिणाम हैं भूस्खलन प्रशमन, वास्तविक समय निगरानी, जागरूकता कार्यक्रम और क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण। डीपीआर की तैयारी के लिए एनडीएमए द्वारा एक टेम्पलेट तैयार करके सभी संवेदनशील राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वितरित किया गया था।

- तीन राज्यों मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम ने भूस्खलन उपचार/प्रशमन पूरा कर लिया है और उत्तराखंड संवेदनशील स्थल पर उपचार करने के लिए प्रगति पर है। मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में राज्य स्तरीय कार्यशालाएँ भी आयोजित की गईं।





4.26 भूस्खलन रोधी विशेषताओं पर भवन संहिता का निर्माण, आवधिक समीक्षा/अद्यतनीकरण

- एनडीएमए ने भूस्खलन विषय पर नए दिशानिर्देश/कोड/मानक तैयार करने में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की सहायता करने के लिए एक परियोजना शुरू की। भूस्खलन के लिए दिशानिर्देश/कोड/मानक तैयार करने के लिए बीआईएस की दो समितियां अर्थात् सीईडी 48 (रॉक मैकेनिक्स सेक्शनल) और सीईडी 56 (हिल एरिया डेवलपमेंट इंजीनियरिंग सेक्शनल) का गठन किया गया था। दिशानिर्देशों को एनडीएमए और बीआईएस द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा और फिर प्रासंगिक कोड/मानक बीआईएस द्वारा विकसित किए जाएंगे। विकसित दस्तावेज़ को उपयोग के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों, विभागों, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और अन्य हितधारकों के बीच वितरित किया जाएगा। जुलाई 2020 में आईआईटी रुड़की

और बीआईएस के साथ बीआईएस समिति (सीईडी 48) के तहत “भूस्खलन प्रभावित ढलानों की आधारशिला (बेड रॉक) में चट्टान मात्रा (रॉक मास) दबाव शक्ति (शीयर स्ट्रेंथ) का निर्धारण पर दिशानिर्देश” की तैयारी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। बीआईएस समिति (सीईडी 56) के तहत “भूस्खलन या ढलान स्थिरीकरण के प्रशमन हेतु सूक्ष्म ढेर के लिए दिशानिर्देश” और “भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में इमारतों और बुनियादी ढांचे के लिए सुरक्षा और प्रशमन उपाय” पर दो और दिशानिर्देश तैयार करने के लिए जुलाई 2021 में एक और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। बीआईएस के साथ समीक्षा बैठक के बाद “चट्टान मात्रा दबाव शक्ति के निर्धारण के लिए दिशानिर्देश” को अंतिम रूप दिया गया है और अंतिम मसौदा अनुमोदन के लिए बीआईएस को प्रस्तुत किया गया है।


घ. भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस)

4.27 परियोजना-1 क्लाउड आधारित अनुप्रयोग सूचना प्रणाली परियोजना का विकास

- समग्र भारत (पैन इंडिया) में क्लाउड आधारित जीआईएस पोर्टल और ऑपरेशन डैशबोर्ड विकसित करना

1.1 कोविड-19 ऑपरेशनल डैशबोर्ड का विकास:


- वर्ष 2020 में कोविड-19 की घटना के बाद एनडीएमए ने इस महामारी प्रबंधन के लिए एक जीआईएस पोर्टल विकसित किया है। कोविड-19 जीआईएस पोर्टल भारत में इस महामारी के बढ़ते प्रकोप का समग्र चित्र प्रस्तुत करता है जिसमें दैनिक स्थिति और मामलों को नियमित आवधिक अपडेट करना, सर्विलांस स्थिति, अवसंरचना की उपलब्धता, देश में त्रिस्तरीय अर्थात राष्ट्रीय, राज्य और जिला पर हाटस्पॉट और राहत कैंप की जानकारी शामिल हैं। आम लोगों, एसडीएमए तथा अन्य हितधारकों को कोविड-19 मामलों की सूचना उपलब्ध कराने के लिए जियो-सक्षम डैशबोर्ड विकसित किया गया। इन तीन स्तरों पर भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के द्वारा उपलब्ध आंकड़ों का समेकन इसको पारस्परिक मंच का स्वरूप प्रदान करता है जहां डेटा और सूचनाएं अपील योग्य फॉर्मेट में दृष्टिगोचर होती हैं। COVID-19 GIS पोर्टल दिनांक 08/05/2023 तक विभिन्न एजेंसी से दैनिक-वार संकलित डेटा को अपडेट कर रहा है।



चित्र -1 कोविड 19 डैशबोर्ड को प्रदर्शित करते हुए

1.2 ऑक्सीजन ऑपरेशनल डैशबोर्ड का विकास

भारत के कई राज्यों के विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता की निगरानी के लिए एनडीएमए द्वारा ऑक्सीजन डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडरों की संख्या की उपलब्धता स्थिति को दैनिक रूप से अपडेट करने के लिए अस्पताल उपयोगकर्ताओं को लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रदान किए जाते हैं। डैशबोर्ड में सभी अस्पतालों का डेटाबेस उनके पते और भू-स्थान शामिल है। ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता को किलोलीटर में उनकी भंडारण क्षमता के रूप में दर्शाया जाता है और इसे तरल ऑक्सीजन टैंक, डी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर और बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर में वर्गीकृत किया जाता है। पोर्टल दिनांक 08/05/2023 तक कई एजेंसी से दैनिक-वार और संकलित डेटा को अपडेट कर रहा है।



चित्र-2 : ऑक्सीजन डैशबोर्ड को प्रदर्शित करते हुए

1.3 खतरा सूचना प्रणाली पोर्टल

भूगर्भीय खतरों की रोकथाम और प्रशमन के लिए खतरा प्रबंधन, मूल्यांकन और पूर्वानुमान विकसित की जाती है। भूगर्भीय खतरे की रोकथाम से संबंधित डेटा सेट विभिन्न राज्यों से एकत्र किए गए हैं, और भूकंप, बाढ़, रसायन, भूस्खलन, चक्रवात और हवा के खतरे, वनाग्नि, सुनामी, नाभिकीय, आकाशीय बिजली और बहु-खतरा जैसे खतरे के विशिष्ट भू-डेटाबेस के लिए ऐतिहासिक डेटा, समग्र भारत के खतरों की संवेदनशीलता के मानचित्र संरचना और उपयोगिताओं की परतों को भी एकीकृत किया गया है।

1.3.1 खतरों के अनुसार जानकारी

- भूकंप क्षेत्र/भ्रंश रेखा/भूकंप स्थान
- भूस्खलन
- बाढ़
- चक्रवात और हवा का खतरा
- वनाग्नि
- सुनामी
- नाभिकीय
- रासायनिक खतरे / एमएएच इकाइयाँ
- एनसीआरएमपी आश्रय केंद्र
- केन्द्रीय भंडार स्थान
- पेट्रोलियम अन्वेषण सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) स्थान
- एपीडीए मित्र स्वयंसेवक भू-स्थानीय

1.3.2 उपकरण और बुनियादी ढाँचा

- अस्पतालों का स्थान (पीएचसी और निजी अस्पतालों तक)
- निदान केंद्र



- एफसीआई स्थान
- कृषि मंडी
- डाक घर
- बिजली के स्टेशन
- रासायनिक रिफाइनरियाँ

1.3.3 इन्वेंटरी

- ऐतिहासिक भूस्खलन स्थल
- जीएलओसी स्थान
- बाढ़ की घटनाएँ
- भूकंप का केंद्र
- एमएएच इकाइयाँ
- वनाग्नि स्थल
- एनडीआरएफ स्थल
- चक्रवात आश्रय
- राज्य/जिला मुख्यालय
- अग्निशमन केंद्र
- शहर/ग्राम स्तर का जनसंख्या डेटा
- प्रशासनिक सीमाएँ (राज्य/जिला/उप जिला/गाँव)

1.3.4 अन्य स्रोत (जैसे data.gov.in)

- राज्य/जिला मुख्यालय
- अग्निशमन केंद्र
- शहर/ग्राम स्तर का जनसंख्या डेटा
- विरासत इमारतें
- अन्य उपयोगिताएँ



चित्र 3: ये आंकड़े खतरा सूचना प्रणाली के चक्रवात और हवा के खतरे और भूकंप टैब (अखिल भारतीय मानचित्र) को दर्शाते हैं

4.28 परियोजना-2 आपदा जोखिम न्यूनीकरण परियोजना में जीआईएस पर हितधारकों की क्षमता निर्माण:

2.1 एनईएसएसी के सहयोग से “आपदा जोखिम न्यूनीकरण में जीआईएस के अनुप्रयोग” एनडीएमए आपदा जोखिम न्यूनीकरण में भौगोलिक सूचना प्रणाली के अनुप्रयोग पर सभी एसडीएमए और हितधारकों/आपदा प्रबंधकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन को प्रायोजित कर रहा है। जो उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, उमियाम द्वारा आयोजित दो दिवसीय और पांच दिवसीय प्रशिक्षण के लिए है। प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है जिसमें विभिन्न राज्यों के कई प्रतिभागी शामिल हैं ताकि वे जीआईएस तकनीक के बारे में जागरूक हो सकें और इसका उपयोग करने में सक्षम हो सकें। भूवैज्ञानिक आपदा या महामारी के समय निर्णय लेने में 2022-2023 के दौरान कुल 03 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और सभी एसडीएमए, मंत्रालयों और अन्य हितधारकों से लगभग 150 पेशवरों को प्रशिक्षित किया गया है। परियोजना मार्च 2023 को पूरी हो गई है।



चित्र: दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान व्याख्यान और चर्चा की झलक




चित्र: दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम समापन समारोह का फोटोग्राफ



चित्र: पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान व्याख्यान, चर्चा, स्थल दौरा और व्यक्तिगत प्रशिक्षण को प्रदर्शित करते हुए कुछ फोटोग्राफ

2.2 आईआईआरएस के सहयोग से “आपदा जोखिम न्यूनीकरण में जीआईएस के अनुप्रयोग” पर प्रशिक्षण का आयोजन किया। आपदा जोखिम न्यूनीकरण में भौगोलिक सूचना प्रणाली के अनुप्रयोग पर सभी एसडीएमए और हितधारकों/आपदा प्रबंधकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए एनडीएमए प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन को प्रायोजित कर रहा है। भारतीय दूरसंचेदी संस्थान, देहरादून द्वारा आयोजित पांच दिवसीय प्रशिक्षण के लिए है। प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है जिसमें विभिन्न राज्यों के कई प्रतिभागी शामिल हैं ताकि वे जीआईएस तकनीक के बारे में जागरूक हो सकें और भूवैज्ञानिक आपदा या महामारी की घटना के समय निर्णय लेने में इस तकनीक का उपयोग करने में सक्षम हो सकें। 2022-2023 के दौरान कुल 01 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है और सभी एसडीएमए, मंत्रालयों और अन्य हितधारकों से लगभग 50 पेशेवरों को प्रशिक्षित किया गया है। यह परियोजना मार्च 2023 को पूरी हो गई है।



प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करने वाले आईआईआरएस, देहरादून प्रस्तुतकता का प्रतिनिधित्व

अध्याय-5

क्षमता विकास

प्रस्तावना

5.1 क्षमता विकास के रणनीतिक तरीकों पर हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) की सक्रिय और उत्साहवर्धक सहभागिता से ही कारगर ढंग से काम किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में जागरूकता सृजन, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास (आर.एंड.डी.) आदि शामिल हैं। साथ ही, इसमें समुचित संस्थागत रूपरेखा, प्रबंधन प्रणालियां और आपदाओं का कारगर निवारण तथा उनसे निपटने के लिए संसाधनों का आबंटन से संबंधित समाधान किया जाता है।

5.2 क्षमता विकास के दृष्टिकोण में निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:

- प्रादेशिक विविधताओं और बहु-संकटीय संवेदनशीलताओं की दृष्टि से उनकी विनिर्दिष्ट जरूरतों के लिए, समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआआरआर) प्रणालियां विकसित करने के लिए, प्रशिक्षण को प्राथमिकता देना।
- राज्यों और अन्य हितधारकों के सहयोग से और स्थानीय स्तर के कार्यान्वयन प्रभारी प्राधिकारी की परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणालियों की अवधारणा बनाना।
- बेहतर कार्य-निष्पादन के रेकॉर्ड वाले ज्ञान-आधारित संस्थानों की पहचान करना।
- अंतर्राष्ट्रीय और प्रादेशिक सहयोग को बढ़ावा देना।
- पारंपरिक और विश्व की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों और

प्रौद्योगिकियों को अपनाना।

- योजनाओं को परखने के लिए टेबल टॉप अभ्यासों, अनुकरणों (सिमुलेशंस), कृत्रिम अभ्यासों तथा कौशल विकास पर जोर देना।
- राज्य/जिला/स्थानीय स्तरों पर विभिन्न आपदा कार्रवाई दलों की क्षमता का विश्लेषण।

आपदा मित्र योजना का उन्नयन

5.3 पायलट योजना की सफलता के साथ-साथ सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सराहना किए जाने और उनके अनुरोध करने पर मार्च 2024 तक, बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात और भूकंप की आशंका वाले 350 अत्यधिक संवेदनशील जिलों में 100000 सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए 369.40 करोड़ रुपये की कुल लागत पर एनडीएमए अप-स्केलिंग आपदा मित्र योजना लागू कर रहा है।

5.4 इस योजना को राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) की तैयारी और क्षमता-निर्माण फंडिंग विंडो से वित्त पोषित किया जा रहा है।

घटक :-

- क. प्रशिक्षण मॉड्यूल, पहचान-पत्र और प्रमाण-पत्र की मुद्रण का अनुवाद
- ख. स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण
- ग. सफल प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को वितरित की जाने वाली आपातकालीन मोचक किट (ईआरके) की खरीद और एनडीएमए द्वारा तय की गई एजेंसी द्वारा सभी प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की मृत्यु/स्थायी

विकलांगता/अस्पताल में भर्ती होने का कवरेज

घ. जिला/ब्लॉक स्तर पर आपातकालीन आवश्यक संसाधन रिजर्व (ईईआरआर) का विस्तार

ङ. उपकरणों की मरम्मत एवं अनुरक्षण के लिए अनुदान

5.5 सभी प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को मृत्यु/स्थायी विकलांगता/अस्पताल में भर्ती होने को कवर करने वाले बीमा सहित एक आपातकालीन मोचन किट (ईआरके) प्रदान की जाएगी। सभी 350 जिलों में, एक आपातकालीन आवश्यक संसाधन रिजर्व (ईईआरआर) वितरित किया जाएगा।

5.6 योजना की प्रारिथिति:

क. 28 सितंबर, 2021 को एनडीएमए के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर माननीय गृह मंत्री द्वारा योजना दस्तावेज और आपदा मित्र हैंडबुक जारी करके इस योजना को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है

ख. तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने एनडीएमए के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

ग. मार्च, 2023 तक कुल 72282 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया।

घ. एनडीएमए ने कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र (केएसएनडीएमसी) के सहयोग से प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) और मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया है, जिसे आपदा मित्र योजना के उन्नयन के लिए एमआईएस और मोबाइल ऐप की राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान लॉन्च किया गया था। कार्यशाला के दौरान योजना के सभी नोडल अधिकारियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया। इस कार्यशाला के दौरान आपदा मित्र स्वयंसेवकों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया बीमा उत्पाद भी लॉन्च किया गया।

ङ. योजना के लिए प्रावधान किए गए 369.41 करोड़ रुपये में से, इस परियोजना के तहत 288.02 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इस व्यय में 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पहली किस्त (10%), 33 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को दूसरी किस्त (50%), और 15 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और एनडीएमए में अन्य खर्चों की तीसरी किस्त (40%) शामिल हैं।

5.7 योजना की समीक्षा:

क. कार्यान्वयन की प्रगति का आकलन कार्यक्रम, चुनौतियों की समीक्षा, आपदा मित्र स्वयंसेवकों द्वारा सीखे गए सबक और सफलता की कहानियों को साझा करने के उद्देश्य से दिनांक 8 से 9 दिसंबर, 2022 तक गुवाहाटी, असम में आपदा मित्र योजना की सर्वोत्तम पद्धति की मध्यावधि समीक्षा और दस्तावेजीकरण शीर्षक से एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। अब तक की योजना के कार्यान्वयन में हुई कमियों की भी कार्यशाला में पहचान की गई ताकि आगामी योजना के कार्यान्वयन में होने वाली कमियों को दूर किया जा सके।

ख. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इसके अलावा, आंतरिक समीक्षा बैठकें भी नियमित आधार पर होती रहती हैं।

सीडीएम, एलबीएसएनए में आपदा प्रबंधन में भा.प्र.से./केंद्रीय सिविल सेवा अधिकारियों का क्षमता निर्माण

5.8 एनडीएमए ने आपदा प्रबंधन केन्द्र, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनए), मसूरी पर प्रतिवर्ष 950 अधिकारियों को पांच वर्षों के लिए प्रशिक्षित करने हेतु कुल रु. 3.75 करोड़ परिव्यय पर आपदा प्रबंधन में भा.प्र.सेवा/केंद्रीय सिविल सेवा के अधिकारियों की क्षमता-निर्माण परियोजना का

कार्यान्वयन करने के लिए एनडीएमए ने फरवरी, 2022 में आपदा प्रबंधन केंद्र, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनए), मसूरी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

- 5.9 परियोजना का लक्ष्य सरकार के विभिन्न कार्यपालकों और नीति निर्माण स्तरों पर आपदा प्रबंधन की मौजूदा प्रणालियों के प्रति संवेदनशील बनाना; मामले का अध्ययन करना; और आपदा प्रबंधन पर ज्ञान भंडार विकसित करना है। भौतिक एवं वित्तीय स्थिति इस प्रकार है:

भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि
1057 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। परियोजना के तहत अब तक 1545 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।	रु.75.00 लाख

स्कूल सुरक्षा नीति पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए संयुक्त निगरानी समिति की बैठक

- 5.10 स्कूल सुरक्षा नीति-2016 पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश के कार्यान्वयन पर राज्यों/हितधारकों द्वारा किए गए प्रयासों की समीक्षा के लिए एनडीएमए के संयुक्त सचिव श्री कुणाल सत्यार्थी की अध्यक्षता में संयुक्त निगरानी समिति (जेएमसी) की 13वीं और 14वीं बैठक दिनांक क्रमशः 20.04.2022 और 23.3.2023 को आयोजित की गई।

लोक प्रशासन (आईआईपीए) में उन्नत व्यावसायिक कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ बातचीत आईआईपीए, नई दिल्ली

- 5.11 केंद्र सरकार के 65 वरिष्ठ अधिकारियों (भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा संचालित लोक प्रशासन में उन्नत व्यावसायिक कार्यक्रम के प्रतिभागियों) और एनडीएमए के सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच एक संवादात्मक बैठक दिनांक 19.10.2022 को एनडीएमए भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।
- 5.12 बातचीत का उद्देश्य प्रतिभागियों द्वारा भारत में आपदा प्रबंधन की बेहतर समझ विकसित करना था। एनडीएमए अधिकारियों ने पूरी जानकारी साझा की और बेहतर प्रशासन के लिए सभी हितधारकों के साथ कौशल बढ़ाने

और सुचारु समन्वय के लिए एनडीएमए और संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर प्रकाश डाला।

तुर्कमेनिस्तान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

- 5.13 वर्चुअल हस्ताक्षर समारोह के दौरान आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच अनिश्चित काल के लिए दिनांक 02.04.2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

दक्षेस (सार्क) आपदा प्रबंधन केंद्र (आईयू) के साथ अंतर-मंत्रालयी बैठक

- 5.14 दक्षेस आपदा प्रबंधन केन्द्र (आईयू) की गतिविधि योजना और कुशल कामकाज के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एनडीएमए के सदस्य और प्रभारी सचिव श्री कमल किशोर की अध्यक्षता में छठी और 7वीं अंतर-मंत्रालयी समिति की बैठक एनडीएमए में क्रमशः दिनांक 11.04.2022 और दिनांक 28.2.2023 को आयोजित की गई।

अंतरराष्ट्रीय बैठकें/सम्मेलन/कार्यशालाएँ

- 5.15 ब्रिक्स संयुक्त कार्य बल (जेटीएफ) की चौथी बैठक दिनांक 29.04.2022 को चीन में वर्चुअली आयोजित की गई थी। बैठक में एनडीएमए के संयुक्त सचिव श्री कुणाल सत्यार्थी ; श्री नवल प्रकाश , संयुक्त सलाहकार, एनडीएमए; और

विदेश मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने भाग लिया था। भारत ने ब्रिक्स के तहत आगामी कार्यक्रमों के दौरान कुछ गैर-सदस्य देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को निमंत्रण देने के चीनी प्रस्ताव पर अपनी आपत्ति रखी।

- 5.16 ब्रिक्स आपदा प्रबंधन मंत्रियों की तीसरी बैठक दिनांक 23.09.2022 को चीन में आयोजित की गई थी। श्री राजेंद्र सिंह, सदस्य, एनडीएमए; श्री कुणाल सत्यार्थी, संयुक्त सचिव, एनडीएमए; लेफ्टिनेंट कर्नल सूर्य प्रकाश पांडे, संयुक्त सलाहकार, एनडीएमए; श्री रमेश कुमार मिश्रा, अवर सचिव, एनडीएमए; और श्री उत्कर्ष पांडे, सलाहकार (अंतरराष्ट्रीय सहयोग) ने वर्चुअली बैठक में भाग लिया।
- 5.17 आपदा प्रबंधन पर बिम्सटेक विशेषज्ञ समूह की पहली बैठक भारत की अध्यक्षता में दिनांक 12.05.2022 को वर्चुअली आयोजित की गई। बैठक में सात देशों ने हिस्सा लिया। बिम्सटेक के तहत व्यावहारिक योजना/ गतिविधियों को अंतिम रूप दिया गया।
- 5.18 हिंदी महासागर रिम संगठन (आईओआरए) के आपदा जोखिम प्रबंधन पर कार्य समूह (डब्ल्यूजीडीआरएम) की पहली बैठक दिनांक 09.06.2022 को भारत की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। 12 देशों ने भाग लिया। द्वितीय आईओआरए एक्शन प्लान पर आधारित 13 गतिविधियों को अंतिम रूप दिया गया है और आईओआरए (IORA) सचिवालय को भेज दिया गया है। इसके बाद, दूसरे एक्शन प्लान पर आधारित गतिविधियों को अंतिम रूप दिया गया और आईओआरए सचिवालय के साथ साझा किया गया।
- 5.19 लेफ्टिनेंट कर्नल सूर्य प्रकाश पांडे, संयुक्त सलाहकार, एनडीएमए ने दिनांक 14.09.2022 को एमईए द्वारा आयोजित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में मानवीय सहायता और आपदा समुत्थानशील (एचएडीआर) पर क्वाड साझेदारी के दिशानिर्देशों पर वर्चुअल बैठक में भाग लिया।
- 5.20 भूकंप और बाढ़ पर एनडीएमए ने भारत की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन की दो कार्यशालाएँ क्रमशः दिनांक

23.2.2023 और दिनांक 24.2.2023 को आयोजित कीं। घटनाओं के परिणामस्वरूप, एनडीएमए ने दोनों कार्यशालाओं की कॉफी टेबल बुक्स तैयार कीं।

विदेशी शिष्टमंडल का दौरा

- 5.21 मालदीव के 20 सदस्यों वाले एक मीडिया शिष्टमंडल ने एनडीएमए के वरिष्ठ अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ बातचीत के लिए दिनांक 26.05.2022 को एनडीएमए का दौरा किया। बैठक की सह-अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसन (सेवानिवृत्त), सदस्य; और श्री कृष्ण एस वत्स, सदस्य, एनडीएमए ने की। चर्चा के बिंदुओं में भारत में संवेदनशीलता प्रोफाइल, डीआरआर का संस्थागत तंत्र, भारत में सीडीआरआई के साथ-साथ डीआरआर के लिए एनडीएमए द्वारा की गई प्रमुख पहल, सार्वजनिक जागरूकता रणनीतियाँ आदि शामिल की गई थीं।
- 5.22 8 सदस्यों वाले एक केन्याई शिष्टमंडल ने आपदा प्रबंधन फ्रेमवर्क और आपदा प्रबंधन कोष पर सीखने और सबक लेने के लिए 10.05.2022 को एनडीएमए का दौरा किया। बैठक की सह-अध्यक्षता सदस्य श्री राजेंद्र सिंह और श्री कृष्ण एस वत्स, सदस्य, एनडीएमए ने की।
- 5.23 बिम्सटेक महासचिव श्री तेनजिन लेखपेल (भूटान) ने एनडीएमए सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शिष्टाचार मुलाकात के लिए दिनांक 24.8.2022 को एनडीएमए का दौरा किया।
- 5.24 आईओआरए महासचिव महामहिम श्री सलमान अल फरीसी ने दिनांक 30.9.2022 को एनडीएमए के सदस्य और प्रभारी सचिव श्री कमल किशोर के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्राथमिकताओं पर चर्चा करने के लिए एनडीएमए का दौरा किया।
- 5.25 एलएसी (लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई) देशों के 35 पत्रकारों/संपादकों ने दिनांक 24.3.2023 को सचिव, एनडीएमए, सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए एनडीएमए का दौरा किया।

5.26 राष्ट्रीय आकाशीय आकाशीय बिजली जोखिम निवारण और प्रशमन कार्यक्रम (एनएलआरपीएमपी)

विज्ञान 2047-अमृत काल विज्ञान दस्तावेज के कार्रवाई बिंदु में आकाशीय आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली मौतों में लगभग 50% की कमी पर प्रकाश डाला गया है। मृत्यु दर को कम करने के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 29.09.2021 को एक बैठक आयोजित की गई थी और उसमें प्रशमन के लिए संभावित विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई थी। बैठक के तुरंत बाद, एनडीएमए ने राष्ट्रीय आकाशीय आकाशीय बिजली जोखिम प्रशमन कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) विकसित करने के लिए एक प्रस्ताव शुरू किया है। एनडीएमए ने विभिन्न हितधारकों के परामर्श से राष्ट्रीय कार्यक्रम का मसौदा तैयार किया है। एनडीएमए ने राष्ट्रीय आकाशीय बिजली जोखिम प्रशमन कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) के मसौदे पर विचार-विमर्श करने के लिए दिनांक 11.01.2023 को विभिन्न हितधारकों अर्थात् संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और संस्थानों के साथ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। एनएलआरएमपी का मसौदा अंतिम प्रक्रिया में है और इसे मंजूरी के लिए आपदा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय के साथ साझा किया जाएगा।

5.27 आंधी-तूफान और आकाशीय बिजली

- आंधी-तूफान और आकाशीय बिजली गिरने पर सलाह और क्या करें और क्या न करें:

5.28 राष्ट्रीय पुनर्बहाली संसाधन केंद्र विकसित करने के लिए तकनीकी मिशन:

- एनडीएमए ने राज्यों को बचाव कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने और राष्ट्रीय स्तर पर बचाव को एक अभ्यास क्षेत्र के रूप में स्थापित करने में सहायता करने के लिए राष्ट्रीय बचाव संसाधन केंद्र (एनआरआरसी) की अवधारणा बनाने की पहल की है।

- तदनुसार, यूएनडीपी मिशन ने 18 अप्रैल से 29 अप्रैल, 2022 तक भारत का दौरा किया और राष्ट्रीय बचाव संसाधन केंद्र का मसौदा तैयार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार स्तर के अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ चर्चा की।
- यूएनडीपी से प्राप्त एनआरआरसी पर मसौदा रिपोर्ट संबंधित हितधारकों को उनकी टिप्पणियों/सुझावों के लिए भेज दी गई है।

5.29 आईआईटीएम के साथ समीक्षा बैठक

भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) ने 'आकाशीय बिजली विश्लेषण, निगरानी और रोकथाम (एलएएमपी)' विषय पर एक प्रस्ताव भेजा है। आईआईटीएम के साथ दिनांक 19.05.2022 को एक बैठक हुई और प्रस्ताव में चिह्नित किए गए मुद्दों पर चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव में चर्चा किए गए प्रासंगिक मुद्दों को प्रस्तावित राष्ट्रीय आकाशीय बिजली जोखिम प्रशमन कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) में शामिल किया जाएगा। तदनुसार, प्रस्ताव में चिह्नित किए गए प्रासंगिक मुद्दों को पहले ही एनएलआरएमपी मसौदा में शामिल कर लिया गया है।

5.30 तटीय एवं नदी कटाव से प्रभावित विस्थापितों के पुनर्वास हेतु नीति का सृजन

- XVवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) के तहत 'तटीय और नदी कटाव को रोकने के लिए प्रशमन उपाय' और 2021-22 से 2022-26 तक की अवधि के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) के तहत 'तटीय और नदी कटाव से प्रभावित विस्थापित लोगों के पुनर्वास' के लिए सिफारिश की है।
- आयोग ने प्रशमन उपायों के लिए एक उपयुक्त मानदंड और लोगों के व्यापक विस्थापन से निपटने के लिए एक नीति विकसित करने की सिफारिश

की थी। इसके अनुसार, एनडीएमए ने विभिन्न हितधारकों अर्थात् संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, तटीय और नदी कटाव के लिए चिह्नित एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों और विशेषज्ञों के परामर्श से तटीय और नदी कटाव से विस्थापित लोगों के लिए प्रशमन उपायों और पुनर्वास पर एक मसौदा नीति तैयार की है।

- एनडीएमए ने दिनांक 17.02.2023 को तिरुवनंतपुरम, केरल में तटीय और नदी कटाव से विस्थापित लोगों के लिए प्रशमन उपायों और पुनर्वास पर मसौदा नीति को अंतिम रूप देने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और संस्थानों ने परामर्श कार्यशाला में भाग लिया। संशोधित मसौदा को आम जनता की बहुमूल्य टिप्पणियों/सुझावों के लिए एनडीएमए वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

5.31 शीत लहर और पाला

- शीतलहर और पाले पर सलाह और क्या करें और क्या न करें

शीत लहर के मौसम 2022-23 से पहले, एनडीएमए ने शीत लहर और पाले पर एक 'सुझावात्मक सलाह और क्या करें और क्या न करें' तैयार की और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए दिनांक 07.12.2022 को संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों के साथ साझा किया।

- शीत लहर के मौसम 2022-23 की तैयारियों और प्रशमन उपायों की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबंधित मंत्रालयों और शीत लहर की आशंका वाले राज्यों के साथ बैठक

सदस्य, सचिव प्रभारी, एनडीएमए की अध्यक्षता में संबंधित मंत्रालयों/विभागों और शीत लहर की आशंका वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से

दिनांक 12.12.2022 को बैठक आयोजित की गई जिसमें शीत लहर 2022-23 के लिए की गई तैयारी और प्रशमन उपायों की समीक्षा की गई।

5.32 राज्यों में आपदा के बाद आकलन (पीडीएनए) अभ्यास की आवश्यकता

- मानसून सीजन 2022 के दौरान बाढ़ की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने विचार किया कि प्रभावित राज्यों, असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना को एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के माध्यम से लंबी अवधि के लिए पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए कुछ अतिरिक्त सहायता प्रदान की जा सकती है।
- तदनुसार, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पुनर्वास और पुनर्निर्माण योजना के अंतर्गत आवास एवं पुनर्वास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, पीने का पानी एवं स्वच्छता तथा स्थानीय स्तर की अवसंरचना (सड़क, पुल आदि) पर विचार किया गया।
- राज्यों को दिनांक 06.09.2022 के डी.ओ. पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था कि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए पीडीएनए अभ्यास का आयोजन करना आवश्यक है। उसके बाद बैठकें आयोजित की गईं और पीडीएनए ढांचा, सेक्टर-वार टेम्पलेट्स को अंतिम रूप दिया जाना, एनडीएमए और एनआईडीएम के अधिकारियों के साथ पीडीएनए टीम का गठन और अभ्यास के संचालन के लिए आगे की राह पर विचार-विमर्श को अंतिम रूप दिया गया।
- अभ्यास के संचालन के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से बाढ़ प्रभावित राज्यों के साथ दो चरणों अर्थात् दिनांक 20.09.2022 को आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और दिनांक 22.09.2022 को असम, गुजरात, मेघालय और ओडिशा में ओरिएंटेशन बैठकें आयोजित की गईं। मध्य प्रदेश और तेलंगाना को छोड़कर उपरोक्त राज्यों में पीडीएनए अभ्यास दिनांक 28.09.2022 से

14.10.2022 की अवधि के दौरान संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से उपरोक्त गठित टीमों द्वारा किया गया था।

- राज्यों में आयोजित पीडीएनए अभ्यास की पीडीएनए रिपोर्ट एनडीएमए को सौंप दी गई है। ओडिशा राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी लेकिन एनडीएमए/भारत सरकार से कोई धनराशि की मांग

नहीं की। एनडीएमए में रिपोर्टों की जांच की गई और तदनुसार, अपनी टिप्पणियों/सुझावों से संबंधित राज्य/राज्यों को अवगत करा दिया गया। इसके बाद, रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए प्रत्येक राज्य के साथ लगातार चर्चा की गई। एक बार इसे अंतिम रूप दिए जाने के बाद, रिपोर्ट को मंजूरी के लिए डीएम डिवीजन, एमएचए के साथ साझा किया जाएगा।

अध्याय-6

कृत्रिम अभ्यास और जागरूकता सृजन

“हम शांति में जितना अधिक पसीना बहाएंगे, युद्ध में उतना ही कम खून बहाएंगे”

“याद रखें: जब आपदा आती है, तो तैयारी का समय बीत चुका होता है”

प्रस्तावना

6.1. डीएम अधिनियम 2005 और एनपीडीएम 2009 भारत में आपदा प्रबंधन में राहत-केंद्रित दृष्टिकोण के बजाय सक्रिय रोकथाम, प्रशमन, तैयारी और क्षमता-निर्माण में आमूल बदलाव के संस्थाकरण का प्रतीक है। भारत का खतरा और असुरक्षा प्रोफाइल अब सर्वविदित है। प्राकृतिक और मानव प्रेरित कारकों से उत्पन्न जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से होने वाली कई आपदाएं भारत में संभावित आपदाओं के प्रबंधन में शामिल समुदायों और एजेंसियों के लिए कई खतरे और चुनौतियाँ उत्पन्न करती हैं। दुर्घटना मोचन तंत्र (आईआरएस) का उद्देश्य किसी भी खतरे या आपदा की स्थिति पर मोचन करने का पसंदीदा तंत्र है। हालाँकि 19 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (केंद्र शासित प्रदेश) ने कथित तौर पर आईआरएस अधिसूचित हैं और अन्य इस दिशा में काम भी कर रहे हैं, लेकिन केवल आईआरएस को अधिसूचित करने और दुर्घटना मोचन टीमों (आईआरटी) का गठन करने मात्र से कुशल, प्रभावी और व्यापक मोचन मिलने की संभावना नहीं है। यहीं पर एकीकृत मॉक अभ्यास (एमई) की जरूरत होती है। इन्हें भारत के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जमीनी स्तर पर मानव शक्ति और उपकरणों की सहायता से किया जाता है। राज्य और जिले के प्राथमिक खतरे के आधार पर एम ई होती है, और प्राथमिक खतरे के होने पर होने वाली कई आपदा घटनाओं के लिए एक सुसंगत,

जमीनी मोचन की आवश्यकता होती है।

एकीकृत मॉक अभ्यास

- 6.2 एकीकृत एमई का उद्देश्य (i) आईआरएस-आईआरटी निर्माण के साथ-साथ उन प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूकता प्रदान करना है जो आपदा जोखिम प्रबंधन की सहायता और सुधार करना; (ii) राज्य और जिलों की आपदा प्रबंधन योजनाओं (डीएमपी) के साथ-साथ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे और प्रत्येक विभाग की समीक्षा करना; (iii) आईआरएस के अनुसार आपदा प्रबंधन में शामिल विभिन्न नियोजन/हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर प्रकाश डालना; (iv) जिला (या समकक्ष) स्तर पर आपातकालीन सहायता कार्यों (ईएसएफ) के बीच समन्वय बढ़ाना; और (v) संसाधनों, मानव शक्ति, संचार, मोचन क्षमताओं आदि में चूक, यदि कोई हो, की पहचान करना। अधिकारियों के जल्दी बदलाव से, उपरोक्त सभी कार्रवाइयों से नए पदाधिकारियों को अनुकूल करने में मदद मिलती है।
- 6.3 एकीकृत एमई मजबूत प्रक्रिया का वह हिस्सा है जो सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से सावधानीपूर्वक वार्षिक कैलेंडर तैयार करने के साथ प्रत्येक वर्ष शुरू होता है, और निम्नलिखित अनुक्रम में संचालित किया जाता है:-

चरण	आयोजन	प्रतिभागी
चरण-I (डी माइनस 10 दिन)	• एनडीएमए समन्वयक द्वारा दुर्घटना मोचन प्रणाली (आईआरएस) और संबंधित पहलुओं में प्रशिक्षण :	• जिला-स्तर: अधिकारी और अन्य हितधारक - वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से

	<ul style="list-style-type: none"> ○ भाग-I: आपदा प्रबंधन के महत्व की पुनरावृत्ति; आपदा जोखिम न्यूनीकरण और सतत विकास से इसका जुड़ाव; भारत का त्रिस्तरीय संस्थागत आपदा मोचन तंत्र, आपदाओं के अनौपचारिक वर्गीकरण (एल1, एल2 और एल3) से इसका जुड़ाव; और किस प्रकार ये तंत्र, वर्गीकरण और सहकारी कार्य संबंध सामंजस्य के साथ विभिन्न स्तरों के मोचन बलों/मोचकों (जिला, राज्य और केंद्र) के साथ काम करते हैं। ○ भाग-II: आईआरएस पर प्रशिक्षण, जिसमें शामिल है कि कैसे : <ul style="list-style-type: none"> ➤ आईआरटी बनाएं ➤ मोचन के लिए दुर्घटना कार्य योजना बनाएं। ➤ मोचन, राहत और पुनर्बहाली कार्यों के लिए स्ट्राइक टीमों/टास्क फोर्स/समूहों की संरचना करें। ○ भाग-III: आपदा प्रबंधन के सहयोग में प्रौद्योगिकी का लाभ कैसे उठाया जाए। इसमें शामिल है कि किस प्रकार: <ul style="list-style-type: none"> ➤ संसाधन मैपिंग करें। ➤ स्थितिजन्य/डोमेन जागरूकता बनाएँ। ➤ भू-स्थानिक संसाधनों का लाभ उठाएं। ➤ खतरा-विशिष्ट डेटा, क्षति मूल्यांकन डेटा और कोर डेटा फ्यूज करें। • अभिविन्यास और समन्वय सम्मेलन: यहां, आगामी मॉक अभ्यास के लिए आवश्यक विस्तृत तौर-तरीकों और तैयारियों पर चर्चा की जाती है और उन्हें अंतिम रूप दिया जाता है। 	<ul style="list-style-type: none"> • राज्य-स्तर: अधिकारी और अन्य हितधारक - वीडियो-सम्मेलन के माध्यम से
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>चरण-II (डी माइनस से 02 दिन)</p>	<p>टेबल-टॉप अभ्यास (टीटीईएक्स) - एनडीएमए समन्वयक द्वारा आयोजित किया गया</p>	<p>कर्तव्यों/जिम्मेदारियों के चार्टर के अनुसार सभी स्तरों पर भौतिक संचालन/भागीदारी</p>
<p>चरण-III (डी दिन)</p>	<p>मॉक एक्सरसाइज (एमई) - संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव/सचिव (आपदा प्रबंधन) के समग्र मार्गदर्शन में एनडीएमए समन्वयक द्वारा आयोजित किया जाता है।</p>	
<p>चरण-IV (डी प्लस 15 दिन)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • एनडीएमए समन्वयक द्वारा कार्रवाई रिपोर्ट (एएआर) के बाद। • राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा एनडीएमए को अंतिम रिपोर्ट। • 'पहचानी गई कमियों', 'सीखे हुए सबक' और 'सर्वोत्तम पद्धतियों' पर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और, जहां आवश्यक हो, अन्य संगठनों को भी फीडबैक। 	<p>एनडीएमए, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश, संयुक्त रूप से</p>

6.4 चरण-I प्रशिक्षण के दौरान आपदा प्रबंधन के जिन पहलुओं पर जोर दिया गया है, और चरण-II और चरण-III में किए गए अभ्यास निम्नानुसार हैं:

- (क) दुर्घटना मोचन टीमों (आईआरटी) की संरचना कैसे करें, और आईआरटी नियोजनों की भूमिका।
- (ख) बढ़ते चरण जिसमें आपदा के बारे में जानकारी एकत्र की जाती है और एक सुसंगत मोचन शुरू किया जाता है, जिसमें दुर्घटना कार्य योजना बनाना भी शामिल है।
- (ग) विभिन्न आईआरएस सुविधाओं की संरचना और कार्यप्रणाली।
- (घ) विभिन्न मोचन और पुनर्बहाली कार्यों के लिए स्ट्राइक टीमों/टास्क फोर्स/समूहों का अनुशंसित विन्यास।
- (ङ) आपदा प्रबंधन कार्यों के लिए एक विश्वसनीय, बेहद-सुरक्षित और अतिरिक्त संचार संरचना का निर्माण

कैसे करें। इसमें आपदा की स्थिति के दौरान पुलिस रेडियो नेटवर्क का उपयोग कैसे किया जाए, भी शामिल है।

- (च) तीन महत्वपूर्ण तत्व जो किसी आपदा के मद्देनजर त्वरित, विश्वसनीय प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेंगे:
 - i. एक आपदा-रोधी आपातकालीन परिचालन केंद्र (ईओसी); एसओपी/प्रोटोकॉल सहित इसके घटक, उपकरण और कार्यप्रणाली।
 - ii. किसी आपदा के तत्काल बाद 'स्थिति जागरूकता' का महत्व और उसकी प्राप्ति के साधन।
 - iii. सामान्य/आपदा-पूर्व अवधि के दौरान 'संसाधन मानचित्रण' का महत्व (आपदा मित्र स्वयंसेवक, पूर्व सैनिक और पूर्व-सीएपीएफ आदि सहित) और आपदा की स्थिति/आपातकाल के दौरान मोचक स्थिति सहित संसाधन जागरूकता प्राप्त करने के साधन।

- (छ) प्राकृतिक खतरे की निगरानी के लिए राष्ट्रीय पूर्व-चेतावनी प्रणाली (एनईडब्ल्यूएस); इसमें शामिल एजेंसियां और उनके द्वारा चलाए जा रहे वेब पोर्टल; प्रत्येक द्वारा दी गई जानकारी; और प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए इस जानकारी का लाभ कैसे उठाया जाए।
- (ज) राष्ट्रीय आपदा चेतावनी पोर्टल और “सीएपी आधारित एकीकृत चेतावनी प्रणाली” की सचेत, भुवन, राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन डेटाबेस (एनडीईएम 4.0), भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन), भूकंप और दामिनी आदि के मोबाइल ऐप जैसे पोर्टल और ऐप का लाभ कैसे उठाया जाए। राष्ट्रीय आपदा चेतावनी पोर्टल (SACHET) <https://sachet.ndma.gov.in/> पर उपलब्ध है और मोबाइल ऐप (Sachet) का एंड्रॉइड और iOS संस्करण क्रमशः Google Play और Apple स्टोर पर उपलब्ध है।
- (झ) भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) प्लेटफॉर्म का महत्व और उपयोग।

6.5 एकीकृत एमई इस प्रकार आईआरएस-आईआरटी निर्माण के बारे में जागरूकता पैदा करने और किसी भी आपदा की स्थिति में प्रभावी ढंग से मोचन करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (केंद्र शासित प्रदेश) की क्षमता-निर्माण के लिए एक इष्टतम, किफायती साधन प्रदान करता है। इस उद्देश्य से, एनडीएमए का संचालन प्रभाग राज्य/बहु-राज्य स्तर पर और विशेष मामलों में, जिला-स्तर पर और सामूहिक सभाओं के आयोजनों में भी एकीकृत एमई आयोजित कर रहा है। आईआरएस पर स्टैंड-अलोन प्रशिक्षण भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/संगठनों के स्पष्ट अनुरोध पर आयोजित किया जाता है।

वर्ष 2022-2023 के दौरान आयोजित मॉक अभ्यास

6.6 प्रशिक्षण वर्ष 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च, 2023 के दौरान, एनडीएमए ने 26 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए 22 एमई आयोजित किए हैं। एमई की झलकियां और मुख्य विवरण नीचे दिए गए हैं:-

दिनांक	राज्य, आपदा परिदृश्य और आयोजन	टिप्पणियां
12, 19-21 अप्रैल 2022	<p>राज्य: मणिपुर</p> <p>परिदृश्य: भूकंप</p> <p>आयोजन: राज्य मुख्यालय और सभी 16 जिलों के लिए राज्य स्तरीय मॉक अभ्यास।</p>	<p>उत्तर-पूर्वी क्षेत्र दुनिया के भूकंपीय रूप से सबसे अधिक सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र में 1897 से अब तक दो बड़े भूकंप (एम>8.0) और लगभग 20 बड़े भूकंप (एम 7+) आ चुके हैं। मणिपुर राज्य, जिसका अधिकांश भाग भूकंपीय क्षेत्र 5 में है, और इसके आसपास भूकंप का एक लंबा इतिहास रहा है। मणिपुर में, बहुमंजिला इमारतों में अभूतपूर्व वृद्धि और अनियमित शहरीकरण, विशेष रूप से इम्फाल शहर में, ने भूकंप से जुड़े जोखिमों को विशालकाय बना दिया है। 4 जनवरी 2016 को राज्य में 6.7 तीव्रता का भूकंप आया था। इसलिए, राज्य के लिए भूकंप आपदा परिदृश्य पर मॉक अभ्यास आयोजित किया गया था।</p> <p>कार्यक्रम की अध्यक्षता एनडीएमए के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) ने की, जिसका संचालन सलाहकार (एमई और आईआरएस), एनडीएमए ने किया। राज्य/जिला दुर्घटना मोचन टीमों (आईआरटी) के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, एसडीएमए, डीडीएमए, लाइन विभाग, एसडीआरएफ के अधिकारी</p>

	और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस), सशस्त्र बल, सीएपीएफ और एनडीआरएफके प्रतिनिधियोंके साथ-साथ अन्य सभी हितधारकों ने भाग लिया।
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



दिनांक	राज्य, आपदा परिदृश्य और आयोजन	टिप्पणियां
02 जून 2022	<p>राज्य: मध्य प्रदेश</p> <p>परिदृश्य: बाढ़</p> <p>आयोजन: राज्य मुख्यालय और सभी 52 जिलों के लिए राज्य स्तरीय ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण और टेबल-टॉप अभ्यास।</p>	<p>बाढ़ उन प्राथमिक खतरों में से एक है जिसका सामना मध्य प्रदेश को समय-समय पर करना पड़ता है। इसलिए, बाढ़ के मौसम से ठीक पहले एक ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण और टेबल-टॉप एक्सरसाइज (टीटीईएक्स) का आयोजन किया गया था।</p> <p>कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री राजेंद्र सिंह, सदस्य, एनडीएमए और अपर मुख्य सचिव (गृह) ने संयुक्त रूप से की और सलाहकार (एमई और आईआरएस), एनडीएमए ने संचालन किया। सचिव (डीएम) और राहत आयुक्त, मध्य प्रदेश सरकार, राज्य/जिला दुर्घटना मोचन टीमों (आईआरटी) के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, एसडीएमए और डीडीएमए के अधिकारी, लाइन विभाग और पूर्व-चेतावनी (ईडब्ल्यू) एजेंसियों/केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), सशस्त्र बलों के प्रतिनिधि, सीएपीएफ और एनडीआरएफ सहित अन्य सभी हितधारकों ने भाग लिया।</p>




दिनांक	राज्य, आपदा परिदृश्य और आयोजन	टिप्पणियां
14, 22-23 जून 2022	<p>राज्य: जम्मू और कश्मीर</p> <p>परिदृश्य: श्री अमरनाथ जी यात्रा</p> <p>घटना: श्री अमरनाथ जी यात्रा-2022 से पहले बहु-खतरा डीएम प्रशिक्षण</p> <ul style="list-style-type: none"> • आईआरएस पर प्रशिक्षण • समन्वय सम्मेलन • टेबल-टॉप व्यायाम • कृत्रिम अभ्यास 	<p>अमरनाथ जी यात्रा से पहले आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण एक वार्षिक कार्यक्रम रहा है। जून 2022 में भी, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के विशेष अनुरोध पर, एनडीएमए ने इस यात्रा के प्रबंधन में शामिल सभी हितधारकों के लिए आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण आयोजित किया। यह प्रशिक्षण यात्रा के दोनों मार्गों, यानी बालटाल एक्सिस (जिला गंदरबल) और पहलगाम अक्ष (जिला अनंतनाग) पर अलग-अलग आयोजित किया गया था। एमई की अध्यक्षता प्रत्येक जिले के डीसी और श्राइन बोर्ड के अधिकारियों द्वारा की गई, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश और जिला प्रशासन, अन्य हितधारकों के साथ-साथ प्रथम मोचकों, जैसे:- एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सशस्त्र बल, सीएपीएफ और सामुदायिक स्वयंसेवकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।</p>




दिनांक	राज्य, आपदा परिदृश्य और आयोजन	टिप्पणियां
29 जून, 05-07 जुलाई 2022	<p>राज्य: उत्तर प्रदेश</p> <p>परिदृश्य: बाढ़</p> <p>आयोजन: राज्य मुख्यालय और 40 बाढ़ संभावित जिलों के लिए राज्य स्तरीय मॉक अभ्यास।</p>	<p>बाढ़ उन प्राथमिक खतरों में से एक है जिसका सामना उत्तर प्रदेश राज्य को समय-समय पर करना पड़ता है। इसलिए, बाढ़ के मौसम से ठीक पहले एमई का आयोजन किया गया था।</p> <p>कार्यक्रम की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए और उपाध्यक्ष, यूपीएसडीएमए ने संयुक्त रूप से की और संचालन सलाहकार (एमई और आईआरएस), एनडीएमए द्वारा किया गया। सचिव (डीएम) और राहत आयुक्त, यूपी सरकार, राज्य /जिला दुर्घटना मोचन टीमों (आईआरटी) के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, एसडीएमए और डीडीएमए के अधिकारी, लाइन विभाग और पूर्व-चेतावनी (ईडब्ल्यू) एजेंसियों/केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), सशस्त्र बलों के प्रतिनिधि, सीएपीएफ और एनडीआरएफ सहित अन्य सभी हितधारकों ने भाग लिया।</p>



दिनांक	राज्य, आपदा परिदृश्य और आयोजन	टिप्पणियां
27 जुलाई 2022	<p>राज्य: झारखंड</p> <p>परिदृश्य: बाढ़</p> <p>आयोजन: राज्य मुख्यालय और 22 जिलों के लिए राज्य स्तरीय ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण और टेबल-टॉप अभ्यास</p>	<p>बाढ़ उन प्राथमिक खतरों में से एक है जिसका सामना झारखंड राज्य को समय-समय पर करना पड़ता है। इसलिए, बाढ़ के मौसम से ठीक पहले एक ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण और टीटीईएक्स का आयोजन किया गया था।</p> <p>कार्यक्रम की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए और सचिव (डीएम), झारखंड सरकार ने की और संचालन सलाहकार (एमई और आईआरएस), एनडीएमए ने किया। राज्य/जिला दुर्घटना प्रतिक्रिया टीमों (आईआरटी) के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों, एसडीएमए और डीडीएमए के अधिकारियों, लाइन विभागों और पूर्व-चेतावनी (ईडब्ल्यू) एजेंसियों/केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), सशस्त्र बलों, सीएपीएफ और एनडीआरएफ के प्रतिनिधियों के साथ-साथ अन्य सभी हितधारकों ने भाग लिया।</p>



दिनांक	राज्य, आपदा परिदृश्य और आयोजन	टिप्पणियां
19, 27-29 जुलाई 2022	<p>राज्य: कर्नाटक</p> <p>परिदृश्य: रासायनिक (औद्योगिक)</p> <p>आयोजन: राज्य मुख्यालय और सभी 31 जिलों के लिए राज्य स्तरीय मॉक अभ्यास</p>	<p>कर्नाटक, देश के सबसे अधिक औद्योगिक राज्यों में से एक है और फार्मा, रसायन और पेट्रो-रसायन उद्योगों का केंद्र है। आबादी वाले क्षेत्रों के नजदीक उद्योग होने से, औद्योगिक-रासायनिक आपदाओं से जोखिम बढ़ जाता है। इसलिए, रासायनिक (औद्योगिक) आपदा परिदृश्य पर राज्य के लिए एक मॉक अभ्यास का आयोजन किया गया था।</p> <p>कार्यक्रम की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए और आयुक्त (डीएम) केएसडीएमए/सचिव (राहत) ने की और संचालन सलाहकार (एमई और आईआरएस), एनडीएमए द्वारा किया गया। राज्य/जिला दुर्घटना मोचन टीमों (आईआरटी) के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, एसडीएमए और डीडीएमए के अधिकारी, डीजी एफएसएलआई, सीपीसीबी, एसपीसीबी, फैक्ट्री/उद्योग विभाग, प्रमुख दुर्घटना खतरा (एमएएच) इकाइयां और सशस्त्र बलों, सीएपीएफ और एनडीआरएफ के प्रतिनिधि सहित अन्य सभी हितधारकों ने भाग लिया।</p>



दिनांक	राज्य, आपदा परिदृश्य और आयोजन	टिप्पणियां
23, 30 अगस्त, 01 सितम्बर 2022	<p>राज्य: तमिलनाडु</p> <p>परिदृश्य: बाढ़</p> <p>आयोजन: राज्य मुख्यालय और सभी 38 जिलों के लिए राज्य स्तरीय मॉक अभ्यास</p>	<p>बाढ़ प्राथमिक खतरों में से एक है जिसका तमिलनाडु राज्य समय-समय पर सामना करता है। इसलिए, बाढ़ परिदृश्य पर एक मॉक अभ्यास का आयोजन किया गया था।</p> <p>कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री राजेंद्र सिंह, सदस्य, एनडीएमए और अपर मुख्य सचिव और आयुक्त (राजस्व और डीएम), तमिलनाडु सरकार, जिसका संचालन सलाहकार (एमई और आईआरएस), एनडीएमए द्वारा किया गया था। राज्य/जिला दुर्घटना मोचन टीमों (आईआरटी) के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों, एसडीएमए और डीडीएमए के अधिकारियों, लाइन विभागों और ईडब्ल्यू एजेंसियों/सीडब्ल्यूसी, सशस्त्र बलों, सीएपीएफ और एनडीआरएफ के प्रतिनिधियों के साथ-साथ अन्य सभी हितधारकों ने भाग लिया।</p>



दिनांक	राज्य, आपदा परिदृश्य और आयोजन	टिप्पणियां
26 अगस्त, 06-08 सितंबर 2022	<p>राज्य: केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख</p> <p>परिदृश्य: भूकंप</p> <p>आयोजन: केंद्र शासित प्रदेश मुख्यालय और उसके 02 जिलों के लिए केंद्र शासित प्रदेश - स्तरीय मॉक अभ्यास</p>	<p>केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भूकंपीय क्षेत्र-IV में है और भूकंप के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। आपदा तैयारियों में नवगठित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का मार्गदर्शन और सहायता करने के लिए, भूकंप परिदृश्य पर एक मॉक अभ्यास का आयोजन किया गया था।</p> <p>कार्यक्रम की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए और डिवीजनल कमांडर, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने की और संचालन सलाहकार (एमई और आईआरएस), एनडीएमए ने किया। संभागीय आयुक्त और सचिव (राजस्व और डीएम), केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश/जिला दुर्घटना मोचन टीमों (आईआरटी) के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, एसडीएमए और डीडीएमए के अधिकारी, लाइन विभाग और एनसीएस, सशस्त्र बल, सीएपीएफ और एनडीआरएफ के प्रतिनिधि, साथ में अन्य सभी हितधारकों ने भाग लिया।</p>



दिनांक	राज्य, आपदा परिदृश्य और आयोजन	टिप्पणियां
29 सितम्बर 2022	<p>राज्य: पंजाब</p> <p>परिदृश्य: बाढ़</p> <p>आयोजन: राज्य मुख्यालय और सभी 23 जिलों के लिए राज्य स्तरीय ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण और टेबल-टॉप अभ्यास</p>	<p>बाढ़ उन प्राथमिक खतरों में से एक है जिसका सामना पंजाब राज्य को समय-समय पर करना पड़ता है। इसलिए, राज्य के लिए एक ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण और टीटीईएक्स का आयोजन किया गया था।</p> <p>कार्यक्रम की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए और अपर मुख्य सचिव और वित्तीय आयुक्त (राजस्व), पंजाब सरकार ने की, जिसका संचालन सलाहकार (एमई और आईआरएस), एनडीएमए द्वारा किया गया। राज्य/जिला दुर्घटना मोचन टीमों (आईआरटी) के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों, एसडीएमए और डीडीएमए के अधिकारियों, लाइन विभागों और ईडब्ल्यू एजेंसियों/केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), सशस्त्र बलों, सीएपीएफ और एनडीआरएफ के प्रतिनिधियों के साथ-साथ अन्य सभी हितधारकों ने भाग लिया।</p>



दिनांक	राज्य, आपदा परिदृश्य और आयोजन	टिप्पणियां
12, 18-20 अक्टूबर 2022	<p>राज्य: त्रिपुरा</p> <p>परिदृश्य: भूकंप</p> <p>आयोजन: राज्य मुख्यालय और सभी 08 जिलों के लिए राज्य स्तरीय मॉक अभ्यास।</p>	<p>त्रिपुरा राज्य भूकंपीय क्षेत्र-V में है। इसके अलावा, भारत के उत्तर-पूर्व (एनई) क्षेत्र में भूकंप का इतिहास रहा है।</p> <p>पूर्वोत्तर क्षेत्र में/उसके आसपास तीन एनडीआरएफ बटालियनों तैनात हैं। क्षेत्र में बड़े भूकंप की स्थिति में, इन बटालियनों के संसाधनों को प्रभावित राज्यों में विभाजित करना होगा। इसलिए, एनडीआरएफ पर प्रतिस्पर्धी मांगों के साथ, और त्रिपुरा की कनेक्टिविटी को देखते हुए, यह जरूरी है कि त्रिपुरा राज्य आईआरएस-आईआरटी निर्माण का उपयोग करके स्वर्णिम समय में त्वरित घरेलू प्रतिक्रिया देने के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। इसलिए, भूकंप परिदृश्य पर एक मॉक अभ्यास आयोजित किया गया था। इसमें 1897 के 8.7 तीव्रता वाले शिलांग भूकंप का अनुकरण हुआ था।</p> <p>कार्यक्रम की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए और प्रधान सचिव (राजस्व), त्रिपुरा सरकार ने की, जिसका संचालन सलाहकार (एमई और आईआरएस), एनडीएमए द्वारा किया गया। सचिव (राजस्व/डीएम), त्रिपुरा सरकार, राज्य/जिला दुर्घटना मोचन टीमों (आईआरटी) के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों, एसडीएमए और डीडीएमए, लाइन विभागों और एनसीएस, सशस्त्र बलों, सीएपीएफ और एनडीआरएफ के अधिकारियों के साथ-साथ अन्य सभी हितधारकों ने भाग लिया।</p>



दिनांक	राज्य, आपदा परिदृश्य और आयोजन	टिप्पणियां
26 अक्टूबर, 02-04 नवंबर 2022	<p>राज्य: छत्तीसगढ़</p> <p>परिदृश्य: बाढ़</p> <p>आयोजन: राज्य मुख्यालय और सभी 33 जिलों के लिए राज्य स्तरीय मॉक अभ्यास</p>	<p>बाढ़ उन प्राथमिक खतरों में से एक है जिसका सामना छत्तीसगढ़ राज्य को समय-समय पर करना पड़ता है। इसलिए, बाढ़ परिदृश्य पर एक मॉक अभ्यास आयोजित किया गया था।</p> <p>कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री राजेंद्र सिंह, सदस्य, एनडीएमए और सचिव (राजस्व एवं डीएम), छत्तीसगढ़ सरकार, और संचालन सलाहकार (एमई एवं आईआरएस), एनडीएमए द्वारा किया गया। राज्य/जिला दुर्घटना मोचन टीमों (आईआरटी) के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों, एसडीएमए और डीडीएमए के अधिकारियों, लाइन विभागों और ईडब्ल्यू एजेंसियों/सीडब्ल्यूसी, सशस्त्र बलों, सीएपीएफ और एनडीआरएफ के प्रतिनिधियों के साथ-साथ अन्य सभी हितधारकों ने भाग लिया।</p>



दिनांक	राज्य, आपदा परिदृश्य और आयोजन	टिप्पणियां
30 नवंबर 2022	<p>राज्य: महाराष्ट्र</p> <p>परिदृश्य: बाढ़</p> <p>आयोजन: राज्य मुख्यालय और सभी 36 जिलों के लिए आईआरएस प्रशिक्षण और टेबल-टॉप अभ्यास</p>	<p>महाराष्ट्र राज्य बाढ़ और शहरी बाढ़ से ग्रस्त है और पिछले कुछ वर्षों के दौरान मानसून से उत्पन्न बाढ़ के कारण जान-माल की हानि हुई है। इसलिए, बाढ़ परिदृश्य पर एक ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण और टीटीईएक्स का आयोजन किया गया था।</p> <p>कार्यक्रम की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए ने की और संचालन सलाहकार (एमई और आईआरएस), एनडीएमए ने किया। सदस्य सचिव, महाराष्ट्र एसडीएमए, राज्य/जिला दुर्घटना मोचन टीमों (आईआरटी) के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, एसडीएमए और डीडीएमए के अधिकारी, लाइन विभाग और ईडब्ल्यू एजेंसियों/सीडब्ल्यूसी, सशस्त्र बलों, सीएपीएफ और एनडीआरएफ के प्रतिनिधियों के साथ-साथ अन्य सभी हितधारक, भाग लिया।</p>



दिनांक	राज्य, आपदा परिदृश्य और आयोजन	टिप्पणियां
19, 27-29 दिसंबर 2022	<p>राज्य: केरल</p> <p>परिदृश्य: बाढ़</p> <p>आयोजन: राज्य मुख्यालय और सभी 14 जिलों के लिए राज्य स्तरीय मॉक अभ्यास</p>	<p>केरल राज्य बाढ़ और भूस्खलन से ग्रस्त है और पिछले कुछ वर्षों के दौरान मानसून से उत्पन्न और चक्रवाती बाढ़ के कारण जान-माल की हानि हुई है। इसलिए, बाढ़ परिदृश्य पर एक मॉक अभ्यास आयोजित किया गया था।</p> <p>कार्यक्रम की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए और केरल सरकार के अपर मुख्य सचिव (राजस्व और डीएम) ने की, जिसका संचालन सलाहकार (एमई और आईआरएस), एनडीएमए द्वारा किया गया। राज्य/जिला दुर्घटना मोचन टीमों (आईआरटी) के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों, एसडीएमए और डीडीएमए, लाइन विभागों के अधिकारियों और ईडब्ल्यू एजेंसियों/सीडब्ल्यूसी, सशस्त्र बलों, सीएपीएफ और एनडीआरएफ के प्रतिनिधियों के साथ-साथ अन्य सभी हितधारकों ने भाग लिया।</p>



दिनांक	राज्य, आपदा परिदृश्य और आयोजन	टिप्पणियां
24 जनवरी 2023	<p>राज्य : सिक्किम</p> <p>परिदृश्य : भूकंप</p> <p>आयोजन : राज्य मुख्यालय और सभी 06 जिलों के लिए राज्य स्तरीय ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण और टेबल-टॉप अभ्यास।</p>	<p>सिक्किम राज्य, जिसका अधिकांश भाग भूकंपीय क्षेत्र IV में है, में इसके आसपास भूकंपों का एक लंबा इतिहास रहा है (18 सितंबर 2011 - यहां एक बड़ा भूकंप (6.8) आया था, जिससे व्यापक क्षति हुई थी)। इसलिए, राज्य के लिए भूकंप परिदृश्य पर एक ऑनलाइन आईआरएस प्रशिक्षण और टीटीईएक्स आयोजित किया गया था।</p> <p>कार्यक्रम की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए और सचिव-सह-राहत आयुक्त, सिक्किम सरकार ने की, जिसका संचालन सलाहकार (एमई और आईआरएस), एनडीएमए द्वारा किया गया। राज्य/जिला दुर्घटना मोचन टीमों (आईआरटी) के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों, एसडीएमए और डीडीएमए, लाइन विभागों और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस), सशस्त्र बलों, सीएपीएफ और एनडीआरएफ के अधिकारियों के साथ-साथ अन्य सभी हितधारकों ने भाग लिया।</p>



दिनांक	राज्य, आपदा परिदृश्य और आयोजन	टिप्पणियां
23, 31 जनवरी- 02 फरवरी 2023	<p>राज्य: मिज़ोरम</p> <p>परिदृश्य: भूकंप</p> <p>आयोजन: राज्य मुख्यालय और 09 जिले के लिए राज्य स्तरीय मॉक अभ्यास</p>	<p>राज्य भूकंपीय क्षेत्र-V में है। इसके अलावा, भारत के उत्तर-पूर्व (एनई) क्षेत्र में भूकंप का इतिहास रहा है।</p> <p>पूर्वोत्तर क्षेत्र में/उसके आसपास तीन एनडीआरएफ बटालियनों तैनात हैं। क्षेत्र में बड़े भूकंप की स्थिति में, इन बटालियनों के संसाधनों को प्रभावित राज्यों में विभाजित करना होगा। इसलिए, एनडीआरएफ पर प्रतिस्पर्धी मांगों के साथ, और मिज़ोरम की कनेक्टिविटी को देखते हुए, यह जरूरी है कि मिज़ोरम राज्य आईआरएस-आईआरटी निर्माण का उपयोग करके स्वर्णिम घंटों में त्वरित इन-हाउस मोचन देने के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। इसलिए, भूकंप परिदृश्य पर एक मॉक अभ्यास आयोजित किया गया था। इसमें 1897 के 8.7 तीव्रता वाले शिलांग भूकंप को सिम्युलेट किया गया था।</p>

		कार्यक्रम की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए और सचिव (डीएम और पुनर्वास), मिजोरम सरकार ने की, जिसका संचालन सलाहकार (एमई और आईआरएस), एनडीएमए द्वारा किया गया। सचिव (राजस्व/डीएम), मिजोरम सरकार, राज्य/जिला दुर्घटना मोचन टीमों (आईआरटी) के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों, एसडीएमए और डीडीएमए, लाइन विभागों और एनसीएस, सशस्त्र बलों, सीएपीएफ और एनडीआरएफ के अधिकारियों के साथ-साथ अन्य सभी हितधारकों ने भाग लिया।
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

दिनांक	राज्य, आपदा परिदृश्य और आयोजन	टिप्पणियां
31 जनवरी, 07-09 फरवरी 2023	<p>राज्य: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश</p> <p>परिदृश्य: सुनामी</p> <p>आयोजन: राज्य मुख्यालय और सभी 03 जिलों के लिए राज्य स्तरीय मॉक अभ्यास</p>	<p>केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तीन जिले हैं। दक्षिण अंडमान, उत्तर और मध्य अंडमान और निकोबार। केंद्र शासित प्रदेश कई प्रकार के खतरों/ आपदाओं जैसे सुनामी, भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, बैरेन द्वीप में ज्वालामुखीय गतिविधि को देखते हुए संवेदनशील हैं। केंद्र शासित प्रदेश और उसके सभी जिलों के लिए सुनामी के परिदृश्य को दर्शाने वाला एक मॉक अभ्यास आयोजित किया गया था।</p> <p>कार्यक्रम की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए ने की और संचालन सलाहकार (एमई और आईआरएस), एनडीएमए ने किया। आयुक्त-सह-सचिव (डीएम), केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केंद्र शासित प्रदेश/जिला दुर्घटना मोचन टीमों (आईआरटी) के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, एसडीएमए और डीडीएमए, लाइन विभाग और पूर्व चेतावनी एजेंसियों/आईएनसीओआईएस, एनसीएस, सशस्त्र बल, सीएपीएफ और एनडीआरएफ के अधिकारियों सहित अन्य सभी हितधारकों ने भाग लिया।</p>



दिनांक	राज्य, आपदा परिदृश्य और आयोजन	टिप्पणियां
27 जनवरी, 08-10 फरवरी 2023	<p>राज्य: केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी</p> <p>परिदृश्य: चक्रवात</p> <p>घटना: केंद्र शासित प्रदेश मुख्यालय और उसके 02 जिलों के लिए केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय मॉक अभ्यास</p>	<p>केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है और इसमें पुडुचेरी और कराईकल, दो अलग-अलग जिले शामिल हैं। पुडुचेरी जिलों में पुडुचेरी क्षेत्र और माहे और यानम की दो दूरस्थ प्रशासनिक इकाइयाँ शामिल हैं। पुडुचेरी, कराईकल, और बंगाल की खाड़ी पर हैं तथा पर यानम और माहे अरब सागर पर। केंद्र शासित प्रदेश का बड़ा हिस्सा चक्रवात, बाढ़ और भूकंप जैसे कई प्राकृतिक खतरों से ग्रस्त है और मुख्य रूप से उत्तर पूर्व मानसून से प्रभावित है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रति संवेदनशील तटीय केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण, चक्रवात परिदृश्य पर एक मॉक अभ्यास आयोजित किया गया था।</p> <p>कार्यक्रम की अध्यक्षता एनडीएमए के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) ने की और संचालन सलाहकार (एमई और आईआरएस) ने किया। सचिव (राजस्व/डीएम), केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश /जिला दुर्घटना मोचन टीमों (आईआरटी) के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों, एसडीएमए और डीडीएमए, लाइन विभागों और ईडब्ल्यू एजेंसियों/आईएमडी, सशस्त्र बलों, सीएपीएफ और एनडीआरएफ के अधिकारियों के साथ अन्य सभी हितधारकों ने भाग लिया।</p>



दिनांक	राज्य, आपदा परिदृश्य और आयोजन	टिप्पणियां
14, 21-23 फरवरी 2023	<p>राज्य: आंध्र प्रदेश</p> <p>परिदृश्य: रासायनिक (औद्योगिक)</p> <p>आयोजन: राज्य मुख्यालय और 09 जिलों के लिए राज्य स्तरीय मॉक अभ्यास</p>	<p>आंध्र प्रदेश देश के सबसे अधिक औद्योगिक राज्यों में से एक है और फार्मा, रसायन और पेट्रो-रसायन उद्योगों का केंद्र है। आबादी वाले क्षेत्रों के नजदीक उद्योग होने से, औद्योगिक-रासायनिक आपदाओं से जोखिम बढ़ जाता है। इसलिए, रासायनिक (औद्योगिक) आपदा परिदृश्य पर राज्य के लिए एक मॉक अभ्यास आयोजित किया गया था।</p> <p>कार्यक्रम की अध्यक्षता एनडीएमए के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) ने की और संचालन सलाहकार (एमई और आईआरएस), एनडीएमए ने किया। प्रबंध निदेशक, एपीएसडीएमए, आंध्र</p>

		<p>प्रदेश सरकार, राज्य/जिला दुर्घटना मोचन टीमों (आईआरटी) के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, एसडीएमए और डीडीएमए के अधिकारी, डीजी एफएसएलआई, सीपीसीबी, एसपीसीबी, फैक्टरी/उद्योग विभाग, प्रमुख दुर्घटना खतरा (एमएएच) इकाइयां और सशस्त्र के प्रतिनिधि बलों, सीएपीएफ और एनडीआरएफ सहित अन्य सभी हितधारकों ने भाग लिया।</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



दिनांक	राज्य, आपदा परिदृश्य और आयोजन	टिप्पणियां
16 फरवरी, 01-03 मार्च 2023	<p>राज्य: गोवा</p> <p>परिदृश्य: चक्रवात</p> <p>आयोजन: राज्य मुख्यालय और उसके 02 जिलों के लिए राज्य स्तरीय मॉक अभ्यास</p>	<p>हालाँकि गोवा को आज तक किसी भी बड़ी आपदा से प्रभावित नहीं होने का सौभाग्य मिला है, फिर भी यह बाढ़, चक्रवाती तूफान, भूस्खलन, खनन खतरों और समुद्री कटाव, आग, औद्योगिक दुर्घटनाओं आदि जैसे खतरों/ आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। गोवा एक छोटा राज्य है जिसमें केवल 02 जिले हैं अर्थात् उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रति संवेदनशील तटीय राज्य होने के कारण, चक्रवात परिदृश्य पर एक मॉक अभ्यास आयोजित किया गया था।</p> <p>कार्यक्रम की अध्यक्षता एनडीएमए के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) ने की और संचालन सलाहकार (एमई और आईआरएस) ने किया। सचिव (डीएम/राजस्व), गोवा सरकार, राज्य/जिला दुर्घटना मोचन टीमों (आईआरटी) के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, एसडीएमए और डीडीएमए के अधिकारी, लाइन विभाग और ईडब्ल्यू एजेंसियां/ आईएमडी, सशस्त्र बल, सीएपीएफ और एनडीआरएफ, सभी के साथ अन्य हितधारकों ने भाग लिया।</p>



दिनांक	राज्य, आपदा परिदृश्य और आयोजन	टिप्पणियां
15, 21-23 मार्च, 2023	<p>राज्य: पश्चिम बंगाल</p> <p>परिदृश्य: चक्रवात</p> <p>आयोजन: राज्य मुख्यालय और 08 जिलों के लिए राज्य स्तरीय मॉक अभ्यास</p>	<p>पश्चिम बंगाल राज्य बाढ़, चक्रवाती तूफान, भूस्खलन, खनन खतरों और समुद्री कटाव, आग, औद्योगिक दुर्घटनाओं आदि जैसे कई खतरों/आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। राज्य के 08 तटीय जिले दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान चक्रवात आपदा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। इसलिए, 08 चक्रवात संभावित जिलों के लिए चक्रवात परिदृश्य पर एक मॉक अभ्यास आयोजित किया गया था।</p> <p>कार्यक्रम की अध्यक्षता एनडीएमए के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) ने की और संचालन सलाहकार (एमई और आईआरएस) ने किया। सचिव (डीएम/राजस्व), पश्चिम बंगाल सरकार, राज्य/जिला दुर्घटना मोचन टीमों (आईआरटी) के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, एसडीएमए और डीडीएमए के अधिकारी, लाइन विभाग और ईडब्ल्यू एजेंसियां/आईएमडी, सशस्त्र बल, सीएपीएफ और एनडीआरएफ, साथ ही अन्य सभी हितधारकों ने भाग लिया।</p>

एकीकृत मॉक अभ्यास प्रक्रिया की फीडबैक साझा करना:

6.7 प्रत्येक मॉक अभ्यास के सफल संचालन के बाद, फीडबैक को संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के साथ साझा किया जाता है, जिसमें भारत को एक आपदा रोधी देश बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनकी तैयारियों में सुधार करने और उनकी क्षमताओं का निर्माण करने के लिए पहचाने गए सर्वोत्तम पद्धतियों और चूकों पर प्रकाश डाला जाता है।

वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक एमई कैलेंडर का अंतिम रूप :

6.8 वार्षिक मॉक अभ्यास कैलेंडर तैयार करने के उद्देश्य से दिनांक 17 मार्च, 2023 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ परामर्शी सम्मेलन आयोजित किया गया और तदनुसार, कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया।

परमाणु ऊर्जा संयंत्रों (एनपीपी) के लिए ऑफ-साइट आपातकालीन अभ्यास (ओएसईई)

6.9 एनडीएमए ने 11 अक्टूबर 2022 को एनपीपी केएपीएस काकरापार (जिला : सूरत, गुजरात) और दिनांक 14 दिसंबर, 2022 को एनपीपी आरएपीएस रावतभाटा (जिला : चित्तौड़गढ़ , राजस्थान) में “एकीकृत कमान नियंत्रण और मोचन” मोड में रेडियोलॉजिकल ऑफ-साइट आपातकालीन अभ्यास (ओएसईई) में भाग लिया। विस्तृत फीडबैक राज्य अधिकारियों और परमाणु ऊर्जा (डीई) विभाग के साथ साझा की गई है।

विदेशों के साथ संयुक्त मॉक अभ्यास

6.10 आपदा की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती, इसलिए पड़ोसी देशों के साथ-साथ क्षेत्रीय सहयोग समूहों के साथ समुत्थानशील बनाने पर काम करना समय की मांग है। विदेशों के साथ संयुक्त एमई अभ्यास आपसी सीखने और सामान्य मानकों और प्रोटोकॉल को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ताकि बहुमूल्य जीवन बचाने के लिए कुशल और प्रभावी मोचन के लिए गोल्डन समय के दौरान न्यूनतम समय के भीतर एक-दूसरे की जरूरतों को पूरा किया जा सके। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मुख्यालय भारतीय रक्षा सेवा (सेना, नौसेना, वायु सेना और भारतीय तट रक्षक बल), एनडीआरएफ और चयनित राज्यों जैसे संबंधित हितधारकों की भागीदारी के साथ एनडीएमए ऐसे संयुक्त

एमई और टेबल टॉप अभ्यास (टीटीईएक्स) का समन्वय और संचालन कर रहा है। दिनांक 01 अप्रैल 2022-31 मार्च 2023 के दौरान आयोजित ऐसे संयुक्त एमई का विवरण इस प्रकार है:

- ब्रिक्स विशेषज्ञ स्तरीय कार्यशाला दिनांक 26 जुलाई, 2022 को आयोजित की गई और ब्रिक्स शहरी खोज और बचाव सिमुलेशन अभ्यास (ब्रिक्स SIMEX 2022) 27 से 29 जुलाई 2022 तक 8वीं बटालियन मुख्यालय गाजियाबाद में आयोजित किया गया।
- वार्षिक संयुक्त एचएडीआर त्रि-सेवा अभ्यास-2022 (अभ्यास-समन्वय) आसियान सदस्य राज्यों की भागीदारी के साथ 01-03 नवंबर 2022 से आईएएफ (मुख्यालय आईडीएस) द्वारा वायुसेना स्टेशन, आगरा में आयोजित किया गया।
- क्वाड मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (एचएडीआर) टेबल टॉप एक्सरसाइज (टीटीईएक्स) सभी क्वाड सदस्य देशों की भागीदारी के साथ विदेश मंत्रालय द्वारा दिनांक 12-14 दिसंबर 2022 को आयोजित की गई।
- क्वाड महामारी तैयारी अभ्यास (क्यूपीपीई) और अंतिम टीटीईएक्स दिनांक 15 दिसंबर, 2022 को विदेश मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा क्वाड सदस्य राज्यों की भागीदारी के साथ आयोजित किया गया।



भूकंप प्रभावित तुर्किये और सीरिया को एचएडीआर/यूएसएआर की सहायता (ऑपरेशन दोस्त)

6.11 एनडीएमए ने डीएम अधिनियम 2005 की धारा 6(2) (एच) के तहत अधिदेश के अनुसार भारत सरकार के निर्देशों पर भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया (ऑपरेशन दोस्त) को एचएडीआर शहरी खोज एवं बचाव (यूएसएआर) सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय दल की लामबंदी का समन्वय किया। एनडीआरएफ की 03 टीम और भारतीय सेना के मोबाइल हॉस्पिटल (60 पैरा फील्ड) की टीमों ने क्षतिग्रस्त इमारत खोज एवं बचाव (सीएसएसआर) ऑपरेशन किए, तथा दिनांक 07/08 फरवरी 2023 से 19 फरवरी 2023 तक भूकंप पीड़ितों को राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता प्रदान की। सीरिया तक भी राहत सामग्री की सहायता पहुंचाई गई।

इसके बाद, एनडीएमए ने दिनांक 28 फरवरी, 2023 को लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम** (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए की अध्यक्षता में एक डीब्रीफिंग सम्मेलन आयोजित किया। राष्ट्रीय भूकंपविज्ञान केंद्र (एनसीएस), विदेश मंत्रालय (एमईए), भारतीय वायु सेना (आईएएफ), एनडीआरएफ के कंटिन्जेंट कमांडरों के साथ-साथ 60 पैरा फील्ड अस्पताल, और सेना ने अपने प्रत्यक्ष अनुभव साझा करते हुए अपनी प्रस्तुतियां दीं। इसके बाद सभी प्रतिभागियों अर्थात विदेश मंत्रालय, एनडीआरएफ, सेना, आईएएफ, मुख्यालय आईडीएस (एमओडी), एनसीएस, एनआईडीएम, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीबीआरआई) और तुर्किये और सीरिया में भारतीय दूतावास (ऑनलाइन मोड के माध्यम से) द्वारा पहचानी गई चूकों, सर्वोत्तम पद्धतियों और सीखे गए सबक के बारे में अपने विचार व्यक्त किए।



एनडीआरएफ द्वारा जिला स्तरीय मॉक एक्सरसाइज कार्यक्रम

6.12 माननीय गृह मंत्री द्वारा समीक्षा

माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने दिनांक 30 जून, 2020 को देश की आपदा प्रबंधन गतिविधियों की समीक्षा की और उसके बाद निर्देश दिया कि निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए देश के प्रत्येक जिले में हर तीन साल में कम से कम एक बार मॉक अभ्यास आयोजित किया जाना चाहिए:

- (क) प्रत्येक जिला आपदा मोचन के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षित टीमों का गठन सुनिश्चित करना।
- (ख) प्रत्येक जिले की आपदा प्रबंधन योजनाओं की क्षमता और उसके तैयारी घटक का परीक्षण करना।

(ग) विभिन्न हितधारकों के बीच और अधिक सामंजस्य और समन्वय स्थापित करना।

6.13 यह भी निदेशित किया गया कि जिले के मॉक अभ्यास वाले दिन, संबंधित जिले और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की अग्निप्रशमन और आपातकालीन सेवाएं (एफ एंड ईएस) भी अपने अधिकार क्षेत्र में स्कूलों का दौरा करेंगी और जिले में पूर्व चिन्हित विद्यालयों में 10 से 20 मॉक ड्रिल आयोजित करेंगी।

6.14 निदेशों के अनुसार, एनडीआरएफ को जिला स्तर पर मॉक अभ्यास आयोजित करने का काम सौंपा गया है। वर्ष 2020-21 से एनडीआरएफ द्वारा आयोजित जिला स्तरीय एमई इस प्रकार हैं:

वित्तीय वर्ष	कवर किये गये जिले
2020-21	98
2021-22	239
2022-23	331
2023-24	244 जिलों के लिए योजना बनाई गई है

एनडीएमए के सदस्यों ने दिनांक 16 सितंबर, 2021 और दिनांक 07 सितंबर, 2022 को जिला स्तरीय मॉक अभ्यास पर एनडीआरएफ के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें एनडीआरएफ ने बताया उसके नियंत्रण के बाहर कारणों जैसे- मानसून का मौसम, चक्रवात और कोविड-19 महामारी के अलावा अन्य आपदाओं के कारण एमई के संचालन में काफी बैकलॉग है। इसलिए, तीन साल की अवधि के भीतर देश के सभी जिलों में एमई आयोजित करने का अपेक्षित लक्ष्य संभव नहीं लगता है। हालाँकि, वांछित लक्ष्य हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं।


आपदा जोखिम प्रबंधन में महिलाओं की व्यापक भागीदारी और नेतृत्व

6.15 एनडीएमए द्वारा सीएपीएफ से संबंधित एनडीआरएफ बटालियनों में प्रतिनियुक्ति पर अधिकृत सामान्य ड्यूटी (जीडी) महिला कर्मियों को प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय के परामर्श से ठोस प्रयास किए गए हैं। परिणामस्वरूप, कुल 239 जीडी महिला कर्मी एनडीआरएफ में शामिल हो गई हैं।

संसद भवन के लिए सुग्राह्य अभ्यास और प्रदर्शन

6.16 एनडीएमए ने भूकंप आपातकाल के दौरान आपातकालीन तैयारियों और मोचन पर संसद भवन के साथ-साथ नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के लिए प्रदर्शन और मॉक अभ्यास के संचालन के लिए दिनांक 20.03.2023 को एक अवधारणा नोट तैयार किया। इस

श्रृंखला में, उक्त घटना के पूर्वोभ्यास के रूप में संवेदीकरण अभ्यास और प्रदर्शन की तैयारी के उपाय के तौर पर एनडीएमए ने 29 मार्च 2023 को सदस्य (एसएएच) की अध्यक्षता में एमएचए, एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस, आईबी, एनएसजी, दिल्ली फायर सर्विस, संसद सुरक्षा सेवा आदि की भागीदारी के साथ समन्वय बैठक आयोजित की, ताकि तौर-तरीकों पर चर्चा की जा सके और उन्हें अंतिम रूप दिया जा सके। तदनुसार, एनडीएमए ने दिनांक 03 और 05 अप्रैल 2023 को माननीय सांसदों और कर्मचारियों के लिए संवेदीकरण अभ्यास और प्रदर्शन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला के साथ अन्य माननीय सांसदों और कर्मचारियों ने भाग लिया।



6.17 नियंत्रण कक्ष गतिविधियाँ

(क) एनडीएमए ने 13 मई, 2022 को दक्षिण-पश्चिम मानसून के लिए प्री-मॉनसून स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक में पूर्व चेतावनी एजेंसियों, मोचन एजेंसियों और बाढ़ संभावित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानीय आयुक्तों ने भाग लिया। बैठक में आईएमडी, सीडब्ल्यूसी, एनआरएससी और एनडीआरएफ सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रस्तुतियां दी गईं। मुख्यालय

आईडीएस और डीएम डिवीजन, एमएचए द्वारा भी इनपुट प्रदान किए गए थे। बैठक में मानसून-पूर्व एनडीआरएफ की तैनाती, सशस्त्र बलों के साथ अग्रिम समन्वय, आईडीआरएन डेटाबेस आदि के लिए एसडीआरएफ, सी.डी. वॉलियन्टर्स, होमगार्ड, आपदा मित्र, राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों के नामित नोडल अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय पर विचार-विमर्श किया गया।

(ख) एनडीएमए ने केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में, विज्ञान भवन, नई दिल्ली में दिनांक 18 व 19

मई, 2022 को दक्षिण-पश्चिम मानसून 2022 हेतु तैयारियों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों के आपदा प्रबंधन विभागों के राहत आयुक्तों/सचिवों ने वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया। एनडीएमए ने एजेंडा आइटम तैयार किए, वर्तमान परियोजनाओं/योजनाओं के संबंध में प्रस्तुति दी और सम्मेलन के दौरान विभिन्न सत्रों का संचालन किया। आईएमडी, सीडब्ल्यूसी, जीएसआई, एनआरएससी (इसरो), मुख्यालय आईडीएस (एमओडी), एनआईसी, एमएचए, एनडीआरएफ और कुछ राज्यों सहित विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों द्वारा प्रस्तुतियां दी गईं, उसके बाद दक्षिण-पश्चिम मानसून की तैयारियों के बारे में विचार-विमर्श किया गया और सर्वोत्तम पद्धतियों और सीखे गए सबक साझा किए गए।

(ग) एनडीएमए ने दिसंबर 2022 के महीने में दक्षिणपूर्व बंगाल की खाड़ी में आसन्न चक्रवात 'मैंडोस' के मद्देनजर प्रभावित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य हितधारकों द्वारा उठाए गए निवारक उपायों की बारीकी से निगरानी की। एनडीएमए ने प्रभावित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को एसएमएस सामग्री के साथ एडवाइजरी 'क्या करें और क्या न करें' जारी की और मोचक बलों यानी एनडीआरएफ, आईसीजी और भारतीय सशस्त्र बलों की तैनाती के लिए राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के

परामर्श से आवश्यक समन्वय जारी किया।

- (घ) मोरबी (गुजरात) में केबल ब्रिज ढहने की घटना के दौरान किए गए एसएआर ऑपरेशन के संबंध में 13 दिसंबर, 2022 को एनडीआरएफ के साथ एक डीब्रीफिंग सत्र आयोजित किया और पूरे देश में जी-20 आयोजनों का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए आपदा मोचन की तैयारियों और क्षमता-निर्माण के संबंध में कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की।
- (ड.) देवघर रोपवे घटना के बाद, एनडीएमए ने देश में रोपवे परियोजनाओं पर संकट के हालात पर प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तैयारियों के उपायों की समीक्षा करने के उद्देश्य से 25 जनवरी 2023 को एनडीएमए के सदस्य और सचिव प्रभारी की अध्यक्षता में एमएचए, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच), एनडीआरएफ, एनआईडीएम और बीआईएस की भागीदारी के साथ एक सलाहकार सम्मेलन का आयोजन किया।

अतिरिक्त गतिविधियां

6.18 वित्त वर्ष 2022-2023 में, एनडीएमए ने विभिन्न एजेंसियों और संगठनों के लिए कई मुद्दों पर विशेष मार्गदर्शन प्रदान किया, जागरूकता अभियान चलाया और कार्यशालाएं आयोजित कीं। इनमें से कुछ का उल्लेख नीचे दिया गया है:-

दिनांक	विषय/कार्यक्रम
10-12 मई 2022	एनडीएमए ने गुजरात राज्य के लिए दुर्घटना मोचन प्रणाली (आईआरएस) पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।
11 मई 2022	एनडीएमए ने एशियन रक्षा मंत्रियों (एडीएम) की बैठक के चौथे चक्र में तथा एचएडीआर पर एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप (2021-2023) में "आपदा रोधी बुनियादी ढांचा" विषय पर प्रस्तुति दी और दिनांक 12.05.2022 को मॉडरेटर के रूप में भी भाग लिया।
07 जुलाई 2022	सचिव प्रभारी, एनडीएमए की अध्यक्षता में रेल मंत्रालय, डीएम प्रभाग गृह मंत्रालय, एनडीआरएफ और उत्तराखंड सरकार के प्रमुख सचिव/राहत आयुक्त, सचिव (स्वास्थ्य), सचिव (यातायात), सचिव (पर्यटन) डीजीपी, डीएम (हरिद्वार), यात्रा नोडल अधिकारी, एसएसपी, हरिद्वार के साथ कांवड यात्रा-2022 के संबंध में एक पूर्व तैयारी बैठक का आयोजन किया।

16 अगस्त 2022	एनडीएम ने 16 अगस्त 2022 को गृह मंत्रालय द्वारा परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किसी भी दुर्घटना से निपटने के लिए कार्य योजना और तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक में भाग लिया।
27-28 अगस्त 2022	भारतीय तटरक्षक बल द्वारा दिनांक 27-28 अगस्त, 2022 से चेन्नई में आयोजित 10वीं राष्ट्रीय समुद्री खोज बचाव कार्यशाला और अभ्यास - 2022 (SAREX - 22) में भाग लिया।
30-31 अगस्त 2022	एनडीएम ने उत्तर प्रदेश राज्य के लिए दुर्घटना मोचन प्रणाली (आईआरएस) प्रशिक्षण आयोजित किया।
31 अक्टूबर 2022 से 03 नवंबर 2022 तक	एनडीएम ने INCOIS हैदराबाद में राष्ट्रीय सुनामी रेडी बोर्ड की बैठक और सुनामी मानक संचालन प्रक्रिया कार्यशाला में भाग लिया।
10 जनवरी 2023	एनडीएम और एमएचए ने निरापद, सुरक्षित और आपदा समुत्थानशील जी-20 आयोजनों और शिखर सम्मेलन को सुनिश्चित करने के लिए एनडीआरएफ द्वारा एचएजेडएमएटी वाहन की खरीद में तेजी लाने के लिए अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) की बैठक आयोजित की।
10 जून 2022	<p>एनडीएम द्वारा एनडीआरएफ के साथ बातचीत और विचार-मंथन:</p> <ul style="list-style-type: none"> लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम** (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएम ने एनडीआरएफ में अतिरिक्त 34 क्षेत्रीय मोचन केंद्र (आरआरसी) की स्थापना और सभी 08 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों (एनपीपी) के शून्य बिंदु पर एनडीआरएफ स्थापित करने के माननीय केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देशों के मद्देनजर पहले से स्वीकृत 03 आरआरसी के स्थान में बदलाव के संबंध में एनडीआरएफ के संशोधित प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए दिनांक 10.06.2022 को गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में बैठक में भाग लिया। तदनुसार, 34 आरआरसी (28 आरआरसी - एनडीआरएफ का पूर्व प्रस्ताव+एनपीपी के लिए नए प्रस्तावित 06 आरआरसी) के लिए संशोधित प्रस्ताव की सिफारिश की गई।
07 सितम्बर 2022	<ul style="list-style-type: none"> एनडीएम ने एनडीआरएफ के साथ विविध विषयों पर दिनांक 07 सितंबर, 2022 को सदस्य-सह-सचिव प्रभारी एनडीएम की अध्यक्षता में संपन्न समीक्षा बैठक का संचालन किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जिला-स्तर एमई की संचालन चुनौतियां, तिमाही फीडबैक और एनडीआरएफ अकादमी द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों पर चर्चा की गई।
03 फरवरी 2023	<ul style="list-style-type: none"> भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) रोहतक के परामर्श से समीक्षा की जा रही एनडीआरएफ के प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण (टीएनए) में सहायता की और एनडीआरएफ के टीएनए के बारे में दृष्टिकोण, अपेक्षाओं और विचारों पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भाग लिया।

6.19 सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल (सीएपी) आधारित एकीकृत चेतावनी प्रणाली (सैशे) चरण-1

पृष्ठभूमि

1. सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल (सीएपी) मानक संदेश प्रारूप को परिभाषित किया गया है जिसमें सभी प्रासंगिक विवरण शामिल हैं, जैसे:- खतरे का प्रकार, इसकी तीव्रता, अवधि, प्रभाव का क्षेत्र, अनुवर्ती कार्रवाई आदि। दुनिया भर में मानकीकरण और अंतर कार्य क्षमता को लागू करने के अलावा, सीएपी संदेश कुशल रूटिंग, प्राथमिकताकरण, जियो टारगेटिंग आदि को भी सक्षम बनाता है। सीएपी अनुपालन सिस्टम और जीएसएम नेटवर्क, रेडियो, टेलीविजन, जन सूचना सिस्टम, तटीय सायरन आदि जैसे उपकरण सीएपी आधारित अलर्टिंग सिस्टम के साथ प्लग एंड प्ले कर सकते हैं। उपयुक्त इंटरऑपरेबिलिटी को परिवर्तित करने वाले उपकरणों द्वारा भी गैर-अनुपालक और पुरानी प्रणालियों और उपकरणों को इंटरफेस किया जा सकता है।

परियोजना संक्षेप

6.20 एनडीएमए ने चेतावनी उत्पन्न करने वाली एजेंसियों, चेतावनी प्रसारित वाली एजेंसियों और आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को सीएपी आधारित प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए एक राष्ट्रीय परियोजना का सृजन किया। तमिलनाडु में एक प्रायोगिक परियोजना के सफल कार्यान्वयन के बाद, सीएपी परियोजना के चरण-1 के अखिल भारतीय कार्यान्वयन को सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई। यह परियोजना निम्नलिखित हितधारकों के बीच चेतावनी के प्रवाह को स्वचालित करेगी :-

(क) चेतावनी जारी करने वाली एजेंसियां: सभी प्रकार के खतरों के लिए चेतावनी जारी उत्पन्न करने वाली एजेंसियाँ इस प्रकार हैं:-

- i. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी)।
 - ii. केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी)।
 - iii. भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (इंकोइस)।
 - iv. रक्षा भू-सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान (डीजीआरई)।
 - v. भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई)
- (ख) चेतावनी अनुमोदन एजेंसियां: राष्ट्रीय स्तर (एमएचए) और राज्य स्तर (एसडीएमए) पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जैसा कि चेतावनी पर लागू होता है, चेतावनी के प्रसार के लिए अनुमोदन प्राधिकारी होंगे।
- (ग) चेतावनी प्रसारण एजेंसियां: । स्थानीय भाषा में जियो-लक्षित चेतावनी निम्नलिखित माध्यमों से प्रसारित की जाएगी:-
- i. मोबाइल फोन पर एसएमएस और सेल प्रसारण (सीबी)।
 - ii. टेलीविजन, केबल टीवी, सैटेलाइट टीवी (डीटीएच) और रेडियो स्टेशन जैसी प्रसारण मीडिया
 - iii. इंटरनेट द्वारा सोशल मीडिया, ब्राउज़र अलर्ट और आरएसएस फ़ीड पर।
 - iv. रेलवे स्टेशनों पर सार्वजनिक सूचना प्रणाली।
 - v. तटीय सायरन और अन्य परम्परागत सामुदायिक चेतावनी प्रणालियाँ।
 - vi. गगन और नाविक उपग्रह चैनल
 - vii. गूगल एकीकरण
 - viii. मोबाइल एप्लिकेशन और राष्ट्रीय आपदा चेतावनी पोर्टल

परियोजना विस्तार

6.21 यह परियोजना सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल (सीएपी) परियोजना (चरण-I) के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और 23 अगस्त 2021 को कार्य आदेश जारी कर दिया गया है। परियोजना को फरवरी 2023 तक 18 महीनों में पूरा किया जाना था, लेकिन तटीय सायरन के लिए पीओसी और रिलायंस जियो के लिए सेल प्रसारण, कार्यान्वयन स्वचालित पीसीआर, गूगल सेवाओं के साथ एकीकरण, एनआईसी क्लाउड की आपदा पुनर्बहाली कार्यक्षमता आदि कुछ गतिविधियों को 18 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जा सका। इसलिए, सी-डॉट ने निम्नलिखित हासिल करने के लिए छह महीने का समय मांगा है:-

- आईएमडी, इनकोइस, सीडब्ल्यूसी, डीजीआई और एफएसआई के साथ एकीकरण।
- एसएमएस चेतावनी के लिए सभी प्रचालन दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के साथ एकीकरण।
- मोबाइल एप्लिकेशन और राष्ट्रीय आपदा चेतावनी पोर्टल का विकास और प्रकाशन।
- इंटरनेट ब्राउज़र सूचनाओं के माध्यम से चेतावनी का विकास और प्रकाशन।
- गूगल चेतावनी के साथ एकीकरण और आरएसएस फ़ीड का प्रकाशन।
- गगन और नाविक सैटेलाइट केंद्रों के साथ एकीकरण।
- सभी टीएसपी के लिए टीवी, तटीय सायरन, आईआर पीए सिस्टम, एआईआर रेडियो स्टेशन और सी.बी. हेतु अवधारणा का प्रमाण (पीओसी)।

परियोजना प्रगति पर है

6.22 परियोजना का प्रभाव

- चेतावनी की त्वरित अधिसूचना, अनुमोदन और प्रसार के लिए सभी हितधारकों का निर्बाध वेब आधारित एकीकरण।
- नागरिकों और मोचकों को अलर्ट का लगभग वास्तविक समय पर प्रसार, जिससे जीवन और संपत्ति के नुकसान को कम करने के लिए तैयारी सुनिश्चित की जा सके।
- त्वरित प्रसार के लिए क्षेत्रीय स्थानीय भाषा में जियो लक्षित चेतावनी।
- चेतावनी अनुमोदन/संपादन करने और प्रसार के लिए मीडिया चुनने हेतु आपदा प्रबंधकों को वेब आधारित डैशबोर्ड।
- आपदा प्रबंधकों के लिए शक्तिशाली जीआईएस आधारित विश्लेषणात्मक उपकरण।

6.23 आपदा आपात स्थितियों के लिए ईआरएसएस (डायल 112) का विस्तार ”

पृष्ठभूमि

6.24. आपातकालीन मोचन सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) (डायल 112) आपात स्थिति में नागरिकों के लिए अखिल भारतीय एकल नंबर (112) आधारित आपातकालीन मोचन प्रणाली है। पुलिस सहायता, अग्निप्रशमन, एम्बुलेंस, महिला सुरक्षा, बाल सुरक्षा आदि से संबंधित घटनाओं पर तत्काल सहायता के लिए नागरिक वॉयस कॉल, एसओएस, एसएमएस, ईमेल, वेब रिक्वेस्ट और मोबाइल ऐप पर पैनिक बटन के माध्यम से मदद का अनुरोध कर सकते हैं। गृह मंत्रालय (डब्ल्यूएस प्रभाग) द्वारा शुरू की गई परियोजना सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में (28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सी-डेक द्वारा और 08 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सी-डेक के अलावा अन्य वेन्डर्स द्वारा) लागू की गयी है। ईआरएसएस ने

आसन्न आपदाओं से संबंधित आपातकालीन कॉल्स को सपोर्ट नहीं किया और एसईओसी और आपदा मोचकों के साथ एकीकृत नहीं किया।

परियोजना संक्षेप

6.25 माननीय प्रधान मंत्री के 'देश भर में सभी आपात स्थितियों के लिए एकल संकट नम्बर' के दृष्टिकोण को लागू करने के लिए, एनडीएमए ने "आपदा आपात स्थितियों के लिए ईआरएसएस का विस्तार" परियोजना पर विचार किया है। परियोजना में आपदा आपात स्थितियों से निपटने के लिए मौजूदा ईआरएसएस प्रणाली का विस्तार किया है। परियोजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

- क. आपदा आपात स्थितियों से निपटने के लिए मौजूदा ईआरएसएस समाधान का संवर्द्धन।
- ख. लीज्ड लाइनों पर एसईओसी के साथ सार्वजनिक सुरक्षा सुलभ बिंदुओं (पीएसएपी)/पुलिस नियंत्रण कक्षों का एकीकरण।
- ग. सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के एसईओसी में दो/एक ऑपरेटर पदों के लिए हार्डवेयर की स्थापना।
- घ. लोड में वृद्धि करने के लिए चयनित राज्यों के पीएसएपी में हार्डवेयर का विस्तार।
- ङ. आठ राज्यों में जहां सी-डेक द्वारा ईआरएसएस लागू नहीं किया गया है, वहाँ मिनी डेटा सेन्टर की स्थापना।
- च. एसईओसी में लीज्ड लाइन/इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रावधान।
- छ. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को मैन ऑपरेटर पदों पर तीन साल के लिए मानव शक्ति का प्रावधान।
- ज. एनडीएमए में परियोजना प्रबंधन इकाई के कर्मचारियों के लिए तीन साल की अवधि के लिए मानव शक्ति, फर्नीचर, कार्यालय उपकरण, यात्रा शुल्क और वेतन का प्रावधान।

6.26 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूदा ईआरएसएस प्रणाली को लागू करने के सी-डेक के अनुभव के आधार पर सीडीएसी को योजना को लागू करने के लिए सी-डेक को नामित किया गया।

6.27 परियोजना के लिए विभिन्न समय-सीमाएँ इस प्रकार हैं:-

- क. समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर और कार्य आदेश जारी – दिनांक 02 अगस्त 2021
- ख. सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापना का समापन – दिनांक 28 मई 2023
- ग. एनडीएमए द्वारा निर्वाह और वारंटी अवधि – प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए कार्यभार संभालने की दिनांक से तीन वर्ष।

6.28 यह योजना पूरी तरह से एनडीएमए द्वारा वित्त पोषित है। निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखा गया है:

- क. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की खरीद, स्थापना और एकीकरण।
- ख. इंटरनेट और पीएसएपी से कनेक्टिविटी के लिए तीन साल के लिए लीज्ड लाइनों को किराए पर लेना।
- ग. राज्यों द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नियोजित की जाने वाली जनशक्ति के लिए वेतन।
- घ. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में जनशक्ति का प्रशिक्षण।
- ङ. फर्नीचर और कार्यालय आवश्यक वस्तुओं की खरीद को शामिल करने के लिए एनडीएमए में एक परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की स्थापना करना।
- च. परियोजना की अवधि (18 महीने जिसे अब 28.05.2023 तक तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है) कार्यान्वयन अवधि और 36 महीने की निर्वाह अवधि के लिए पीएमयू के लिए नियोजित की जाने वाली जनशक्ति का वेतन।

6.29 तीन साल पूरे होने के बाद, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सी-डेक के साथ सीधे एएमसी का अनुबंध करके और अपने संसाधनों से मानव शक्ति को काम पर रखकर परियोजना को जारी रखेंगे। परियोजना अंतिम चरण में है और निम्नलिखित कार्य पूरे हो चुके हैं:-

- क. यह परियोजना तकनीकी रूप से 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की गई है। इसके अलावा, 05 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में इंस्टालेशन और कनेक्टिविटी स्थापित की जा चुकी है और एपीआई एकीकरण का काम चल रहा है।
- ख. 19 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मानव शक्ति की नियोजित की गई है।
- ग. 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को धनराशि जारी की गई है।
- घ. अभी तक तेलंगाना को एमओयू नहीं मिला है।
- ङ. सी-डेक द्वारा सेंट्रल डैशबोर्ड अभी तक तैनात नहीं किया गया है।
- च. 112 इंडिया ऐप एंड्रॉइड वर्जन में डिजास्टर बटन शामिल किया गया। अभी iOS संस्करण में शामिल किया जाना बाकी है।

6.30 सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार

भारत सरकार द्वारा “सुभाष चंद्र बोस आपदा” प्रबंध पुरस्कार (एससीबीएपीपी) की शुरुआत, वर्ष 2018-19 में की गई थी। यह पुरस्कार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा ‘व्यक्तियों/संस्थानों’ को उनके उत्कृष्ट योगदान को सम्मान देने के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। यह पुरस्कार

रोकथाम, प्रशमन, तैयारी, बचाव, मोचन, राहत, पुनर्वास, अनुसंधान/नवाचार और पूर्व चेतावनी के क्षेत्र में दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार समारोह प्रबंधन वर्ष 2023 के लिए पुरस्कार दिनांक 10.03.2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था जहां माननीय प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए:

जागरूकता सृजन

6.31 जनता के बीच जागरूकता फैलाने के अपने प्रयास में, जनसंपर्क और जागरूकता सृजन (पीआर एंड एजी) प्रभाग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), समय-समय पर वर्ष भर सोशल मीडिया सहित, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक जागरूकता की पहल करता है। आपदा प्रतिरोधी समाज के लिए जनता को सूचित, शिक्षित और संचार करके एक उपयुक्त वातावरण बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये जागरूकता अभियान विभिन्न माध्यमों जैसे - टीवी, रेडियो, प्रिंट मीडिया, प्रदर्शनियाँ, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से चलाए जाते हैं। जागरूकता अभियानों के दो प्रमुख उद्देश्य हैं:

- क) किसी भी आसन्न आपदा (भूकंप, चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन, आंधी-तूफान और आकाशीय आकाशीय बिजली, आदि) के लिए नागरिकों को तैयार करना।
- ख) नुकसान को अधिकतम सीमा तक कम करने के लिए विभिन्न रोकथाम और प्रशमन उपायों पर लोगों को सूचित और शिक्षित करना।

6.32 वर्ष 2022-23 के दौरान (31/03/2023 तक) निम्नलिखित जागरूकता अभियान चलाए गए

क्र.सं.	पुरस्कार प्राप्तकर्ता	वर्ष	श्रेणी
1.	ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	2023	संस्थागत
2.	लुंगलेई फायर स्टेशन (एलएफएस), मिजोरम	2023	संस्थागत

श्रव्य-दृश्य अभियान

6.33 दूरदर्शन /ऑल इंडिया रेडियो: चक्रवात, आंधी-तूफान और आकाशीय आकाशीय बिजली, बाढ़, शहरी बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, शीत लहर, हिमस्खलन और लू जैसी प्राकृतिक आपदाओं को दूरदर्शन (राष्ट्रीय नेटवर्क और क्षेत्रीय केंद्रों) और ऑल इंडिया रेडियो पर ऑडियो-वीडियो स्पॉट प्रसारित किए गए। संबंधित आपदा प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न आपदाओं के बारे में क्या करें और क्या न करें वाले कई स्पॉट चलाए गए। वर्ष के दौरान चलाये गये अभियानों का विवरण इस प्रकार है:

आपदा/खतरा	दूरदर्शन	ऑल इंडिया रेडियो
लू	11/04/2022 से 17/04/2022 तक 7 दिन	18/04/2022 से 24/04/2022 तक 7 दिन
	10/03/2023 से 16/03/2023 तक 7 दिन	10/03/2023 से 16/03/2023 तक 7 दिन
आंधी-तूफान और आकाशीय आकाशीय बिजली	21/06/2022 से 27/06/2022 तक 7 दिन	21/06/2022 से 27/06/2022 तक 7 दिन
बाढ़	23/06/2022 से 29/06/2022 तक 7 दिन	23/06/2022 से 29/06/2022 तक 7 दिन
भूस्खलन	08/07/2022 से 18/07/2022 तक 7 दिन (9, 10, 16 और 17 को छोड़कर पोर्टब्लेयर में प्रसारण न होने के कारण)	08/07/2022 से 14/07/2022 तक 7 दिन
शहरी बाढ़	08/07/2022 से 14/07/2022 तक 7 दिन	--
भूकंप	12/08/2022 से 18/08/2022 तक 7 दिन	12/08/2022 से 18/08/2022 तक 7 दिन
	08/02/2023 से 14/02/2023 तक 7 दिन	16/02/2023 से 22/02/2023 तक 7 दिन
चक्रवात	04/10/2022 से 10/10/2022 तक 7 दिन	04/10/2022 से 10/10/2022 तक 7 दिन
शीत लहर	20/12/2022 से 26/12/2022 तक 7 दिन	27/12/2022 से 02/01/2023 तक 7 दिन
	05/01/2023 से 11/01/2023 तक 7 दिन	12/01/2023 से 18/01/2023 तक 7 दिन

6.34 सामुदायिक रेडियो: शीत लहर से बचाव के लिए जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से शीत लहर वाले राज्यों में 138 सामुदायिक रेडियो पर 28/12/2022 से 03/01/2023 तक 7 दिवसीय अभियान चलाया गया।

6.35 सुभाष चन्द्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार का प्रचार (एससीबीएपीपी): आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों पर सम्मान देने के लिए एक सुभाष चन्द्र बोस आपदा प्रबंधन

पुरस्कार (एससीबीएपीपी), जिसकी घोषणा हर साल 23 जनवरी को की जाती है। पुरस्कार का व्यापक प्रचार-प्रसार दिनांक 01/07/2022 को विज्ञापन एवं सोशल मीडिया अभियान के माध्यम से किया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार समारोह प्रबंधन पुरस्कार 10/03/2023 को विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था, जहां माननीय प्रधानमंत्री ने 2022-23 के पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार विजेताओं के लघु वीडियो प्रशस्ति पत्र के रूप में तैयार किए गए।

6.36 “आपदा का सामना” दूरदर्शन पर पैनल चर्चा/टॉक शो का एक विशेष कार्यक्रम: जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, एनडीएमए ने डीडी न्यूज पर पैनल चर्चा/टॉक शो “आपदा का सामना” कार्यक्रम आयोजित किया है। कुल 50 एपिसोड डीडी न्यूज के माध्यम से प्रसारित किए गए और संबंधित आपदा संभावित क्षेत्रों/राज्यों में क्षेत्रीय चैनलों के माध्यम से पुनः प्रसारण किया गया। एपीसोड का विवरण इस प्रकार है:-

क्र.सं	एपिसोड	प्रसारण की तिथि	पुनः प्रसारण की तिथि
1.	लू	10 अप्रैल 2022	16 अप्रैल 2022
2.	चक्रवात	1 मई 2022	7 मई 2022
3.	वनाग्नि	15 मई 2022	21 मई 2022
4.	आंधी तूफान	29 मई 2022	4 जून 2022
5.	बाढ़	12 जून 2022	18 जून 2022
6.	भूस्खलन	26 जून 2022	2 जुलाई 2022
7.	शहरी बाढ़	10 जुलाई 2022	16 जुलाई 2022
8.	समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन	24 जुलाई 2022	30 जुलाई 2022
9.	भूकंप	14 अगस्त 2022	20 अगस्त 2022
10.	शहरी खोज और बचाव	28 अगस्त 2022	3 सितंबर 2022
11.	चक्रवात	11 सितंबर 2022	17 सितंबर 2022
12.	आपदा जोखिम प्रबंधन में स्वयं-सेवकता	25 सितंबर 2022	1 अक्टूबर 2022
13.	अस्पताल की तैयारी	9 अक्टूबर 2022	15 अक्टूबर 2022
14.	स्कूल सुरक्षा	23 अक्टूबर 2022	29 अक्टूबर 2022
15.	शहरी बाढ़	13 नवंबर 2022	19 नवंबर 2022
16.	शीत लहर	27 नवंबर 2022	3 दिसंबर 2022
17.	हिमस्खलन	11 दिसंबर 2022	17 दिसंबर 2022
18.	पर्वतीय खतरे	25 दिसंबर 2022	31 दिसंबर 2022
19.	भूकंप	8 जनवरी 2023	14 जनवरी 2023
20.	शीत लहर	22 जनवरी 2023	28 जनवरी 2023
21.	अस्पताल की तैयारी	12 फरवरी 2023	18 फरवरी 2023
22.	लू	26 फरवरी 2023	4 मार्च 2023

23.	एनपीडीआरआर (हिन्दी) बदलती जलवायु में स्थानीय समुत्थानशील का निर्माण	9 मार्च 2023	10 मार्च 2023
24.	एनपीडीआरआर (अंग्रेजी) बदलती जलवायु में स्थानीय समुत्थानशील का निर्माण	9 मार्च 2023	10 मार्च 2023
25.	तटीय खतरे	26 मार्च 2023	1 अप्रैल 2023

एनडीएमए ई-न्यूजलेटर और ब्लॉग

6.37 हितधारकों को एनडीएमए, एसडीएमए की प्रमुख गतिविधियों, आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) पर सफलता की कहानियों, विशेषज्ञ साक्षात्कार, लेखों आदि के बारे में सूचित और उजागर करने के लिए एक डिजिटल मासिक समाचार पत्र “आपदा संवाद” के नाम से जारी किया जाता है। समाचार पत्र को मीडिया के प्रमुख संपादकों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापक रूप से साझा किया गया था। सोशल मीडिया पर विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके उसकी पहुंच को अधिकतम किया गया है। समाचार पत्र का विषय इस प्रकार था:-

क्र.सं.	मास	विषय
1.	अप्रैल 2022	लू
2.	मई 2022	चक्रवात
3.	जून 2022	भूस्खलन/बाढ़
4.	जुलाई 2022	भूकंप
5.	अगस्त-सितंबर 2022	चक्रवात/स्थापना दिवस विशेष
6.	अक्टूबर 2022	भूकंप
7.	नवंबर 2022	शीत लहर
8.	दिसंबर 2022	हिमस्खलन
9.	जनवरी 2023	शीत लहर
10.	फरवरी 2023	लू
11.	मार्च 2023	आपदा जोखिम न्यूनीकरण

सोशल मीडिया अभियान

6.38 टीवी और रेडियो पर जागरूकता अभियानों के अलावा, आपदाओं से पहले, दौरान और बाद में रोकथाम, प्रशमन और तैयारियों से संबंधित जागरूकता अभियान लू, भूकंप, बाढ़, शहरी बाढ़, आकाशीय आकाशीय बिजली सुरक्षा, शीतलहर, कोविड-19, इंडियाफाइट्सकोरोना हिमस्खलन आदि जैसे हैशटैग का उपयोग करके वर्षभर सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से भी चलाए गए। समय-समय पर एनडीएमए के प्लेटफार्म पर क्या करें और क्या न करें को उजागर करने वाले सोशल मीडिया क्रिएटिव और लघु फिल्मों सोशल मीडिया पर साझा की गईं।

ट्विटर रिपोर्ट

6.39 एनडीएमए के ट्वीट और फेसबुक अपडेट बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच रहे हैं। ये न केवल उनके व्यक्तिगत खातों पर दिखाई देते हैं, बल्कि इन्हें उनके द्वारा साझा भी किया जा रहा है। इस प्रकार के अपडेट हर दूसरे उपयोगकर्ताओं तक भी पहुंच रहे हैं जो एनडीएमए एकाउंट्स का अनुसरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं लेकिन इसके अपडेट पढ़ रहे हैं।

- 31 मार्च, 2023 तक फॉलोअर्स: 3,89,063
- 31 मार्च, 2022 तक फॉलोअर्स: 3,33,410
- फॉलोअर्स की संख्या बढ़ी: 55,653

एनडीएम का 18वां स्थापना दिवस का आयोजन

6.40 एनडीएम के 18वें स्थापना दिवस का जशः 28/09/2022 को “आपदा प्रबंधन में स्वयंसेवकता” विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एनडीएम का 18वां स्थापना दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय, विशिष्ट तथा अतिथि के रूप में अजय कुमार मिश्रा गृह राज्य मंत्री इस अवसर पर

उपस्थित थे। समापन सत्र के दौरान, माननीय प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा गेस्ट ऑफ ओनर के रूप में शामिल हुए। इस विषय पर विशेषज्ञ चर्चा के अलावा, इस अवसर पर निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण दस्तावेज़/उपकरण भी जारी किए गए:

- i. बंगाल और आंध्र प्रदेश के लिए बाढ़ जोखिम एटलस
- ii. वेब आधारित डायनामिक कम्पोजिट जोखिम एटलस और निर्णय समर्थन प्रणाली।

• गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय द्वारा उद्घाटनः



- माननीय प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा का संबोधन:** अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि स्वयंसेवक स्थानीय आपदा जोखिम प्रबंधन बल का एक अभिन्न अंग हैं; यह नागरिकों के बीच विश्वास, एकजुटता और पारस्परिकता को मजबूत करके और उद्देश्यपूर्ण ढंग से भागीदारी के अवसर पैदा करके, बड़े पैमाने पर समाज और व्यक्तिगत स्वयंसेवक, दोनों को लाभान्वित करता है। स्वयंसेवक, विशेषकर युवा स्वयंसेवक आपदा प्रबंधन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वयंसेवकों का उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, सुरक्षा, संरक्षा और लोगों के जोखिम में कमी लाने सहित सामाजिक सेवाओं में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है; आपदा प्रबंधन केवल सरकार के प्रयास से आगे नहीं बढ़ सकता है, इसके लिए स्थानीय समुदायों, प्रथम मोचक के रूप में स्वयंसेवकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनकी समर्पित सहायता के बिना, आपदा को प्रभावी ढंग से प्रबंधन नहीं किया जा सकता है।



संबंधित संगठनों और प्रशिक्षित आपदा मित्र स्वयंसेवकों, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, स्थानीय आयुक्तों, सीएपीएफ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के महानिदेशकों, एसडीएमए से 400 से अधिक प्रतिभागियों ने स्थापना दिवस में भाग लिया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, बिहार और कर्नाटक द्वारा बनाई गई ईआरके और ईआरएसएस किट प्रदर्शित वाली एक छोटी प्रदर्शनी आपदा मित्र योजना के अप-स्केलिंग के तहत राज्यों को प्रदान की गई।

6.41 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ संचार: एनडीएमए ने लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से चक्रवात, बाढ़, आकाशीय बिजली, लू, भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन, शीत लहर और शहरी बाढ़ आपदाओं पर 160 से अधिक लघु फिल्में बनाई हैं। इन फिल्मों को एनडीएमए की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने के अलावा, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से समय-समय पर अपने-अपने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता पैदा करने के लिए इन फिल्मों का उपयोग करने का अनुरोध किया गया था।

तीन महत्वपूर्ण दस्तावेज अर्थात् आपदा प्रबंधन (डीएम) अधिनियम, 2005, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति, 2009 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी), 2019 का अनुसूचित क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जाना था। संबंधित राज्यों से अनुरोध किया गया था कि वे इन दस्तावेजों का अपनी-अपनी अनुसूचित भाषा (भाषाओं) में अनुवाद करवाएं और इसे आम जनता और अन्य हितधारकों के उपयोग के लिए अपनी वेबसाइट पर डालें। तीन राज्य अर्थात् गुजरात, सिक्किम और तमिलनाडु ने कार्य पूरा कर लिया है। शेष राज्यों में तेजी लाने के लिए नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

6.42 आईसीसी सामग्री: जागरूकता पैदा करने के लिए एनडीएमए के पास विभिन्न लघु वीडियो स्पॉट, एनीमेशन फिल्में, सांकेतिक भाषा के वीडियो हैं। जागरूकता सृजन के लिए ये सामग्रियां एनडीएमए की वेबसाइट के साथ-साथ एनडीएमए के यूट्यूब चैनल 'राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' पर भी उपलब्ध हैं। इन सामग्रियों का उपयोग एनडीएमए द्वारा समय-समय पर इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर किया जा रहा है।

6.43 एनडीएमए ने सूरजकुंड, फरीदाबाद, हरियाणा में दिनांक 23.03.2022 से 04.04.2022 तक आयोजित 35वें के सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के दौरान जागरूकता सृजन अवसर का उपयोग किया। लू के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए इस अवधि के दौरान 9

एलईडी स्क्रीन पर लघु फिल्में चलाई गईं। इसके अलावा, मेले के दौरान मेला आगंतुकों को 15000 पॉकेट बुकें वितरित की गईं।

6.44 एनडीएमए ने एनडीआरएफ और एनआईडीएम के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच (एनपीडीआरआर) के तीसरे सत्र के दौरान विज्ञान भवन में 10 से 13 मार्च, 2023 के दौरान एनपीडीआरआर पर बनाई गई एक विशेष प्रदर्शनी में भाग लिया। एनडीएमए ने अपने दिशानिर्देश, आईसीसी सामग्री और पॉकेटबुक का प्रदर्शन किया। पॉकेटबुक में विभिन्न आपदाओं पर क्या करें और क्या न करें तथा सुरक्षा उपाय शामिल हैं। स्कूली बच्चों, कॉलेज के छात्रों, प्रदर्शकों आदि सहित आगंतुकों को लगभग 5000 पॉकेटबुक वितरित की गईं।



6.45 ऊपर बताए गए जागरूकता सृजन कार्यों में निश्चित रूप से देश के लोगों को जीवन और आजीविका बचाने में मदद मिली है। इस बात की सराहना की जा सकती है कि एनडीएमए के सोशल मीडिया अकाउंट अर्थात ट्विटर

पर फॉलोअर्स की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस प्रकार, लोगों और सभी हितधारकों की जागरूकता पैदा करने में एनडीएमए की आईसीसी गतिविधियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व हैं।

अध्याय-7

प्रशासन एवं वित्त

सामान्य प्रशासन

एन.डी.एम.ए. सचिवालय

7.1 एन.डी.एम.ए. सचिवालय में पांच प्रभाग शामिल हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं-(i) नीति, योजना, पुनर्वास एवं पुनर्बहाली, जागरूकता सृजन और क्षमता-निर्माण और प्रशिक्षण प्रभाग, (ii) प्रशमन प्रभाग, (iii) प्रचालन और संचार प्रभाग, (iv) प्रशासन तथा समन्वय प्रभाग और (v) वित्त और लेखा प्रभाग।

नीति, योजना, पुनर्वास एवं पुनर्बहाली, क्षमता-निर्माण एवं प्रशिक्षण और जागरूकता सृजन प्रभाग

7.2 यह प्रभाग सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की नीतियों, दिशानिर्देशों के निर्माण और योजनाओं के अनुमोदन और सभी राज्यों में क्षमता-निर्माण एवं जागरूकता से जुड़े सभी मामलों को देखता है। आपदा प्रबंधन को विकास योजनाओं में शामिल कराना भी इस प्रभाग का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस प्रभाग का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्षमता-निर्माण और प्रशिक्षण है। यह प्रभाग क्षमता-निर्माण और प्रशिक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं का संचालन करता है।

7.3 जनसंपर्क और जागरूकता सृजन इस प्रभाग का एक अन्य प्रमुख कार्य है जो एन.डी.एम.ए. द्वारा निपटाया जाने वाला एक प्रमुख विषय है। इस प्रभाग ने इस प्रयास को पूरा करने और यह सुनिश्चित करने का काम अपने हाथ में लिया है कि तैयारी की संस्कृति सभी स्तरों पर लोगों के मन में बैठ गई जाए। यह जमीनी स्तर पर समुदाय और अन्य हितधारकों को शामिल करने के साथ-साथ, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट, दोनों संचार साधनों के उपयोग से जागरूकता सृजन करने की अवधारणा बनाने का और निष्पादन का भी काम करता है। इस प्रभाग में कुल स्वीकृत कर्मचारी

(स्टाफ) की संख्या 20 है जिनमें एक सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर का), चार संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के), चार सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के), एक अनुभाग अधिकारी तथा दस सहायक स्टाफ शामिल हैं।

प्रशमन प्रभाग

7.4 इस प्रभाग के उत्तरदायित्वों में केंद्रीय सरकार और राज्यों के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर जोखिम प्रशमन परियोजनाओं (चक्रवातों, भूकंपों, बाढ़ों, भूस्खलनों जैसे खतरे और अबाधित संचार व्यवस्था और सूचना प्रौद्योगिकी योजना आदि) का काम करना शामिल है। यह माइक्रोजोनेशन, असुरक्षितता विश्लेषण आदि जैसी परियोजनाओं के मार्गदर्शन तथा उनसे जुड़े विशेष अध्ययनों का कार्य भी करता है। यह मंत्रालयों द्वारा स्वयं चलाई जा रही प्रशमन परियोजनाओं के डिजाइन और कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण तथा अनुवीक्षण (मॉनिटर) भी करता है। इस प्रभाग में कुल स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या 14 है जिनमें एक सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर), दो संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के), दो सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के) और नौ सहायक स्टाफ हैं।

प्रचालन और संचार प्रभाग

7.5 एन.डी.एम.ए. को आपदा की स्थिति में सरकार को सलाह देने के लिए सदैव तैयार रहना अनिवार्य है जिसके लिए इसे नवीनतम सूचना से पूर्ण अद्यतन रहना अनिवार्य है। इसके लिए एन.डी.एम.ए. के पास एक प्रचालन केंद्र है जो एनडीएमए के अधिकारियों की आपदा विशिष्ट सूचना और डाटा इनपुट्स प्रदान करता है। यह प्रभाग किसी आपदा के मोचन चरण के दौरान सभी हितधारकों के प्रयासों में समन्वय स्थापित करता है। देश के प्रथम मोचकों के प्रशिक्षण तथा क्षमता-निर्माण में इसकी प्रमुख

भूमिका है। केंद्रीय एजेंसियों, सशस्त्र बलों तथा सीएपीएफ समेत सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए राज्य तथा बहु-राज्य स्तर के कृत्रिम अभ्यासों का संचालन करता है। आईआरएस पर प्रशिक्षण समेत प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित आपदा प्रबंधन के कार्य तथा देश में शीर्ष संस्थानों में जागरूकता बढ़ाना भी इस प्रभाग के काम में शामिल है। इसके अलावा, यह प्रभाग पुनर्वास तथा पुनर्बहाली से जुड़े कार्यों से भी निकटता से जुड़ा रहता है। यह प्रभाग सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की संकट प्रबंधन योजनाओं की जांच करता है।

7.6 यह प्रभाग एनडीएमए के लिए संचार तथा आईटी से संबंधित समाधानों को लागू करता है। संचार, आईटी, जीआईएस के क्षेत्र में यह सभी केंद्रीय तथा राज्य के मंत्रालयों/विभागों को सलाह देता है तथा उनकी क्षमता-निर्माण में मदद करता है। इस प्रभाग की कुल स्वीकृत स्टाफ संख्या 15 है जिनमें एक सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर), दो संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के), तीन सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के), दो ड्यूटी अधिकारी (अवर सचिव स्तर के) और सात सहायक स्टाफ हैं।

प्रशासन और समन्वय प्रभाग

7.7 यह प्रभाग प्रशासन और समन्वय के सभी पहलुओं के लिए उत्तरदायी है। इसके कार्यक्रमों में मंत्रालयों/विभागों तथा राज्यों के साथ व्यापक संयोजन (इंटरफेस) रखना शामिल है। यह प्रभाग सभी स्तरों पर एनडीएमए के सदस्यों और कर्मचारियों को प्रशासनिक और साजो-सामान संबंधी सहायता भी उपलब्ध कराता है। इस प्रभाग में कुल स्वीकृत स्टाफ संख्या 22 है, जिनमें संयुक्त सचिव, एक निदेशक, दो अवर सचिव, एक सहायक निदेशक (राजभाषा), दो अनुभाग अधिकारी और 15 सहायक स्टाफ हैं।

वित्त और लेखा प्रभाग

7.8 वित्त एवं लेखा प्रभाग खातों के रखरखाव, बजट की तैयारी, प्रस्तावों की वित्तीय जांच आदि से संबंधित

कार्य देखता है। यह प्रभाग व्यय की प्रगति की निगरानी भी करता है और अपनी प्रत्यायोजित वित्तीय शक्ति के अंतर्गत आने वाले सभी मामलों पर एनडीएमए को सलाह देता है। इस प्रभाग में कुल स्वीकृत स्टाफ 8 है, जिसमें एक वित्तीय सलाहकार (जेएस स्तर), एक निदेशक, एक सहायक वित्तीय सलाहकार (यूएस स्तर), एक अनुभाग अधिकारी, दो सहायक अनुभाग अधिकारी (एएसओ) और 2 सहायक कर्मचारी शामिल हैं। इसके कार्यों और जिम्मेदारियों का विवरण इस प्रकार है:

- प्रत्यायोजित शक्तियों के क्षेत्र में आने वाले सभी मामलों पर एनडीएमए को सलाह देना।
- योजनाओं और महत्वपूर्ण व्यय प्रस्तावों के प्रारंभिक चरण से ही उनके निर्माण में बारीकी से सहयोग करना।
- ऑडिट आपत्तियों, निरीक्षण रिपोर्ट, ड्राफ्ट ऑडिट पैराग्राफ को बारीकी से देखना।
- लेखापरीक्षा रिपोर्टों, लोक लेखा समिति (पीएसी) और प्राक्कलन समिति की रिपोर्टों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना।
- आवधिक रिपोर्ट और विवरणी समय पर प्रस्तुति सुनिश्चित करना।
- एनडीएमए के बजट की तैयारी और निगरानी

7.9 एनडीएमए के खातों का रखरखाव मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए), गृह मंत्रालय के कार्यालय द्वारा किया जाता है तथा एनडीएमए के लिए भुगतान और आय कार्यों का प्रबंधन भी सीसीए, गृह मंत्रालय की देखरेख में वेतन एवं लेखा कार्यालय (पीएओ), एनडीएमए द्वारा किया जाता है।

वित्त और बजट:

अप्रैल 2022 से मार्च, 2023 तक की अवधि के लिए योजना-वार बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और व्यय इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

परियोजना का नाम	बजट अनुमान (बीई) 2022-23	संशोधित अनुमान (आरई) 2022-23	संशोधित अनुमान (आरई) 2022-23+ गृह मंत्रालय से पुनर्नियोजन	31.03.2023 तक व्यय
विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एनसीआरएमपी)	300.00	165.60	124.13	101.70
अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाएँ - (ओडीएमपी)	21.07	21.07	21.07	14.36
स्थापना शुल्क	63.73	58.30	65.25	64.67
आपदा समुत्थानशील अवसंरचना सोसायटी गठबंधन (सीडीआरआई)	50.00	50.00	50.00	50.00

अनुदान संख्या 49 गृह मंत्रालय

मुख्य शीर्ष	योजना	बजट अनुमान (बीई) 22-23	संशोधित अनुमान (आरई) 22-23	अंतिम व्यय (एफई) 22-23+ गृह मंत्रालय से पुनर्नियोजन	दिनांक 31.3.2023 तक व्यय
2245	ओडीएमपी	7.68	7.68	7.68	2.61
3601	ओडीएमपी (राज्य सरकार को जारी)	13.03	13.03	13.03	11.40
3602	केंद्र शासित प्रदेश को रिलीज	0.36	0.36	0.36	0.35
	कुल (क)	21.07	21.07	21.07	14.36
2245	एनसीआरएमपी (अनुमानित शुल्क)	30	16.40	16.40	6.23
3601	एनसीआरएमपी (जीआईए)	270.00	149.20	107.74	95.47
	कुल (ख)	300	165.60	124.13	101.70
2245	स्थापना शुल्क	63.73	58.30	65.25	64.67
	कुल (ग)	63.73	58.30	65.25	64.67
2245	सीडीआरआई	50.00	50.00	50.00	50.00
	कुल (घ)	50.00	50.00	50.00	50.00
	सकल योग एनडीएमए	434.80	294.97	260.45	230.73

अनुलग्नक-1

एनडीएमए की संरचना

वर्तमान रचना

1.	भारत के माननीय प्रधान मंत्री	अध्यक्ष
2.	श्री कमल किशोर	सदस्य (16.02.2015 से) सचिव (01.10.2021 से प्रभारी)
3.	लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम और बीएआर	सदस्य (21.02.2020 से)
4.	श्री राजेंद्र सिंह	सदस्य (20.02.2020 से)
5.	श्री कृष्ण स्वरूप वत्स	सदस्य (04.05.2020 से)

पूर्व सदस्य

1.	जनरल एनसी विज	उपाध्यक्ष (28.9.2005 से 27.9.2010)
2.	श्री एम. शशिधर रेड्डी	उपाध्यक्ष (16.12.2010 से 16.06.2014) सदस्य (11.10.2010 से 16.12.2010) सदस्य (05.10.2005 से 04.10.2010)
3.	लेफ्टिनेंट जनरल (डॉ.) जेआर भारद्वाज	सदस्य (28.09.2005 से 27.09.2010)
4.	डॉ. मोहन कांडा	सदस्य (05.10.2005 से 04.10.2010)
5.	प्रो. एन. विनोद चंद्र मेनन	सदस्य (28.09.2005 से 27.09.2010)
6.	श्रीमती पी. ज्योति राव	सदस्य (14.08.2006 से 13.08.2011)
7.	श्री केएम सिंह	सदस्य (14.12.2011 से 11.07.2014) सदस्य (28.09.2005 से 27.09.2010)
8.	श्री बी. भट्टाचार्य	सदस्य (15.12.2011 से 11.07.2014) सदस्य (21.08.2006 से 20.08.2011)
9.	श्री जेके सिन्हा	सदस्य (04.06.2012 से 11.07.2014) सदस्य (18.04.2007 से 17.04.2012)

10	श्री टी. नंदकुमार	सदस्य (8.10.2010 से 28.2.2014)
11.	श्री वीके दुग्गल	सदस्य (22.06.2012 से 23.12.2013)
12.	मेजर जनरल जेके बंसल	सदस्य (6.10.2010 से 11.07.2014)
13.	मुजफ्फर अहमद	सदस्य (10.12.2010 से 03.01.2015)
14.	डॉ. हर्ष के. गुप्ता	सदस्य (23.12.2011 से 11.07.2014)
15.	डॉ. के. सलीम अली	सदस्य (03.03.2014 से 19.06.2014)
16.	श्री केएन श्रीवास्तव	सदस्य (03.03.2014 से 11.07.2014)
17.	श्री आर.के. जैन, आईएएस (सेवानिवृत्त)	सदस्य सचिव (23.02.2015 से 30.11.2015) सदस्य (01.12.2015 से 30.11.2018)
18.	लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एनसी मारवाह , पीवीएसएम, एवीएसएम	सदस्य (30.12.2014 से 29.12.2019)
19	डॉ. डीएन शर्मा	सदस्य (19.01.2015 से 18.01.2020)

अनुलग्नक-II

एनडीएमए के वरिष्ठ अधिकारियों की सूची

वर्तमान रचना

1.	श्री कमल किशोर, सदस्य (16.02.2015 से) एवं सचिव (प्रभारी) (01.10.2021 से)
2.	श्री आलोक, अपर सचिव (23.01.2023 से)
3.	श्री हर्ष गुप्ता, परियोजना निदेशक, एनसीआरएमपी (28.04.2022 से)
4.	श्री कुणाल सत्यार्थी, सलाहकार (नीति एवं योजना) (24.09.2021 से)
5.	सुश्री श्रेयसी चौधरी, संयुक्त सचिव (17.01.2020 से)
6.	श्री रविनेश कुमार, वित्तीय सलाहकार (10.10.2017 से)
7.	कर्मल के. पी. सिंह, सलाहकार (संचालन) (12.09.2022 से)

